



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**राजस्थान सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

| विषय-सूची | | |
|--|-----------------|--------------|
| | सन्दर्भ | |
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| प्राक्कथन | - | v |
| विहंगावलोकन | - | vii |
| भाग – क : राजस्व क्षेत्र | | |
| अध्याय I : सामान्य | | |
| राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति | 1.1 | 1 |
| राजस्व के बकाया का विश्लेषण | 1.2 | 5 |
| बकाया कर निर्धारण | 1.3 | 6 |
| विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन | 1.4 | 7 |
| प्रतिदाय के बकाया प्रकरण | 1.5 | 7 |
| लेखापरीक्षा का प्राधिकार | 1.6 | 8 |
| लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन | 1.7 | 8 |
| लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर | 1.8 | 8 |
| भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा | 1.9 | 12 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 1.10 | 13 |
| प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र | 1.11 | 13 |
| अध्याय II : बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर | | |
| कर प्रशासन | 2.1 | 15 |
| आंतरिक लेखापरीक्षा | 2.2 | 15 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 2.3 | 16 |
| आगत कर का लाभ | 2.4 | 17 |
| कर योग्य बिक्री पर कर का अनारोपण | 2.5 | 21 |
| कर का अनारोपण | 2.6 | 22 |
| घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण | 2.7 | 22 |
| अंतर्राज्यीय स्वरीदों पर कर का अनारोपण | 2.8 | 23 |
| प्रवेश कर का अनारोपण / कम आरोपण | 2.9 | 24 |
| माल और सेवा कर की लेखापरीक्षा | 2.10 | 24 |

| | सन्दर्भ | |
|--|----------|-------|
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| अध्याय III : भू-राजस्व | | |
| कर प्रशासन | 3.1 | 27 |
| आन्तरिक लेखापरीक्षा | 3.2 | 27 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 3.3 | 28 |
| सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव | 3.4 | 29 |
| संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव/कम वसूली | 3.5 | 30 |
| अध्याय IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क | | |
| कर प्रशासन | 4.1 | 35 |
| आन्तरिक लेखापरीक्षा | 4.2 | 35 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 4.3 | 36 |
| कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन पर मुद्रांक कर का अनारोपण | 4.4 | 37 |
| मुस्तयारनामा के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण | 4.5 | 39 |
| राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर की अनियमित छूट | 4.6 | 40 |
| ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट | 4.7 | 41 |
| विकासकर्ता अनुबंधों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण | 4.8 | 42 |
| अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर का कम आरोपण | 4.9 | 43 |
| कम्पनियों का समामेलन/पुनर्गठन | 4.10 | 46 |
| अचल सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन | 4.11 | 47 |
| अध्याय V : राज्य आबकारी | | |
| कर प्रशासन | 5.1 | 49 |
| आन्तरिक लेखापरीक्षा | 5.2 | 49 |
| लेखापरीक्षा के परिणाम | 5.3 | 50 |
| रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से अतिरिक्त राशि की अवसूली | 5.4 | 51 |
| कम्पोजिट फीस की कम वसूली | 5.5 | 52 |
| अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली | 5.6 | 53 |
| बीयर उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक का संधारण न करना | 5.7 | 54 |
| प्रतिभूति जमा और अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि को जब्त करने का अभाव | 5.8 | 56 |
| मासिक गारंटी राशि की कम वसूली | 5.9 | 57 |

| | सन्दर्भ | |
|---|----------|-------|
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| भाग – ख : व्यय क्षेत्र | | |
| अध्याय VI : सामान्य | | |
| लेखापरीक्षित इकाईयों की रुपरेखा | 6.1 | 59 |
| लेखापरीक्षा का प्राधिकार | 6.2 | 59 |
| लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन | 6.3 | 60 |
| लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर | 6.4 | 60 |
| प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र | 6.5 | 62 |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | 6.6 | 64 |
| अध्याय VII : व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा | | |
| कृषि विभाग | | |
| निर्माण संविदा में अतिरिक्त मदों का अनियमित निष्पादन | 7.1 | 65 |
| श्रम विभाग | | |
| राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कार्यपद्धति | 7.2 | 67 |
| चिकित्सा शिक्षा विभाग | | |
| बिजली के बिलों पर परिहार्य अधिक भुगतान | 7.3 | 96 |
| निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को अदेय लाभ | 7.4 | 99 |
| चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग | | |
| अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित व्यय | 7.5 | 101 |
| अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा वक्फ बोर्ड | | |
| ऋणों की वसूली नहीं होना | 7.6 | 103 |
| सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग | | |
| केन्द्रीय अनुदान के उपयोग का अभाव एवं पुनर्वास एवं शोध संस्थान भवन का अपूर्ण रहना | 7.7 | 106 |
| अकार्यशील सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों पर निष्फल व्यय | 7.8 | 108 |
| अकार्यशील सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों पर निष्फल व्यय | 7.9 | 111 |

| | सन्दर्भ | |
|---|----------|-------|
| | अनुच्छेद | पृष्ठ |
| जल संसाधन विभाग | | |
| भूमि अर्जन लागत की गलत गणना के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान | 7.10 | 113 |
| अतिरिक्त कार्य का अनधिकृत निष्पादन | 7.11 | 115 |

| परिशिष्ट | | |
|---------------------|---|-------|
| | | पृष्ठ |
| परिशिष्ट 6.1 | विभागों की सूची | 119 |
| परिशिष्ट 6.2 | सरकार/विभागों के प्रत्युत्तर को दर्शाने वाला विवरण | 120 |
| परिशिष्ट 7.1 | कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में विशेषज्ञों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण | 121 |
| परिशिष्ट 7.2 | मैसर्स मेट्रो मास चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड (मै. मेट्रो मास), जयपुर द्वारा रियायत शुल्क ₹ 2.34 करोड़ की कम जमा को दर्शाने वाला विवरण | 122 |
| परिशिष्ट 7.3 | मैसर्स मेट्रो मानस आरोग्य सदन चिकित्सालय एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा कम एवं देरी से जमा रियायत शुल्क पर वसूली योग्य ब्याज ₹ 48.83 लाख को दर्शाने वाला विवरण | 123 |
| परिशिष्ट 7.4 | ओपीडी और आईपीडी के बीपीएल रोगियों के उपचार के लिए देय राशि दर्शाने वाला विवरण | 124 |
| परिशिष्ट 7.5 | अनुपयोगी ऋण राशि पर ब्याज को दर्शाने वाला विवरण | 125 |
| परिशिष्ट 7.6 | सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों की नवम्बर 2020 तक की स्थिति दर्शाने वाला विवरण | 127 |
| परिशिष्ट 7.7 | सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की जुलाई 2020 तक की स्थिति दर्शाने वाला विवरण | 128 |
| परिशिष्ट 7.8 | शहरी दर पर भूमि अर्जन लागत की विस्तृत गणना दर्शाने वाला विवरण | 129 |

प्राक्कथन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में दो भागों में सात अध्याय सम्मिलित हैं। भाग-क राजस्व उपार्जन करने वाले चार विभागों की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है तथा भाग-ख चयनित सरकारी विभागों द्वारा किये गये व्यय की लेखापरीक्षा से सम्बंधित है। लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इसके अधीन जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम 2007 के प्रावधानों के अधीन की गई है। इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के पटल पर उपस्थापित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत वे हैं जो वर्ष 2019-20 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा वर्ष 2019-20 की अवधि के आगे के दृष्टांत, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के चयनित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से सम्बंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा, राजस्व मूल्यांकन, संग्रहण और समुचित आवंटन पर प्रभावी जाँच के लिए नियम एवं प्रक्रियाएं डिज़ाइन करने तथा लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से सम्बंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के समक्ष लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि लेनदेनों की प्रकृति, आकार एवं महत्व रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण स्तरों के अनुसार होने चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, प्रत्याशा करते हैं कि ये कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने एवं नीति-निर्देश बनाने में समर्थता प्रदान करें, जो कि संगठन के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु उसका मार्गदर्शन करेंगे एवं इस प्रकार उसे सुशासन में भागीदार बनायेंगे।

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं:

भाग-क में राजस्व उपार्जन विभागों यथा वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा राज्य आबकारी की लेखापरीक्षा के दौरान की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

भाग-ख में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किये गये व्ययों पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं।

भाग – क

राजस्व क्षेत्र

भाग-क में 23 अनुच्छेद हैं जिनमें ₹ 54.94 करोड़ अन्तर्निहित हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

- राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2018-19 में ₹ 1,37,873 करोड़ के समक्ष वर्ष 2019-20 में ₹ 1,40,114 करोड़ थीं। सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व राशि ₹ 74,959 करोड़ में कर राजस्व ₹ 59,245 करोड़ तथा कर-इतर राजस्व ₹ 15,714 करोड़ शामिल था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 65,155 करोड़ (विभाजन योग्य केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 36,049 करोड़ एवं सहायता अनुदान ₹ 29,106 करोड़) थीं।

(अनुच्छेद 1.1)

- मार्च 2020 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इन चार विभागों में 1,727 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 5,151 अनुच्छेद अक्टूबर 2020 के अंत तक बकाया थे जिनमें ₹ 1,053.38 करोड़ अन्तर्निहित थे।

(अनुच्छेद 1.8)

II. बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

कार्यालय द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग की 132 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं:

- शाखा हस्तान्तरण द्वारा राज्य से बाहर भेजे गये माल पर आगत कर का अधिक लाभ ₹ 0.41 करोड़ अनुमत्य किया गया।

(अनुच्छेद 2.4.1)

- रियायती मूल्य पर माल के विक्रय पर आगत कर ₹ 0.37 करोड़ अनियमित रूप से अनुमत्य किया जाना।

(अनुच्छेद 2.4.2)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा क्रय वापसियों को हिसाब में लेने में विफलता के परिणामस्वरूप रिवर्स कर ₹ 2.15 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.3)

- कर निर्धारण प्राधिकारी कुल कर दायित्व निर्धारण की गणना हेतु रिवर्स कर दायित्व को जोड़ने में विफल रहे तथा त्रुटिपूर्ण रूप से वैट के अन्तर्गत अधिक राशि ₹ 0.42 करोड़ को सीएसटी बकाया के समायोजन के लिए अग्रेषित किया।

(अनुच्छेद 2.4.4)

- गैर अनुमत्य सामान पर आगत कर का लाभ देने के परिणामस्वरूप ₹ 0.54 करोड़ के आगत कर की अनियमित स्वीकृति दी गयी।

(अनुच्छेद 2.4.5)

- एक व्यवहारी द्वारा शून्य बिक्री के साथ विवरणियां प्रस्तुत की गयी किन्तु वास्तव में अन्य पंजीकृत व्यवहारियों को माल विक्रय किया गया तथा कर संग्रहित किया गया, जिसके लिए कर दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 0.40 करोड़ एवं ब्याज ₹ 0.20 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.5)

- एक व्यवहारी द्वारा अपनी विवरणियों में सकल पण्यावर्त ₹ 13.16 करोड़ घोषित किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने 'शून्य' कर के लिए निर्धारण आदेश पारित किया जिसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 0.45 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

- राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल का उपयोग, कार्य जिसके लिए कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, में किया तथा कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 0.39 करोड़ तथा ब्याज ₹ 0.15 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.8)

- कर निर्धारण प्राधिकारियों ने प्रवेश कर आरोपण हेतु वेब आधारित एप्लीकेशन राजविस्टा पर उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश कर राशि ₹ 2.87 करोड़ तथा ब्याज ₹ 1.63 करोड़ का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.9)

- माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत अप्रयुक्त आगत कर ₹ 0.91 करोड़ के अनियमित प्रतिदाय के अतिरिक्त ब्याज ₹ 0.32 करोड़ एवं शास्ति ₹ 0.09 करोड़ का अनारोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.10.2)

III. भू-राजस्व

कार्यालय द्वारा भू-राजस्व विभाग की 99 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी। पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं:

- झालावाड जिले में उद्योग की स्थापना हेतु आवंटित भूमि को निर्धारित समय में अभिप्रेत उद्देश्य हेतु उपयोग में नहीं लिया गया। तथापि, आवंटन प्राधिकारियों द्वारा भूमि को वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.11 लाख मूल्य की भूमि अनुपयोगी रही।

(अनुच्छेद 3.4)

- जैसलमेर जिले के 26 प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति के बिना ही कृषि भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन (होटल एवं रिसोर्ट हेतु) हेतु उपयोग में ली जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क ₹ 81.94 लाख की वसूली का अभाव रहा।

(अनुच्छेद 3.5.1)

- दो तहसीलों के पांच प्रकरणों में कृषि भूमि सक्षम प्राधिकारियों की अनुमति के बिना ही आवासीय कॉलोनियों की स्थापना हेतु उपयोग में ली जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क ₹ 35.59 लाख की वसूली का अभाव रहा ।

(अनुच्छेद 3.5.2)

- कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन के संस्थागत प्रयोजनार्थ, ईंट भट्टे, विवाह स्थल हेतु उपयोग में लिए जाने तथा गलत दरें लागू करके कृषि भूमि का संपरिवर्तन करने के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क ₹ 1.27 करोड़ की वसूली का अभाव/कम वसूली रही ।

(अनुच्छेद 3.5.3)

- कृषि से संस्थागत प्रयोजनार्थ भू-उपयोग संपरिवर्तन पर गलत संपरिवर्तन दर लागू करने के परिणामस्वरूप संपरिवर्तन शुल्क ₹ 58.08 लाख की कम वसूली रही ।

(अनुच्छेद 3.5.4)

IV. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

कार्यालय द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की 84 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी । पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं :

- कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारियों में परिवर्तन पर मुद्रांक कर ₹ 23.75 लाख का अनारोपण रहा ।

(अनुच्छेद 4.4)

- मुस्तयारनामा के दस्तावेजों के विवरणों पर संज्ञान लेने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.44 करोड़ का कम आरोपण रहा ।

(अनुच्छेद 4.5)

- गलत हकदारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर ₹ 76.97 लाख की अनियमित छूट अनुमत की गई ।

(अनुच्छेद 4.6)

- ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 15.99 लाख की कम वसूली रही ।

(अनुच्छेद 4.7)

- भू-स्वामियों एवं विकासकर्ताओं के मध्य निष्पादित विकासकर्ता अनुबन्धों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 3.32 करोड़ की कम वसूली रही ।

(अनुच्छेद 4.8)

- पंजीयन प्राधिकारी साझेदारी फर्मों को अचल सम्पत्तियों के अंशदान पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 34.79 लाख का आरोपण एवं वसूली करने में विफल रहे ।

(अनुच्छेद 4.9.1)

- पंजीयन प्राधिकारी साझेदारों की सेवानिवृत्ति पर अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 64.83 लाख का आरोपण एवं वसूली करने में विफल रहे ।

(अनुच्छेद 4.9.2)

- कम्पनियों के समामेलन/पुनर्गठन पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 47.87 लाख का कम आरोपण रहा ।

(अनुच्छेद 4.10)

- अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 3.33 करोड़ का कम आरोपण रहा ।

(अनुच्छेद 4.11)

V. राज्य आबकारी

कार्यालय द्वारा राज्य आबकारी विभाग की 39 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी । पायी गयी मुख्य अनियमिततायें हैं :

- भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा के लिए रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से अतिरिक्त राशि ₹ 2.65 करोड़ की वसूली नहीं हुई ।

(अनुच्छेद 5.4)

- परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस की गलत गणना के परिणामस्वरूप राजस्व राशि ₹ 1.23 करोड़ की कम प्राप्ति ।

(अनुच्छेद 5.5)

- विभाग द्वारा सक्रिय कार्यवाई के अभाव में होटल बार अनुज्ञाधारियों से अनुज्ञा शुल्क ₹ 31 लाख की कम वसूली ।

(अनुच्छेद 5.6)

- बीयर उत्पादन के लिए ब्रेवरीज द्वारा न्यूनतम प्राप्ति दक्षता का संधारण न करने पर शास्ति ₹ 7.94 करोड़ की कम वसूली ।

(अनुच्छेद 5.7)

- देशी मदिरा समूहों से प्रतिभूति जमा एवं अग्रिम एकांकी विशेषाधिकार राशि जब्त न करने के कारण राजस्व ₹ 77.31 लाख की हानि ।

(अनुच्छेद 5.8)

- देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से मासिक गारंटी राशि की कम वसूली से राजस्व ₹ 13.37 करोड़ की हानि ।

(अनुच्छेद 5.9)

भाग - ख

व्यय क्षेत्र

VI. सामान्य

- राजस्थान सरकार के 66 विभाग, 234 स्वायत्तशासी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार¹ (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है ।

(अनुच्छेद 6.1)

- वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 22,016 इकाइयों में से 951 इकाइयों की लेखापरीक्षा आयोजित की गई । आगे, 19,693 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किये गये ।

(अनुच्छेद 6.3)

- भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों (एक्शन टेकन नोट्स) की समीक्षा में पाया गया कि 31 जनवरी 2021 को संबंधित विभागों से 13 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ लम्बित थीं ।

(अनुच्छेद 6.6)

VII. व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एक निर्माण संविदा में अतिरिक्त व्यय को राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता नियमों की अनुमत्य सीमा में रखने के लिए कतिपय मदों को अमान्य किया । बाद में, विश्वविद्यालय ने संविदा की शर्त एवं लोक निर्माण

1 दिनांक 18.05.2020 से कार्यालय के पूर्ववर्ती नाम 'प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)' को बदलकर 'महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)' किया गया है ।

वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर नई निविदा में इन मदों को उसी संवेदक से पुनः निष्पादित करवा लिया ।

(अनुच्छेद 7.1)

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना (क.रा.बी.योजना), कर्मचारियों को बीमारी, प्रसव, नौकरी के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु अथवा अपंगता तथा रोजगार जनित रोगों जैसी घटनाओं के दुष्प्रभावों के विरुद्ध रक्षा करने तथा बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गयी थी । योजना का प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) नामक निगमित निकाय द्वारा किया जाता है । योजना, योजनान्तर्गत आवरित कर्मचारियों तथा उनके नियोक्ताओं से, वेतन के नियत प्रतिशत रूप में, एकत्रित किये गए अंशदान से वित्त पोषित है । राज्य में क.रा.बी.योजना के प्रसार के लिए सभी बीमितों का आवरण एवं बीमितों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु 'ई.एस.आई.सी. 2.0' के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार कार्यान्वित नहीं किये गए । अधिकतम स्वीकार्य व्यय की निर्धारित सीमा में से अप्रयुक्त 60.63 प्रतिशत भाग का राज्य सरकार द्वारा मानव शक्ति के प्रबंधन तथा बीमितों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं हेतु उपयोग नहीं किया गया । चिकित्सा विशेषज्ञों/अधिकारियों एवं पैराचिकित्सा कर्मियों जैसे-नर्सिंग स्टाफ, भेषजज्ञ आदि की कमी के कारण चिकित्सालय/औषधालय अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर सके । चिकित्सालयों/औषधालयों में आधारिक संरचना व प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव था । इसके परिणामस्वरूप, ओ.पी.डी./आई.पी.डी. में आने वाले रोगियों की संख्या में कमी हुई तथा रोगियों को आधारभूत जांच/परीक्षण एवं विशेषज्ञ सुविधाओं हेतु अनुबंधित/राजकीय चिकित्सालयों को रेफर करना पड़ा । यद्यपि क.रा.बी.निगम ने चिकित्सालय प्रबंधन हेतु आई.टी. परियोजना प्रारंभ की जिसे क.रा.बी.योजना द्वारा पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सका । योजना के अंतर्गत चिकित्सालय/औषधालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 58 (5) के अंतर्गत क.रा.बी.समिति का गठन किया जाना था । इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारित अधिकतम सीमा तक सम्पूर्ण व्यय तीन वर्ष के लिए क.रा.बी.निगम वहन करेगा, राज्य सरकार द्वारा सहायक समिति का गठन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.2)

- चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत भार में वृद्धि हेतु आवेदन करने में विफल रहने के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सालयों द्वारा डिमान्ड सरचार्ज का परिहार्य भुगतान तथा विद्युत शुल्क का अनियमित भुगतान कुल राशि ₹ 1.40 करोड़ ।

(अनुच्छेद 7.3)

- चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर कार्यवाही के अभाव में रियायत शुल्क और भुगतान में विलम्ब पर दंडात्मक ब्याज की कम प्राप्ति, अप्रयुक्त बी.पी.एल. कोटे से संबंधित राशि की कम वसूली एवं परिणामस्वरूप निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को अदेय लाभ पहुँचने से राज्य सरकार को ₹ 5.09 करोड़ के राजस्व की हानि ।

(अनुच्छेद 7.4)

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियमों के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर ₹ 3.72 करोड़ का अनियमित व्यय ।

(अनुच्छेद 7.5)

- अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा वक्फ बोर्ड द्वारा लाभार्थियों से ऋण की वसूली में विफलता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को पुनर्भुगतान के लिये निधियों के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ का परिहार्य दंडात्मक ब्याज ।

(अनुच्छेद 7.6)

- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में निदेशालय भवन के निर्माण स्थल को परिवर्तित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय और पुनर्वास एवं शोध संस्थान भवन के अपूर्ण रहने के कारण न केवल ₹ 3.27 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान अनुपयोगी रहा एवं ₹ 5.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि लाभार्थियों को आठ से अधिक वर्षों के व्यतीत होने के उपरांत भी अभिप्रेत लाभों से वंचित होना पड़ा ।

(अनुच्छेद 7.7)

- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में उपापन नियमों की पालना न करने और कमजोर अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अकार्यशील रहे सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों पर ₹1.24 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(अनुच्छेद 7.8)

- सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में अनुबन्ध निष्पादन और निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित उपापन नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप अकार्यशील रहे 256 सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों पर ₹ 2.98 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(अनुच्छेद 7.9)

- जल संसाधन विभाग ने शहरी क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर का भुगतान करते समय गलत ढंग से ग्रामीण क्षेत्र का गुणक कारक प्रयुक्त किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ।

(अनुच्छेद 7.10)

- जल संसाधन विभाग में लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का घोर उल्लंघन करके ₹ 1.55 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों का अनधिकृत निष्पादन ।

(अनुच्छेद 7.11)

भाग - क
राजस्व क्षेत्र

अध्याय I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनु रूप आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.1


(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व | | | | | |
| | • कर राजस्व ¹ | 42,712.92 | 44,371.66 | 50,605.41 | 57,380.34 | 59,244.98 |
| | • कर-इतर राजस्व ² | 10,927.87 | 11,615.57 | 15,733.72 | 18,603.01 | 15,714.16 |
| | योग | 53,640.79 | 55,987.23 | 66,339.13 | 75,983.35 | 74,959.14 |
| 2 | भारत सरकार से प्राप्तियां | | | | | |
| | • विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग ³ | 27,915.93 | 33,555.86 | 37,028.01 | 41,852.35 | 36,049.14 |
| | • सहायतार्थ अनुदान ⁴ | 18,728.40 | 19,482.91 | 23,940.04 | 20,037.32 | 29,105.53 |
| | योग | 46,644.33 | 53,038.77 | 60,968.05 | 61,889.67 | 65,154.67 |
| 3 | राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2) | 1,00,285.12 | 1,09,026.00 | 1,27,307.18 | 1,37,873.02 | 1,40,113.81 |
| 4 | 1 का 3 से प्रतिशत | 53 | 51 | 52 | 55 | 53 |

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 74,959.14 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,40,113.81 करोड़) का 53 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019-20 में शेष 47 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी।

- 1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.2 देखें।
- 2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका 1.3 देखें।
- 3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरण संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005-केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020- निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क प्राप्तियां एवं अन्य विभाजित होने वाले संघीय कर सम्मिलित है।
- 4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में मुख्य शीर्ष 1601 देखें।



1.1.2 अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | राजस्व शीर्ष | संशोधित अनुमान वास्तविक | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2019-20 में 2018-19 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता |
|---------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 1 | बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर | संशोधित अनुमान | 27,635.00 | 27,767.60 | 18,800.00 | 15,900.00 | 19,262.16 | |
| | | वास्तविक | 24,878.67 | 27,151.54 | 18,285.44 | 14,225.31 | 15,361.61 | (+) 7.98 |
| | केन्द्रीय बिक्री कर | संशोधित अनुमान | 1,615.00 | 1,227.40 | 700.00 | 600.00 | 737.83 | |
| | | वास्तविक | 1,466.10 | 1,406.88 | 722.80 | 565.65 | 481.15 | (-) 14.94 |
| 2 | राज्य वस्तु एवं सेवा कर | संशोधित अनुमान | - | - | 11,700.00 | 23,500 | 25,605.23 | |
| | | वास्तविक | - | - | 12,137.02 | 22,938.33 | 21,954.17 | (-) 4.29 |
| 3 | आबकारी शुल्क | संशोधित अनुमान | 6,350.00 | 7,600.00 | 7,800.00 | 9,300 | 10,500.00 | |
| | | वास्तविक | 6,712.94 | 7,053.68 | 7,275.83 | 8,694.10 | 9,591.63 | (+) 10.32 |
| 4 | मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क | संशोधित अनुमान | 105.00 | 103.34 | 92.58 | 104.07 | 84.79 | |
| | | वास्तविक | 97.45 | 73.94 | 59.78 | 60.70 | 61.88 | (+)1.94 |
| | मुद्रांक-गैर न्यायिक | संशोधित अनुमान | 2,785.00 | 2,701.00 | 3,346.15 | 4,035.94 | 4,615.82 | |
| | | वास्तविक | 2,574.88 | 2,502.86 | 3,070.79 | 3,255.34 | 3,544.91 | (+) 8.90 |
| | पंजीयन शुल्क | संशोधित अनुमान | 560.00 | 445.66 | 611.27 | 609.99 | 649.37 | |
| | | वास्तविक | 561.67 | 476.45 | 544.21 | 569.99 | 627.94 | (+) 10.17 |
| 5 | मोटर वाहनों पर कर | संशोधित अनुमान | 3,300.00 | 3,650.00 | 4,300.00 | 5,000 | 5,650.00 | |
| | | वास्तविक | 3,199.44 | 3,622.83 | 4,362.97 | 4,576.45 | 4,950.98 | (+) 8.18 |

| क्र.सं. | राजस्व शीर्ष | संशोधित अनुमान वास्तविक | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2019-20 में 2018-19 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता |
|--|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 6 | विद्युत पर कर एवं शुल्क | संशोधित अनुमान | 2,000.00 | 2,172.00 | 3,500.00 | 2,339.50 | 2,804.01 | |
| | | वास्तविक | 1,921.29 | 738.24 | 3,376.67 | 2,147.95 | 2,262.77 | (+) 5.35 |
| 7 | भू-राजस्व | संशोधित अनुमान | 320.00 | 359.01 | 566.71 | 463.16 | 404.98 | |
| | | वास्तविक | 272.4 | 314.69 | 363.86 | 289.94 | 364.49 | (+) 25.71 |
| 8 | माल एवं यात्रियों पर कर | संशोधित अनुमान | 800.00 | 750.00 | 328.00 | 37.57 | 35.00 | |
| | | वास्तविक | 847.72 | 803.28 | 340.78 | 50.79 | 41.12 | (-) 19.03 |
| 9 | वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क | संशोधित अनुमान | 171.79 | 200.00 | 62.00 | 28.38 | 24.03 | |
| | | वास्तविक | 170.96 | 220.08 | 63.93 | 5.14 | 1.01 | (-) 80.35 |
| 10 | अन्य कर* इत्यादि | संशोधित अनुमान | 50.20 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | |
| | | वास्तविक | 9.32 | 7.19 | 1.33 | 0.65 | 1.32 | (+) 103.08 |
| | योग | संशोधित अनुमान | 45,691.99 | 46,986.01 | 51,816.71 | 61,928.61 | 70,374.22 | |
| | | वास्तविक | 42,712.92 | 44,371.66 | 50,605.41 | 57,380.34 | 59,244.98 | (+) 3.25 |
| पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत | | | 10.45 | 3.88 | 14.05 | 13.39 | 3.25 | |


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

यद्यपि, विगत पांच वर्षों से कुल कर राजस्व में लगातार वृद्धि रही, किन्तु संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर संग्रहण प्रत्येक वर्ष कम रहा। कर राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2017-18 से कम हो रहा है एवं यह कमी वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान अधिक रही।

संबंधित विभागों ने सूचित किया कि केन्द्रीय बिक्री कर (14.94 प्रतिशत) एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर (4.29 प्रतिशत) से राजस्व में कमी कोविड-19 महामारी, वाहनों पर करों में वृद्धि (8.18 प्रतिशत) गत वर्ष के समक्ष उच्च राजस्व लक्ष्य का आवंटन और राज्य आबकारी में वृद्धि (10.32 प्रतिशत) आबकारी शुल्क, लाइसेंस शुल्क, ईपीए एवं कम्पोजिट शुल्क में वृद्धि के कारण रही।

वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य का राजस्व एवं कर राजस्व का संयोजन चार्ट 2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2: राज्य का राजस्व



*अन्य कर राजस्वों में भू-राजस्व, माल एवं यात्रियों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क एवं अन्य कर सम्मिलित है।

5 अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर (पेशे, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर) के साथ कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल है।

1.1.3 वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3

(₹ करोड़ में)

| राजस्व शीर्ष | संशोधित अनुमान वास्तविक | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2019-20 में 2018-19 पर वृद्धि (+)/कमी (-) की प्रतिशतता |
|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| अलौह स्ननन एवं धातु कर्म उद्योग | संशोधित अनुमान | 4,250.00 | 4,200.00 | 4,900.00 | 6,000.00 | 6,600.00 | |
| | वास्तविक | 3,782.13 | 4,233.74 | 4,521.52 | 5,301.48 | 4,579.09 | (-) 13.63 |
| ब्याज प्राप्तियां | संशोधित अनुमान | 1,860.58 | 2,002.97 | 4,924.14 | 5,810.44 | 4,039.38 | |
| | वास्तविक | 1,982.39 | 1,933.37 | 4,858.90 | 5,790.87 | 3,851.99 | (-) 33.48 |
| विविध सामान्य सेवायें | संशोधित अनुमान | 885.72 | 859.39 | 888.31 | 1,171.34 | 1,150.93 | |
| | वास्तविक | 700.90 | 660.70 | 762.36 | 783.86 | 915.51 | (+) 16.79 |
| पुलिस | संशोधित अनुमान | 213.00 | 220.15 | 333.73 | 360.95 | 428.51 | |
| | वास्तविक | 162.02 | 190.78 | 296.56 | 345.38 | 641.68 | (+) 85.79 |
| अन्य प्रशासनिक सेवायें | संशोधित अनुमान | 162.44 | 222.35 | 228.41 | 258.82 | 264.87 | |
| | वास्तविक | 161.98 | 210.51 | 207.55 | 246.49 | 207.16 | (-) 15.96 |
| वृहद एवं मध्यम सिंचाई | संशोधित अनुमान | 112.50 | 129.79 | 90.30 | 115.26 | 127.26 | |
| | वास्तविक | 68.72 | 112.77 | 277.72 | 179.31 | 77.19 | (-) 56.95 |
| वानिकी एवं वन्य जीवन | संशोधित अनुमान | 111.65 | 123.95 | 173.82 | 154.01 | 145.18 | |
| | वास्तविक | 133.75 | 113.00 | 182.26 | 147.45 | 109.47 | (-) 25.76 |
| सार्वजनिक निर्माण | संशोधित अनुमान | 79.51 | 95.30 | 107.37 | 126.50 | 251.80 | |
| | वास्तविक | 97.89 | 84.31 | 109.26 | 125.92 | 91.91 | (-) 27.01 |
| चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य | संशोधित अनुमान | 108.99 | 115.74 | 152.34 | 166.01 | 221.44 | |
| | वास्तविक | 119.21 | 125.39 | 130.67 | 163.59 | 238.16 | (+) 45.58 |
| सहकारिता | संशोधित अनुमान | 14.52 | 41.25 | 47.75 | 29.02 | 35.51 | |
| | वास्तविक | 14.64 | 44.10 | 63.11 | 22.24 | 9.11 | (-) 59.04 |
| अन्य कर- इतर प्राप्तियां ⁶ | संशोधित अनुमान | 4,072.75 | 4,458.43 | 4,813.11 | 5,774.05 | 6,332.52 | |
| | वास्तविक | 3,704.24 | 3,906.90 | 4,323.81 | 5,496.42 | 4,992.89 | (-) 9.16 |
| योग | संशोधित अनुमान | 11,871.66 | 12,469.32 | 16,659.28 | 19,966.44 | 19,597.40 | |
| | वास्तविक | 10,927.87 | 11,615.57 | 15,733.72 | 18,603.01 | 15,714.16 | (-) 15.53 |
| पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत | | (-) 17.40 | 6.29 | 35.45 | 18.23 | (-) 15.53 | |

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखों।

6 अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2019-20 में कर-इतर राजस्व संग्रहण संशोधित अनुमान से कम रहा एवं विगत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में (15.53 प्रतिशत) कमी रही। विभाग ने सूचित किया कि यह मुख्य रूप से उदय⁷ (33.48 प्रतिशत) के अंतर्गत विद्युत कंपनियों को दिये गये ऋण पर 'ब्याज प्राप्तियों' में कमी के कारण थी। इसके अतिरिक्त राजस्व में कमी अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (13.63 प्रतिशत) एवं 'वानिकी एवं वन्य जीवन' (25.76 प्रतिशत) में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप कमी थी। आगे, 'पुलिस' शीर्ष में वृद्धि (85.79 प्रतिशत) अन्य राज्य सरकारों, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों, निजी कम्पनियों और अन्य एजेन्सियों हेतु तैनात पुलिस से अधिक प्राप्ति के कारण रही एवं विविध सामान्य सेवाओं (16.79 प्रतिशत) में वृद्धि वर्ष 2019-20 के दौरान सरकारी गारंटीयों में वृद्धि के परिणामस्वरूप गारंटी कमीशन की प्राप्ति में बढ़ोतरी के कारण रही।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2020 को राजस्व बकाया की राशि ₹ 23,926.61 करोड़ थी, इसमें से ₹ 3,343.89 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4

(₹ करोड़ में)


| क्र.सं. | राजस्व शीर्ष | 1 अप्रैल 2019 को कुल बकाया राशि | 31 मार्च 2020 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी का प्रतिशत | | 31 मार्च 2020 को पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|--|
| 1 | वाणिज्यिक कर* | 21,330.59 | 21,820.33 | (+) 2.30 | 2,822.05 |
| 2 | परिवहन ⁸ | 63.10 | 64.14 | (+) 1.65 | 37.45 |
| 3 | भू-राजस्व* | 258.19 | 179.69 | (-) 30.40 | 80.02 |
| 4 | पंजीयन एवं मुद्रांक | 494.72 | 1,339.42 | (+) 170.74 | 119.15 |
| 5 | राज्य आबकारी | 194.52 | 201.58 | (+) 3.63 | 193.55 |
| 6 | स्नान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम | 240.04 | 321.45 | (+) 33.91 | 91.67 |
| योग | | 22,581.16 | 23,926.61 | (+) 5.96 | 3,343.89 |

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

7 उज्जवल डिसकोम एश्योरेन्स योजना।

8 *31 मार्च 2019 के अंत में दिखाई गयी कुल बकाया राशि से दिनांक 1 अप्रैल 2019 को दिखाई गयी बकाया राशि में अंतर था (परिवहन ₹ 2.09 करोड़, भू राजस्व ₹ 220.61 करोड़ और वाणिज्यिक कर विभाग ₹ 10005.19 करोड़)। भू राजस्व विभाग ने सूचित किया कि अन्तर का कारण वर्ष 2018-19 की मांगों के शामिल होने से था एवं 1 अप्रैल 2019 के बकाया वास्तविक थे। शेष विभागों से अन्तर के कारण प्राप्त नहीं हुए।

राशि किन स्तरों पर संग्रह के लिए बकाया थी इसकी सूचना मांगी गई लेकिन प्राप्त नहीं हुई (मार्च 2021)।



1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5

| विभाग का नाम | प्रारम्भिक शेष | वर्ष 2019-20 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये प्रकरण | कुल बकाया निर्धारण | वर्ष 2019-20 के दौरान निस्तारित प्रकरण | वर्ष के अन्त में शेष | निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से) |
|----------------------------------|----------------|--|--------------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| वाणिज्यिक कर | 39 | 5,30,677 | 5,30,716 | 5,30,698 | 18 | 99.99 |
| पंजीयन एवं मुद्रांक ⁹ | 4,980 | 8,691 | 13,671 | 8,549 | 5,122 | 62.53 |
| खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम | 5,581 | 11,627 | 17,208 | 8,409 | 8,799 | 48.87 |
| परिवहन | 1,938 | 22,236 | 24,174 | 22,637 | 1,537 | 93.64 |

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

9 न्यायनिर्णीत प्रकरण।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिकतर प्रकरणों, जिनमें स्वःकर निर्धारण योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये गये प्रकरण भी सम्मिलित है, का निस्तारण करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। वाणिज्यिक कर विभाग की तुलना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में प्रकरणों का निस्तारण काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान कर अपवंचना के 285 प्रकरण ध्यान में आये, जिसमें से 234 प्रकरणों में निर्धारण/जांच पूर्ण की गई। इसके अतिरिक्त, 2019-20 तक शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 5,123.79 करोड़ की मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 4311.41 करोड़ की वसूली की गई। खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 2019-20 के दौरान कर अपवंचना के 87 प्रकरण ध्यान में आये, जिसमें से 80 प्रकरणों में निर्धारण/जांच पूर्ण की गई। इसके अतिरिक्त, 2019-20 तक शास्ति, इत्यादि सहित राशि ₹ 52.25 करोड़ की मांग कायम की गई, जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 2.74 करोड़ की वसूली की गई।

1.5 प्रतिदाय के बकाया प्रकरण

संबंधित विभागों की सूचना अनुसार विभागों द्वारा बताये अनुसार वर्ष 2019-20 के प्रारम्भ में प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय एवं वर्ष 2019-20 के अन्त में बकाया प्रकरणों की संख्या तालिका 1.6 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.6

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं | विवरण | वाणिज्यिक कर | | पंजीयन एवं मुद्रांक | | परिवहन | | खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम | |
|---------|---|--------------------|--------|---------------------|-------|--------------------|------|--------------------------------|------|
| | | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 1 | वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे | 181 | 103.42 | 974 | 5.27 | 412 | 1.98 | 17 | 2.17 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त दावे | 5,930 | 412.64 | 1,937 | 13.96 | 537 | 2.78 | 10 | 0.78 |
| 3 | (i) वर्ष के दौरान निपटाये प्रतिदाय प्रकरण | 3,135 | 203.03 | 1,861 | 9.22 | 367 | 2.08 | 4 | 0.25 |
| | (ii) अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या | 1,686 | 182.51 | 63 | 0.07 | 28 | 0.11 | 0 | 0 |
| 4 | वर्ष के अन्त में बकाया प्रकरण | 1,290 | 130.52 | 987 | 9.94 | 554 | 2.57 | 23 | 2.70 |

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

विभागों को प्रतिदाय के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए। यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये प्रतिदाय के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी।

1.6 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

संविधान के अनुच्छेद 149 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हे संसद द्वारा बनायी गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। संसद द्वारा 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम (सीएजी डीपीसी अधिनियम) पारित किया गया। सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह भारत की और प्रत्येक राज्य की और प्रत्येक ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें विधानसभा है, की उन सभी प्राप्तियों (राजस्व एवं पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करे एवं अपने आपको संतुष्ट कर लें कि उस बारे में सभी नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन की प्रभावपूर्ण जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिये परिकल्पित है और उसका सम्यक रूप से अनुपालन किया जा रहा है। भारत के सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा और लेखाओं पर विनियमन, 2007 जैसा कि वर्ष 2020 में संशोधित किया गया है एवं लेखापरीक्षा मानक 2017, प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के सिद्धान्तों को निर्धारित करते हैं।

1.7 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना का जोखिम विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु यथा बजट उदघोषणा, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केंद्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व अर्जन का सांस्थिकीय विश्लेषण, विगत पांच वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा की व्याप्ति एवं इसके प्रभाव सम्मिलित हैं, के आधार पर किया गया है। वर्ष 2019-20 में वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, एवं राज्य आबकारी विभाग में कुल 1,829 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयां थीं। जिनमें से, वर्ष के दौरान 391 इकाईयों की योजना बनायी गयी एवं 379 इकाईयों की (6,451 मानवदिवस उपयोजित) लेखापरीक्षा की गयी जो कि कुल लेखापरीक्षित इकाईयों की 20.72 प्रतिशत थी। कमी का कारण कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लाकॅडाउन का लगना रहा।

1.8 लेखापरीक्षा आक्षेपों पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं लेन-देनों की नमूना जांच के लिये महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। निरीक्षण के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पायी

गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष को एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है। उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

मार्च 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले चार विभागों के 1,727 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित राशि ₹ 1,053.38 करोड़ के 5,151 अनुच्छेद अक्टूबर 2020 के अन्त में बकाया थे। जून 2020 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7


| विवरण | जून 2018 (दिसम्बर 2017 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन) | जून 2019 (दिसम्बर 2018 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन) | जून 2020 (दिसम्बर 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन) | अक्टूबर 2020 (मार्च 2020 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन) |
|--|---|---|---|--|
| निस्तारण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | 2,179 | 1,720 | 1,701 | 1,727 |
| बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या | 6,100 | 5,097 | 5,100 | 5,151 |
| सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में) | 1,208.54 | 1,204.29 | 1,063.82 | 1,053.38 |

1.8.1 31 अक्टूबर 2020 के अंत में बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागवार विवरण तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8

| क्र.सं. | विभाग का नाम | प्राप्तियों की प्रवृत्ति | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या | सन्निहित राशि (₹ करोड़ में) |
|---------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | वाणिज्यिक कर | बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर | 428 | 1,579 | 376.79 |
| 2 | भू-राजस्व | भू-राजस्व | 101 | 489 | 224.97 |
| 3 | पंजीयन एवं मुद्रांक | मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क | 1,070 | 2,775 | 365.04 |
| 4 | राज्य आबकारी | राज्य आबकारी शुल्क | 128 | 308 | 86.58 |
| योग | | | 1,727 | 5,151 | 1,053.38 |

तालिका से देखा जा सकता है कि लंबित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में अधिकतम है जबकि लंबित अनुच्छेदों में सम्मिलित राशि वाणिज्यिक कर विभाग में अधिकतम है।



1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों¹⁰ का गठन किया। वर्ष 2019-20 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.9 में उल्लेखित है:

तालिका 1.9

| क्र. सं. | विभाग का नाम | लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या | लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या | निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|----------|---------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| 1 | वाणिज्यिक कर | 2 | 5 | 81 | 0.21 |
| 3 | भू-राजस्व | 3 | 5 | 13 | 2.42 |
| 4 | पंजीयन एवं मुद्रांक | 2 | 10 | 422 | 30.78 |
| 5 | राज्य आबकारी | 2 | 2 | 33 | 2.80 |
| | योग | 9 | 22 | 549 | 36.21 |

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 36.21 करोड़ के 549 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया। भू-राजस्व और राज्य आबकारी विभागों को बकाया

10 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी किया गया है।

अनुच्छेदों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा समिति/उप-समिति की और अधिक बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।

1.8.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेद महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों¹¹ के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुये भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें। सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

40 प्रारूप अनुच्छेद (प्रतिवेदन के 23 अनुच्छेदों में संकलित), संबंधित चार विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को जून और नवम्बर 2020 के मध्य प्रेषित किये गये थे। तथापि, दो प्रारूप अनुच्छेदों¹² का जबाव प्रतीक्षित है (मार्च 2021)

1.8.4 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधानसभा की जनलेखा समिति के वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए। इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थीं। राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 138 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 29 मार्च 2016 से 21 अगस्त 2020 के मध्य प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन अनुच्छेदों की क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की प्राप्ति में विलम्ब छः से 103 दिवस के बीच था। जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 89 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 63 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को ग्यारह¹³ प्रतिवेदनों (2019-20) में सम्मिलित किया गया।

11 कर संग्रहण करने वाले चार विभाग अर्थात् वाणिज्यिक कर, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक एवं राज्य आबकारी विभाग।

12 भू - राजस्व विभाग।

13 ग्यारह प्रतिवेदन: वाणिज्यिक कर (2), भू - राजस्व (2), मोटर वाहन कर (2), पंजीयन एवं मुद्रांक (1), राज्य आबकारी (2) खान एवं भू-विज्ञान (2) से सम्बंधित है।

1.9 भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये, भू-राजस्व विभाग के संबंध में विगत पांच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन किया गया।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर भू-राजस्व विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.9.1 से 1.9.2 में की गयी है।

1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

भू-राजस्व विभाग के अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10

(₹ करोड़ में)

| वर्ष तक स्थिति | प्रारम्भिक शेष | | | वर्ष के दौरान वृद्धि | | | वर्ष के दौरान निस्तारण | | | वर्ष के अन्त में शेष | | |
|--------------------------|----------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|------------------------|----------|--------|----------------------|----------|--------|
| | नि.प्र. | अनुच्छेद | राशि | नि.प्र. | अनुच्छेद | राशि | नि.प्र. | अनुच्छेद | राशि | नि.प्र. | अनुच्छेद | राशि |
| 2015-16 | 113 | 300 | 441.70 | 10 | 98 | 8.75 | 29 | 84 | 140.74 | 94 | 314 | 309.71 |
| 2016-17 | 94 | 314 | 309.71 | 13 | 137 | 50.14 | 22 | 110 | 60.90 | 85 | 341 | 298.95 |
| 2017-18 | 85 | 341 | 298.95 | 12 | 65 | 8.52 | 20 | 94 | 23.36 | 77 | 312 | 284.11 |
| 2018-19 | 77 | 312 | 284.11 | 13 | 101 | 53.38 | 01 | 55 | 7.71 | 89 | 358 | 329.78 |
| 2019-20 (जून 2020 तक) | 89 | 358 | 329.78 | 17 | 211 | 131.72 | 05 | 80 | 236.53 | 101 | 489 | 224.97 |

वर्ष 2019-20 के दौरान, तीन लेखापरीक्षा समिति एवं पांच लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन हुआ लेकिन केवल तेरह अनुच्छेदों का निस्तारण हुआ। बकाया नि.प्र. एवं अनुच्छेदों की अधिक संख्या को देखते हुए इस सम्बन्ध में स्थिति में सुधार हेतु अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.9.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित भू-राजस्व विभाग से संबंधित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गए और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11

(₹ करोड़ में)

| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष | सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या | अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य | स्वीकार किये गये अनुच्छेदों की संख्या | स्वीकार किये गये अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य | वर्ष 2019-20 के दौरान वसूल की गयी राशि | स्वीकार किये गये प्रकरणों में 31 मार्च 2020 तक वसूली की समेकित स्थिति |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| 2014-15 | 4 | 4.73 | 4 | 4.25 | 0.00 | 2.87 |
| 2015-16 | 5 | 51.19 | 5 | 51.16 | 0.06 | 46.28 ¹⁴ |
| 2016-17 | 2 | 176.44 | 2 | 176.44 | 0.12 | 0.43 |
| 2017-18 | 2 | 2.80 | 2 | 2.80 | 0.00 | 0.79 |
| 2018-19 | 2 | 4.21 | 2 | 3.89 | 0.23 | 0.23 |
| योग | 15 | 239.37 | 15 | 238.54 | 0.41 | 50.60 |

कुल आक्षेपित राशि ₹ 239.37 करोड़ के समक्ष विभाग द्वारा ₹ 238.54 करोड़ स्वीकार किये गये, जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 50.60 करोड़ वसूल की गयी। अनुच्छेदों की स्वीकार की गयी राशि में से केवल 21.21 प्रतिशत की वसूली की गयी।

यह अनुशंसा की जाती है कि भू-राजस्व विभाग को स्वीकार की गई राशि की वसूली प्राथमिकता पर करने के लिये कदम उठाने चाहिए।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

379 लेखा परीक्षित इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 5,954 प्रकरणों में ₹ 193.91 करोड़ राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 5,239 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 378.58 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 39.43 करोड़ राशि के 1,386 प्रकरण वर्ष 2019-20 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। 31 मार्च 2020 तक संबंधित विभागों ने 2,723 प्रकरणों में ₹ 35.36 करोड़ वसूल किये।

1.11 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत्त क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 23 अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 54.94 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय-II से V में की गई है। विभागों/सरकार ने ₹ 41.25 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की तथा शेष प्रकरणों में जवाब प्रतीक्षित (मार्च 2021) है। स्वीकार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से विभागों द्वारा मार्च 2021 तक ₹ 11.06 करोड़ राशि की वसूली की गई जो कि वर्ष 2019-20 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹ 35.36 करोड़) के अतिरिक्त थी। इसके अलावा,

14 ₹ 46.28 करोड़ में से ₹ 41.46 करोड़ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुच्छेद संख्या 4.5 (भूमि का सरकार को अप्रत्यावर्तन) से सम्बंधित है। विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा सुझाव के अनुरूप ही कार्यवाही की है।

सम्बंधित विभागों ने वर्ष 2019-20 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित आक्षेपों के संबंध में ₹ 34.68 करोड़ की वसूली की। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 81.10 करोड़ थी।

अध्याय II
बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि
पर कर

अध्याय-11: बिक्री, व्यापार, आपूर्तियों, इत्यादि पर कर

2.1 कर प्रशासन

राज्य के करदाताओं द्वारा संबंधित कानूनों के अन्तर्गत देय माल और सेवा कर/मूल्य परिवर्धित कर/केंद्रीय बिक्री कर/प्रवेश कर से प्राप्तियां सरकार के स्तर पर प्रमुख शासन सचिव (वित्त) द्वारा प्रशासित की जाती हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग) का प्रमुख होता है और 23 अतिरिक्त आयुक्त, 46 उपायुक्त, 91 सहायक आयुक्त, 136 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 405 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और एक वित्तीय सलाहकार उसे कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा संबंधित कर कानूनों और नियमों के प्रशासन के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाती है।

2.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। इसमें 17 आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान आयोजित आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका 2.1

| वर्ष | लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयों का प्रारम्भिक शेष | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिये बकाया इकाइयां | लेखापरीक्षा के लिये कुल बकाया इकाइयां | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां | लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां | कमी (प्रतिशत में) |
|---------|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 2015-16 | 252 | 413 | 665 | 181 | 484 | 73 |
| 2016-17 | 484 | 468 | 952 | 426 | 526 | 55 |
| 2017-18 | 526 | 468 | 994 | 526 | 468 | 47 |
| 2018-19 | 468 | 467 | 935 | 847 | 88 | 9 |
| 2019-20 | 88 | 467 | 555 | 486 | 69 | 12 |

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

विभाग ने अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार किया है तथा लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों की संख्या में वर्ष 2015-16 के बाद से उल्लेखनीय कमी हुई है। विभाग को इकाइयों की लक्षित संख्या को पूर्ण करने के लिये इस कार्यप्रणाली को भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

यह देखा गया कि 31 मार्च 2020 को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 11,826 अनुच्छेद बकाया थे। वर्षवार विवरण निम्न तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2

| वर्ष | 2014-15 तक | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | योग |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| अनुच्छेद | 4,677 | 520 | 585 | 1,666 | 1,635 | 2,743 | 11,826 |

स्रोत: वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी सूचना।

11,826 अनुच्छेदों में से 4,677 अनुच्छेद अनुपालना/सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में पांच साल से अधिक समय से बकाया थे। विभाग को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्षों पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में सुधार हो तथा राजस्व संग्रह को अधिकतम किया जा सके।

2.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वाणिज्यिक कर विभाग में 485 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं, इनमें से लेखापरीक्षा ने 132 इकाइयों, जिनमें 4.31 लाख कर-निर्धारण किये गये, का वर्ष 2019-20 के दौरान नमूना जांच के लिए चयन किया। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 12,494 (लगभग 3 प्रतिशत) कर निर्धारणों की नमूना जांच की तथा 613 प्रकरण (लेखापरीक्षा नमूनों का लगभग 4.91 प्रतिशत) कर/ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण, आगत कर की अनियमित स्वीकृति, घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण, निवेश अनुदान की अनियमित स्वीकृति, कर की गलत दर लगाया जाना एवं नियमों/अधिनियमों के प्रावधानों की अनुपालना न करने आदि के देखे गये जिनमें राशि ₹ 71.23 करोड़ शामिल थी। ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं, क्योंकि यह अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। लेखापरीक्षा में समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां पूर्व वर्षों में भी दर्शाई गई थी, तथापि न केवल ये अनियमितताएं बनी रही बल्कि आगामी लेखापरीक्षा तक ध्यान में नहीं आ सकी। पाई गयी अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गई तालिका 2.3 में निम्न श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 2.3

| | | | (₹ करोड़ में) |
|---------|---|--------------------|---------------|
| क्र.सं. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 1 | कर का अवनिर्धारण | 234 | 25.28 |
| 2 | त्रुटिपूर्ण वैधानिक प्रपत्र स्वीकार करना | 1 | 0.09 |
| 3 | क्रय/विक्रय को छुपाने के कारण कर की अपवंचना | 85 | 15.05 |
| 4 | आगत कर को अनियमित/गलत/अधिक स्वीकृत करना | 128 | 10.53 |
| 5 | अन्य अनियमिततायें: | | |
| | (i) राजस्व से संबंधित | 152 | 20.21 |
| | (ii) व्यय से संबंधित | 13 | 0.07 |
| | योग | 613 | 71.23 |

वर्ष 2019-20 के दौरान, विभाग ने 1,170 प्रकरणों में ₹ 56.87 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से 128 प्रकरण जिनमें ₹ 0.95 करोड़ की राशि शामिल थी, वर्ष 2019-20 में लेखापरीक्षा के दौरान जबकि शेष प्रकरण पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने 245 प्रकरणों में ₹ 16.36 करोड़ वसूल/समायोजित किये, जिनमें से राशि ₹ 14.36 लाख के 14 प्रकरण वर्ष 2019-20 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (नवम्बर 2019 एवं मार्च 2020 के बीच) के पश्चात छः व्यवहारियों से मुक्ति शुल्क के अनारोपण, आगत कर की अनियमित स्वीकृति एवं अंतर्राज्यीय बिक्री के अवनिर्धारण से संबंधित आक्षेपित राशि ₹ 0.91 करोड़ में से ₹ 0.88 करोड़ स्वीकार कर वसूल/समायोजित किए (जून 2020 एवं अक्टूबर 2020 के बीच) जबकि ₹ 0.03 करोड़ वसूल किये जाने शेष थे। इन अनुच्छेदों की चर्चा इस प्रतिवेदन में नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण जिनमें ₹ 10.72 करोड़ सन्निहित हैं, की चर्चा अनुवर्ती अनुच्छेदों में की गई है। इस संबंध में यह उल्लेख करना भी उचित है कि इनमें से अधिकांश मुद्दे पूर्व में भी उठाये जा चुके हैं तथा गत वर्षों के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में प्रकाशित किये गये हैं जिनमें सरकार द्वारा आक्षेपों को स्वीकार किया गया तथा कार्यवाही/वसूली आरम्भ की गई। यद्यपि यह देखा गया है कि विभाग द्वारा मात्र उन्हीं प्रकरणों में कार्यवाही की गई जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे तथा विभाग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफलता से समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

2.4 आगत कर का लाभ

2.4.1 आगत कर का अनियमित लाभ दिया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय शाखा हस्तान्तरण द्वारा राज्य से बाहर भेजे गये माल पर आगत कर का अधिक लाभ अनुमत्य किया

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (वैट) अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अनुसार पंजीकृत व्यवहारियों को राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से किसी कर योग्य माल के क्रय पर आगत कर का लाभ इस हेतु निर्धारित तरीके एवं सीमा तक दिया जावेगा। राज्य सरकार ने वैट अधिनियम की धारा 18(4) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 द्वारा किसी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये ऐसे माल, जो किसी वस्तु के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया गया हो, तथा ऐसे निर्मित माल का शाखा हस्तान्तरण के माध्यम से राज्य के बाहर प्रेषण किया गया हो, पर राज्य में चुकाये गये कर पर चार प्रतिशत से अधिक के आगत कर लाभ के दावे को अनुमत्य किया था। इसके अतिरिक्त, वैट अधिनियम की धारा 61(2)(ब) के अनुसार यदि किसी व्यवहारी द्वारा आगत कर का गलत लाभ लिया जाता है तो कर निर्धारण प्राधिकारी ऐसे आगत कर लाभ को रिवर्स करेगा तथा ऐसे व्यवहारी पर गलत आगत कर लाभ की राशि की दुगुनी शास्ति का आरोपण करेगा।

वृत्त-ए भिवाड़ी के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (सितम्बर 2019) कि दो व्यवहारियों ने 2016-17 के दौरान राशि ₹ 62.09 करोड़ का माल राज्य के भीतर कर की निर्दिष्ट दरों से क्रय किया तथा सम्पूर्ण कर योग्य माल की स्वरीद पर ₹ 3.23 करोड़ के आगत कर का लाभ लिया। इसमें राशि ₹ 13.46 करोड़ के फर्नेस ऑयल की स्वरीद शामिल थी जिस पर ₹ 0.74 करोड़ के आगत कर का दावा किया गया था। व्यवहारियों ने

अपने कुल प्रेषित माल का क्रमशः 74.55 एवं 75.74 प्रतिशत के मूल्य का माल शाखा हस्तान्तरण के माध्यम से राज्य के बाहर प्रेषित किया। इस प्रकार कुल ₹ 13.46 करोड़ मूल्य के फर्नेस ऑयल में से ₹ 10.11 करोड़ मूल्य के ऑयल का उपयोग ऐसे माल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में किया गया जिसे राज्य के बाहर हस्तांतरित किया गया था।

चूँकि खरीदे गये माल के एक भाग को माल के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग किया गया था तथा ऐसे निर्मित माल को राज्य के बाहर हस्तांतरित किया गया था, अतः व्यवहारियों को अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2006 में वर्णित सीमा (चुकाए गये कर के चार प्रतिशत से अधिक) तक ही आगत कर लाभ देय था। इसका अर्थ यह है कि फर्नेस ऑयल पर ₹ 0.33 करोड़ का आगत कर लाभ दावा योग्य था। कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 2018) इस अनियमितता का पता नहीं लगा सके तथा व्यवहारियों द्वारा दावा की गई आगत कर लाभ राशि ₹ 0.74 करोड़ को ही अनुमत्य कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप फर्नेस ऑयल के क्रय पर ₹ 0.41 करोड़ के अनियमित आगत कर अनुमत्यता के साथ ₹ 0.20 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।

सरकार को चूक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया (जून 2020)। सरकार ने बताया (अगस्त 2020) कि सम्पूर्ण राशि ₹ 0.61 करोड़ की माँग जारी की गई, जिसमें से ₹ 0.05 करोड़¹ वसूल कर लिये गये थे तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बकाया शेष माँग के विरुद्ध स्थगन प्रदान किया गया था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.4.2 अधिक आगत कर को रिवर्स करने का अभाव

रियायती मूल्य पर माल के विक्रय पर आगत कर का अनियमित रूप से लाभ दिया जाना

वैट अधिनियम, 2003 की धारा 18(3)(ए) के अनुसार इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी यदि कोई माल राज्य में खरीदा जाता है और इसके पश्चात रियायती मूल्य पर विक्रय किया जाता है तो इस धारा के अन्तर्गत ऐसे माल पर आगत कर, निर्गत कर से अधिक अनुमत्य नहीं होगा।

तीन वृत्तों² के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के बीच) कि तीन व्यवहारियों ने राज्य के भीतर माल क्रय किया तथा बाद में रियायती मूल्यों पर विक्रय किया।

तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अधिक आगत कर को रिवर्स नहीं किया तथा व्यवहारियों द्वारा दावा किये गये आगत कर को ही अनुमत्य कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.37 करोड़ का अनियमित आगत कर अनुमत्य किया गया।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि दो प्रकरणों में विगत वर्षों के उपलब्ध आगत कर के विरुद्ध ₹ 0.22

1 एक व्यवहारी से ₹ 3.12 लाख एवं दूसरे से ₹ 2.00 लाख

2 वृत्त-एल, जयपुर, वृत्त-बी बीकानेर एवं वृत्त-बी अजमेर।

करोड़ समायोजित कर लिये गये तथा ₹ 0.04 करोड़³ वसूल किये गये जबकि शेष प्रकरण में नोटिस जारी किया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.4.3 कर आरोपण का अभाव

क्रय वापसी पर रिवर्स कर आरोपण का अभाव

वैट अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अनुसार किसी पंजीकृत व्यवहारी की किसी कर अवधि में चुकाये जाने वाले कर की गणना निर्धारित सूत्र⁴ के अनुसार की जावेगी। वैट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार राज्य में पंजीकृत व्यवहारियों को आगत कर का लाभ राज्य के भीतर किसी पंजीकृत व्यवहारी से क्रय किये गये कर योग्य माल के सम्बन्ध में निर्धारित तरीके से व सीमा तक दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त वैट अधिनियम की धारा 2(33) के अनुसार धारा 18 के प्रावधानों के विपरीत लिये गये आगत कर के लाभ को रिवर्स किया जावेगा।

चार वृत्तों⁵ के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि ग्यारह व्यवहारियों ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अपनी त्रैमासिक विवरणियों (वैट-10) में क्रय वापसी घोषित की थी।

तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी इन व्यवहारियों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (जनवरी 2017 से जनवरी 2019 के बीच) इस क्रय वापसी को हिसाब में लेने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.15 करोड़ के रिवर्स कर के आरोपण का अभाव रहा।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि दस प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ की मांग सृजित की गई, जिसमें से विगत वर्षों के उपलब्ध आगत कर के समक्ष ₹ 1.03 करोड़ समायोजित कर लिये गये जबकि शेष प्रकरण⁶ में नोटिस जारी किया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.4.4 वैट के जमा शेषों का अधिक अग्रोषण

कर निर्धारण प्राधिकारी कुल कर दायित्व निर्धारण की गणना में रिवर्स कर दायित्व को जोड़ने में विफल रहे तथा त्रुटिपूर्ण रूप से वैट के अंतर्गत अधिक राशि को सीएसटी बकाया के समायोजन के लिए अग्रोषित किया

वैट अधिनियम 2003 की धारा 17(1) के अनुसार किसी पंजीकृत व्यवहारी द्वारा किसी कर अवधि के लिये देय शुद्ध कर की गणना निर्गत कर में रिवर्स कर जोड़कर तथा आगत कर लाभ को घटाकर की जावेगी। आगे इस धारा की उपधारा 2 के अनुसार यदि उपधारा 1 के अन्तर्गत

3 ब्याज ₹ 0.16 लाख सहित।

4 टी=(ओ+आर+पी)-आई जहाँ टी चुकाये जाने योग्य शुद्ध कर; ओ निर्गत कर; आर रिवर्स कर राशि; पी धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत देय कर एवं आई आगत कर राशि है।

5 वृत्त-एल, जयपुर, विशेष वृत्त-V, जयपुर, विशेष वृत्त -VII, जयपुर एवं वृत्त-ए, हनुमानगढ़।

6 विशेष वृत्त-V, जयपुर।

देय शुद्ध कर की राशि ऋणात्मक है तो उसे पहले सीएसटी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत देय किसी कर अथवा बकाया राशि के समक्ष समायोजित किया जावेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-प्रथम, भिवाड़ी के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (सितम्बर 2019) कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी विवरणियों में निर्गत कर में ₹ 0.45 करोड़ रिवर्स कर जोड़ते हुए कुल कर दायित्व दर्शाया था। कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी के कर निर्धारण को संशोधित करते समय (मई 2019) व्यवहारी के कुल कर दायित्व की गणना में रिवर्स कर जोड़ने में विफल रहे तथा वैट के अन्तर्गत अधिक चुकाई गई राशि सीएसटी के बकाया के समायोजन हेतु अग्रेषित की। ध्यान में लाये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने वैट कर निर्धारण में संशोधन किया (सितम्बर 2019) तथा कुल कर दायित्व में रिवर्स कर ₹ 0.45 करोड़ जोड़ दिया किन्तु सीएसटी बकाया को आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ाया गया।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (जून 2020)। सरकार ने बताया (जुलाई 2020) कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने रिवर्स कर दायित्व का प्रभाव देते हुए कर निर्धारण को संशोधित कर दिया (सितम्बर 2019) तथा सीएसटी बकाया में ₹ 0.42 करोड़ की वृद्धि कर दी (₹ 0.97 करोड़ से ₹ 1.39 करोड़), जबकि शेष ₹ 0.03 करोड़ गत वर्षों के अग्रेषित किये गये अधिक आगत कर जमा में से समायोजित किये गये। इसके अतिरिक्त संशोधित सीएसटी बकाया पर ब्याज में भी ₹ 0.12 करोड़ की वृद्धि की गई। यह भी बताया गया कि मांग आगत कर मिलान न होने तथा घोषणा पत्रों के अप्रस्तुतीकरण के कारण बकाया है जिसके लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.4.5 आगत कर की अनियमित स्वीकृति

कर निर्धारण प्राधिकारी ने गैर अनुमत्य सामान पर आगत कर स्वीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई

वैट अधिनियम 2003 की धारा 18 की उपधारा (1) (ई) के अनुसार आगत कर लाभ पंजीकृत व्यवहारियों को राज्य के भीतर किसी पंजीकृत व्यवहारी से कर योग्य माल की स्वरीद पर, जिसका उपयोग माल के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में किया गया हो, के संबन्ध में अनुमत्य होगा। आगे, अधिनियम की धारा 2(22) के अनुसार, विनिर्माण में माल का प्रत्येक प्रसंस्करण शामिल होता है जो वाणिज्यिक रूप से एक अलग एवं विशिष्ट वस्तु अस्तित्व में लाता है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त-1, अजमेर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (अक्टूबर 2019) कि एक व्यवहारी, जो चूना-पत्थर के स्वनन एवं सीमेन्ट के विनिर्माण के व्यवसाय में कार्यरत था, ने वर्ष 2015-16 व 2016-17 के दौरान क्रमशः ₹ 1.77 करोड़ एवं ₹ 1.92 करोड़ मूल्य के विस्फोटक राज्य के अन्दर से क्रय किये तथा इस क्रय पर ₹ 0.26 करोड़ एवं ₹ 0.28 करोड़ आगत कर लाभ का दावा किया। अधिनियम की धारा 2(22) के अन्तर्गत स्वनन कार्य विनिर्माण की परिभाषा में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त विस्फोटक सीमेन्ट के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं

किये जा सकते हैं। अतः व्यवहारी को विस्फोटकों के क्रय पर आगत कर लाभ स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।

तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारी के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (मार्च 2018 व दिसम्बर 2018) अनियमितता का पता नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.54 करोड़ अनियमित आगत कर अनुमत्यता के अतिरिक्त ₹ 0.26 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ।

सरकार को प्रकरण से अवगत कराया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि ₹ 0.80 करोड़⁷ की मांग सृजित की गई, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित किया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.5 कर योग्य बिक्री पर कर का अनारोपण

व्यवहारी ने 2015-17 के वर्षों के लिये 'शून्य' बिक्री के साथ विवरणियाँ प्रस्तुत की, किन्तु वास्तव में अन्य पंजीकृत व्यवहारियों को माल का विक्रय किया तथा कर संग्रहित किया, जिसके लिये कर दायित्व का निर्धारण नहीं किया गया, परिणामस्वरूप कर का अनारोपण हुआ

राजस्थान वैट नियम 2006 के नियम 19(5) के अनुसार व्यवहारियों द्वारा प्रारूप वैट 7 ए में क्रय के विवरण तथा प्रारूप वैट 8 ए में विक्रय के विवरणों के साथ त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत की जाएगी।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त-I, कोटा के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (जनवरी 2020) कि एक व्यवहारी ने 2015-17 के वर्षों के लिये 'शून्य' बिक्री के साथ विवरणियाँ प्रस्तुत की। आगे *राजविस्टा* के माध्यम से जनित रिपोर्ट की जाँच में ज्ञात हुआ कि व्यवहारी ने वर्ष 2015-17 के दौरान अन्य पंजीकृत व्यवहारियों को ₹ 7.36 करोड़ मूल्य का माल बेचा तथा ₹ 0.40 करोड़ कर संग्रहण किया।

तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (फरवरी 2018 व सितम्बर 2018) अनियमितता का पता नहीं लगा सके तथा '*राजविस्टा*' पर उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप कर राशि ₹ 0.40 करोड़ व ब्याज ₹ 0.20 करोड़ का अनारोपण हुआ (मार्च 2020 तक)।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (जून 2020)। सरकार ने बताया (जुलाई 2020) कि सम्पूर्ण राशि की मांग सृजित कर दी गई थी। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

7 कर ₹ 0.54 करोड़ तथा ब्याज ₹ 0.26 करोड़

2.6 कर का अनारोपण

कर योग्य पण्यावर्त वाले व्यवहारी का 'शून्य' कर निर्धारण

वैट अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के अनुसार किसी व्यवहारी के कर योग्य पण्यावर्त पर अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी दर के अनुसार कर आरोपणीय है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-ए, हनुमानगढ़ के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (नवम्बर 2019) कि एक व्यवहारी ने वर्ष 2016-17 के लिये अपनी विवरणियों में ₹ 13.16 करोड़ का सकल पण्यावर्त घोषित किया जिसके लिये देय कर ₹ 0.29 करोड़ था। तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी ने 'शून्य' कर के लिये कर निर्धारण आदेश पारित किया (दिसम्बर 2018)।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.29 करोड़ कर के अतिरिक्त ₹ 0.14 करोड़ के ब्याज का अनारोपण हुआ (मार्च 2020 तक)।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (जुलाई 2020)। सरकार ने बताया (अगस्त 2020) कि व्यवहारी ने कर मुक्ति (ई.सी.) प्रमाण-पत्र के समक्ष संकर्म संविदा का निष्पादन किया था जिसके लिए राज्य के बाहर से कर योग्य माल क्रय किया गया था। इसके फलस्वरूप कर निर्धारण आदेश को संशोधित किया गया (जुलाई 2020) तथा ₹ 0.45 करोड़ की कुल मांग सृजित की गई जो आंशिक रूप से स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) ₹ 0.11 करोड़ तथा उपलब्ध आगत कर जमा ₹ 0.06 करोड़ के समक्ष समायोजित की गई। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.7 घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का अनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी ने घोषणा पत्रों के दुरुपयोग पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व की हानि हुई

केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, 1956 की धारा 10(ए) सपठित धारा 10(डी) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 8(3)(बी)⁸ में वर्णित किसी उद्देश्य हेतु किसी माल के क्रय के पश्चात ऐसे वर्णित उद्देश्य के लिये माल का उपयोग करने में विफल रहता है, तो वह प्राधिकारी, जिसने उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया है, अधिनियम की धारा 8(2) के तहत इस माल की बिक्री पर आरोपणीय कर की डेढ़ गुणा राशि से अनाधिक शास्ति आरोपित कर सकता है।

8 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8(3)(बी) में निर्दिष्ट अनुसार पंजीकृत डीलर द्वारा स्वरीद के उद्देश्य है: उसके द्वारा पुनः विक्रय के लिए या विक्रय हेतु माल के निर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग के लिए या दूरसंचार नेटवर्क में या स्वनन में या विद्युत या उर्जा के अन्य रूप के उत्पादन या वितरण में उपयोग।

कार्यालय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत्त-ए, उदयपुर के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया (अगस्त 2019) कि एक व्यवहारी, जो बार एवं रेस्टोरेंट संचालन के व्यवसाय में कार्यरत था, ने वर्ष 2016-17 के दौरान घोषणा पत्र 'सी' के विरुद्ध ₹ 0.60 करोड़ मूल्य के माल के रूप में एयरकंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एवं टाईल्स का क्रय राज्य के बाहर से किया। व्यवहारी द्वारा इस माल का उपयोग धारा 8(3)(बी) में वर्णित उद्देश्यों के लिये नहीं किया गया। अतः व्यवहारी 14.5/15 प्रतिशत, जो लागू हो, की दर से देय कर की डेढ़ गुणा शास्ति ₹ 0.13 करोड़ के लिये उत्तरदायी था। कर निर्धारण प्राधिकारी ने व्यवहारी के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय (दिसम्बर 2018) निर्धारित शास्ति ₹ 0.13 करोड़ का आरोपण नहीं किया।

सरकार को चूक के संबंध में अवगत कराया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि ₹ 0.13 करोड़ की मांग सृजित की गई, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थगित कर दिया गया। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.8 अंतर्राज्यीय खरीदों पर कर का अनारोपण

कर मुक्ति प्रमाण पत्र के अन्तर्गत निष्पादित संकर्म में प्रयुक्त माल की अंतर्राज्यीय खरीद पर कर का अनारोपण

अधिसूचना क्रमांक एफ 12(23)/वित्त/कर/2015-206 दिनांक 9 मार्च, 2015 की शर्त 5.1(अ) के अनुसार कोई व्यवहारी, जिसने उपबंध 1 के विकल्प 'ए' के अन्तर्गत कर के बदले कर मुक्ति शुल्क के भुगतान का विकल्प लिया है, संकर्म संविदा के निष्पादन हेतु कर योग्य माल का क्रय राज्य के अंदर राज्य के पंजीकृत व्यवहारी से करेगा। आगे, शर्त 5.1(ब) के अनुसार यदि ऐसा व्यवहारी शर्त 5.1(अ) में निर्धारित रीति के अलावा अन्य रीति से किसी माल का क्रय अथवा प्रापण करता है तो वह कर मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त ऐसे कर की राशि के बराबर राशि भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा, जो राज्य में पंजीकृत व्यवहारी से माल क्रय करने पर देय होती।

विभागीय वेब एप्लीकेशन *राजविस्टा* पर उपलब्ध सूचना की जाँच में ज्ञात हुआ कि तीन वृत्तों⁹ में छः व्यवहारियों ने वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान राज्य के बाहर से राशि ₹ 5.22 करोड़ का माल¹⁰ खरीदा। इस माल का उपयोग ऐसे संकर्मों के निष्पादन में किया गया जिनके लिये उपरोक्त वर्णित अनुसार विकल्प 'ए' के अन्तर्गत कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। अतः ऐसे माल पर मुक्ति शुल्क के अतिरिक्त 5/ 5.5/14.5 प्रतिशत की दर से राशि ₹ 0.39 करोड़ का वैट आरोपणीय था। तथापि कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवहारियों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय इस माल पर कर का आरोपण नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.39 करोड़ कर के अतिरिक्त ₹ 0.15 करोड़ ब्याज (मार्च 2020 तक) का कम आरोपण हुआ।

9 वर्क्स टैक्स-प्रथम, जयपुर, वृत्त, करौली एवं वृत्त, ए हनुमानगढ़।

10 पाइप एवं फिटिंग, बिटुमिन, आइरन शीट, स्टील ढाँचा, तार, केबिल ट्रे, किट प्लाई, एल्युमिनियम, पैनल, एमएस स्टील ट्यूब, पेन्ट, मशीन, एमएस फ्लेट आदि।

चूक सरकार के ध्यान में लायी गई (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (अक्टूबर 2020) कि समस्त प्रकरणों में मांग सृजित कर दी गई थी, जिसमें से तीन व्यवहारियों से ₹ 13.27 लाख वसूल/समायोजित कर लिये गये थे तथा शेष व्यवहारियों से वसूली के प्रयास किये जा रहे थे। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.9 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

विनिर्दिष्ट माल पर प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 3(1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च 2011, 14 जुलाई 2014 एवं 09 मार्च 2015 के अनुसार राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट माल के उपभोग या उपयोग या विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में लाने पर अधिसूचना में दर्शायी दर से व्यवहारी द्वारा देय कर को निर्दिष्ट किया।

15 वाणिज्यिक कर कार्यालयों¹¹ के मूल्य परिवर्धित कर (वैट) निर्धारण अभिलेखों के साथ प्रवेश कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2017-18 के दौरान 29 व्यवहारियों ने ₹ 133.45 करोड़ मूल्य का माल राज्य के बाहर से क्रय किया। व्यवहारियों ने अपनी संबंधित वैट विवरणियों में इस माल का विक्रय नहीं बताया था जो यह दर्शाता है कि इस माल का उपयोग, उपभोग हेतु अथवा व्यवसाय में किया गया था, जिसके कारण ऐसे माल पर प्रवेश कर आरोपणीय था। माल के क्रय से संबंधित संपूर्ण सूचना वेब आधारित एप्लीकेशन 'राजविस्टा' पर उपलब्ध थी तथा सभी कर निर्धारण प्राधिकारियों के लिए सुलभ थी। तथापि संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने इन व्यवहारियों के प्रवेश कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय प्रवेश कर के आरोपण एवं राजस्व रिसाव को रोकने हेतु उपलब्ध सूचना का उपयोग नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.87 करोड़ प्रवेश कर तथा ₹ 1.63 करोड़ ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण हुआ।

सरकार को चूक के बारे में अवगत कराया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (जनवरी 2021) कि 20 प्रकरणों में ₹ 2.86 करोड़¹² की मांग सृजित की जा चुकी है, जिसमें से 11 प्रकरणों में ₹ 0.76 करोड़¹³ वसूल किये गये जबकि नौ प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

2.10 माल और सेवा कर की लेखापरीक्षा

माल और सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विविध क्रियाकलापों का निष्पादन जीएसटीएन के सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है तथा इसलिये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के संवैधानिक प्राधिकार की पूर्ति हेतु लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक है कि

11 स. आ. विशेष वृत्त-पाली, विशेष-प्रथम, जोधपुर, एन जयपुर, विशेष बीकानेर, बी-बीकानेर, बी-जोधपुर, विशेष-1 भिवाडी, एल-जयपुर, जे-जयपुर, वर्क्स टैक्स-1 एवं ॥ जयपुर, विशेष- सप्तम जयपुर, चुरु, ए-श्रीगंगानगर एवं ए-जयपुर।

12 कर= ₹ 1.90 करोड़, ब्याज= ₹ 0.96 करोड़

13 कर= ₹ 0.60 करोड़, ब्याज= ₹ 0.16 करोड़

भौतिक अभिलेखों पर आधारित नमूना जाँच के स्थान पर समस्त संव्यवहारों के डिजिटल अभिलेखों की सम्यक जाँच की जाए। तथापि बारम्बार अनुरोध के उपरान्त भी राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 149) एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तों के अधिनियम, 1971 की धारा 18 की अनदेखी करते हुए जीएसटी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान नहीं की। परिणामस्वरूप जीएसटी प्रतिदायों की मात्र सीमित लेखापरीक्षा जाँच ही की जा सकी। लेखापरीक्षा आक्षेप कतिपय दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ, जो लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध करवाई गई, पर आधारित हैं। संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में राज्य की जीएसटी प्राप्तियों की सम्यक लेखापरीक्षा हेतु राज्य कर विभाग के जीएसटी बैकएंड सिस्टम पर एक्सेस की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा जीएसटीएन परिसर में पैन-इंडिया डेटा तक पहुँच प्रदान करने के निर्णय को 22 जून 2020 को सूचित किया गया था। जीएसटी सिस्टम तक पहुँच प्रदान करने की प्रशासनिक कार्रवाई राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2020 में शुरू की गई थी और पहुँच दिसंबर 2020 में प्रदान की गयी।

2.10.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने जीएसटी के अन्तर्गत स्वीकृत प्रतिदायों, एक प्रक्रिया जो सितम्बर 2019 तक मैनुअल थी, की नमूना जाँच की। राजस्थान में, जुलाई 2017 से मार्च 2019 के दौरान 7,815 प्रतिदाय के मामले स्वीकृत किये गये। 2019-20 के दौरान, चयनित 40 विभागीय इकाइयों में स्वीकृत किये गये 2,514 प्रतिदाय के मामलों में से लेखापरीक्षा ने 265 प्रतिदाय के मामलों (10.54 प्रतिशत) की जांच की तथा छः करदाताओं (2.26 प्रतिशत) से संबंधित ₹ 1.50 करोड़ के अनियमित प्रतिदाय स्वीकृत करने के प्रकरण ध्यान में लाये गये। राज्य सरकार ने सभी प्रकरणों में लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया तथा पाँच प्रकरणों में राशि ₹ 0.18 की सम्पूर्ण वसूली के बारे में अवगत कराया। उदाहरण स्वरूप एक प्रकरण की चर्चा नीचे की गई है:

2.10.2 अनियमित प्रतिदाय अनुमत्य किया जाना

माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत अप्रयुक्त आगत कर लाभ का अनियमित प्रतिदाय।

केंद्र सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 15/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 एवं क्रमांक 12/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 द्वारा अधिसूचित किया कि केन्द्रीय माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की अनुसूची II की मद संख्या 5 की उपमद (ख) में उल्लिखित सेवाओं की आपूर्ति¹⁴ के मामले में आगत कर का प्रतिदाय अनुमत्य नहीं होगा। उपरोक्त को राज्य सरकार ने राजस्थान जीएसटी (आरजीएसटी) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (56) वित्त/ कर/2017-भाग-I-53 दिनांक 29 जून 2017 द्वारा अधिसूचित किया।

14 सेवा की आपूर्ति: 'वहाँ के सिवाय जहाँ समापन प्रमाणपत्र, यदि अपेक्षित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होने या प्रथम अधिभोग के पश्चात, जो भी पहले हो, पूर्ण प्रतिफल प्राप्त किया गया है, कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग, जिसके अंतर्गत किसी क्रेता को पूर्णतः या भागतः विक्रय के लिए आशयित किसी कॉम्प्लेक्स या भवन सम्मिलित है, का संनिर्माण।'

कार्यालय सहायक आयुक्त, वृत्त-एल, जयपुर के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया (अक्टूबर 2019) कि एक करदाता ने केंद्रीय/राजस्थान जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(3) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान माह सितम्बर-नवम्बर 2017 व फरवरी-नवम्बर 2018 के लिये राशि ₹ 0.91 करोड़¹⁵ के अप्रयुक्त आगत कर के प्रतिदाय का दावा किया। चूंकि करदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ यथा सड़कों, पुलों आदि का निर्माण केन्द्रीय/राज्य जीएसटी अधिनियम की अनुसूची-II की मद 5 (ख) के अन्तर्गत 'सेवा की आपूर्ति' में आती हैं, अतः करदाता अप्रयुक्त आगत कर लाभ के प्रतिदाय के दावे हेतु योग्य नहीं था। तथापि, क्षेत्राधिकारी ने करदाता द्वारा किये गये दावे के अनुसार प्रतिदाय अनुमत्य किया।

इसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.91 करोड़ का अनियमित प्रतिदाय होने के अतिरिक्त इस राशि पर आरजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत ब्याज भी देय था।

सरकार को चुक के संबंध में अवगत कराया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने बताया (जनवरी 2021) कि ₹ 1.32 करोड़ (कर ₹ 0.91 करोड़, ब्याज ₹ 0.32 करोड़ तथा शास्ति ₹ 0.09 करोड़) की माँग सृजित की गई थी।

15 आईजीएसटी: ₹ 30.31 लाख, सीजीएसटी: ₹ 30.36 लाख तथा एसजीएसटी: ₹ 30.36 लाख.

अध्याय III

भू-राजस्व

अध्याय-III : भू-राजस्व

3.1 कर प्रशासन

भू-राजस्व का निर्धारण एवं संग्रहण, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से शासित होता है। भू-राजस्व में मुख्यतः भूमि का किराया, लीज किराया, प्रीमियम, संपरिवर्तन शुल्क तथा सरकारी भूमि के विक्रय की प्राप्तियां शामिल होती हैं।

राजस्व विभाग (इसके बाद विभाग के रूप में जाना जाएगा) सरकार के प्रशासनिक विभाग की तरह कार्य करता है तथा यह भू-राजस्व के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी प्रकरणों का प्रबन्ध करता है। राजस्व से संबंधित सभी न्यायिक प्रकरणों, राजस्व अधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं निगरानी का समग्र नियंत्रण एवं भू-अभिलेखों का प्रबन्धन राजस्व मण्डल में निहित है। राजस्व मण्डल की सहायता हेतु जिला स्तर पर 33 जिला कलक्टर, उपस्वण्ड स्तर पर 289 उपस्वण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर 338 तहसीलदार हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यान्वयन प्राधिकरण भी है।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं भूमि के आवंटन और अन्य संबंधित प्रकरणों को शासित करते हैं।

3.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

वित्तीय सलाहकार, राजस्व मण्डल, आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह का प्रमुख होता है। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के 18 दल स्वीकृत थे लेकिन केवल 16 आंतरिक लेखापरीक्षा दल ही कार्यरत थे। अवधि 2015-16 से 2019-20 के दौरान संपादित की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 3.1 में दी गई है :

तालिका 3.1

| वर्ष | लेखापरीक्षा के लिए बकाया इकाइयां | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए योग्य इकाइयां | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के लिए कुल योग्य इकाइयां | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयां | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां | कमी (प्रतिशत में) |
|---------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------|
| 2015-16 | 279 | 807 | 1,086 | 883 | 203 | 19 |
| 2016-17 | 203 | 817 | 1,020 | 772 | 248 | 24 |
| 2017-18 | 248 | 815 | 1,063 | 739 | 324 | 30 |
| 2018-19 | 324 | 816 | 1,140 | 942 | 198 | 17 |
| 2019-20 | 198 | 816 | 1,014 | 829 | 185 | 18 |

स्रोत: राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना

विभाग ने 2018-19 एवं 2019-20 में पूर्ववर्ती वर्षों की बकाया इकाइयों को समाविष्ट करने के प्रयास किए। बकाया लेखापरीक्षाओं को पूरा करने के लिए अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

आगे, यह देखा गया कि 2019-20 के अंत तक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 22,721 अनुच्छेदों की अनुपालना बकाया थी। बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

| वर्ष | 2014-15 तक | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | योग |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| अनुच्छेद | 7,187 | 1,191 | 1,977 | 2,442 | 4,164 | 5,760 | 22,721 |

स्रोत: राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रदत्त सूचना

22,721 अनुच्छेदों में से, 7,187 अनुच्छेद (31.63 प्रतिशत) अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में गत पांच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थे। विभाग ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा से बकाया इकाइयों एवं अनुच्छेदों के निपटान की धीमी गति का कारण विभिन्न संवर्गों में पदों की कमी होना तथा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगना था। विभाग के इस प्रत्युत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि लॉकडाउन मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में लगाया गया था।

सरकार आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह के सुदृढीकरण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा गठित बकाया आपत्तियों की त्वरित अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठा सकती है।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

भू-राजस्व विभाग में लेखापरीक्षा योग्य 692 इकाइयां हैं, इनमें से 2019-20 के दौरान 99 इकाइयों (लगभग 14.30 प्रतिशत) का नमूना जांच के लिए चयन किया गया। इन चयनित इकाइयों में, भूमि के आवंटन, संपरिवर्तन/नियमितीकरण तथा भूमि की लीज इत्यादि के 9,122 प्रकरण थे, इनमें से 5,154 (लगभग 56.50 प्रतिशत) प्रकरणों का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा को 1,432 प्रकरणों (चयनित प्रकरणों का लगभग 27.78 प्रतिशत) में संपरिवर्तन/नियमितीकरण, आवंटन, लीज, इत्यादि से संबंधित ₹ 68.18 करोड़ राशि की अनियमितताएं पाई गईं।

ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। समान प्रकृति की कुछ त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लाई गई थीं, ना केवल ये अनियमितताएं बनी रही अपितु आगामी लेखापरीक्षा होने तक भी ये उजागर नहीं हो पाईं। इस प्रकार, ऐसे प्रकरणों को रोकने के लिए सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा के सुदृढीकरण के साथ-साथ आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। पाई गई अनियमितताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं, जो कि तालिका 3.2 में दी गई हैं:

तालिका 3.2

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अनियमितताओं की श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---------|--|--------------------|--------------|
| 1. | राज्य के सरकारी विभागों से प्रीमियम एवं लीज किराये की गैर-वसूली/कम वसूली | 53 | 28.60 |
| 2. | स्वातेदारों से संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव/कम वसूली | 364 | 9.89 |
| 3. | सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव | 9 | 17.84 |
| 4. | अन्य अनियमितताएं : | | |
| | i राजस्व से संबंधित | 310 | 10.26 |
| | ii व्यय से संबंधित | 696 | 1.59 |
| | योग | 1,432 | 68.18 |

वर्ष 2019-20 के दौरान, विभाग ने 1,422 प्रकरणों में निहित राशि ₹ 256.18 करोड़ के लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 6.00 करोड़ के 564 प्रकरण वर्ष 2019-20 में बताए गए थे तथा बाकी पूर्व के वर्षों में बताए गए थे। विभाग ने वर्ष 2019-20 के दौरान 585 प्रकरणों में ₹ 6.75 करोड़ वसूल किए, जिनमें से ₹ 0.02 करोड़ के 22 प्रकरण वर्ष 2019-20 से संबंधित थे तथा बाकी पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

विभाग की लेखापरीक्षित इकाईयों में ₹ 3.33 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है। यह उल्लेख करना उचित है कि समान प्रकृति के सभी मुद्दों पूर्व में भी उठाए गए थे एवं पिछले वर्षों के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में प्रकाशित किए गए थे। जिसमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार किया और वसूली/कार्यवाही शुरू की। तथापि, यह देखा गया है कि विभाग ने केवल उन ही प्रकरणों में कार्यवाही की थी जो कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए थे और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने में विफलता के कारण बाद के वर्षों में समान प्रकृति के प्रकरणों की पुनरावृत्ति हुई है।

3.4 सरकार को भूमि के प्रत्यावर्तन का अभाव

राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन (आरआईएए) नियम, 1959 का नियम 7 उपबंधित करता है कि भूमि के आवंटन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अंदर उद्योग स्थापित किए जाएंगे, ऐसा करने में विफल होने पर भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जाएगी जब तक कि आवंटि के अनुरोध पर प्राधिकारियों द्वारा दो वर्ष की अवधि बढ़ाई नहीं जाती। भूमि आवंटन के निबंधन एवं शर्तों की धारा 8 में भी इसी शर्त को निर्धारित किया है।

कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़ के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2019) में पाया गया कि राज्य सरकार ने आरआईएए नियम, 1959 के तहत एक टेक्सटाइल यान उद्योग की स्थापना के लिए एक फर्म को जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) की दर पर जुलाई 2016 में गांव कोटडा जागीर (झालावाड़ जिला) में 25 बीघा भूमि आवंटित की। पटवारी की मौका रिपोर्ट¹

1 मौका रिपोर्ट : सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत भूमि की निरीक्षण रिपोर्ट।

(सितम्बर 2019) के अनुसार 20 सितम्बर 2019 तक आवंटित भूमि पर ऐसा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया था। आगे यह भी देखा गया कि फर्म ने अगस्त 2020 तक उद्योग की स्थापना हेतु समय अवधि बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया। इस प्रकार, ना तो भूमि का उपयोग निर्धारित दो वर्ष की अवधि में अभिप्रेत उद्देश्य के लिए हुआ और ना ही फर्म द्वारा समय अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया। तथापि, प्राधिकारियों ने मौजूदा प्रावधानों के तहत भूमि राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की। परिणामस्वरूप, ₹ 33.11 लाख² मूल्य की भूमि अनुपयोगी रही तथा अभिप्रेत लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

ध्यान में लाए जाने पर, कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़ ने जवाब दिया (सितम्बर 2019) कि भूमि के प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण सितम्बर 2020 में विभाग के ध्यान में लाया गया तथा राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (मार्च 2021)।

3.5 संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव/कम वसूली

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुमति राज्य सरकार की लिखित अनुमति तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने पर देता है। आगे, अगर राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना और देय भुगतान के बिना इस तरह की किसी भूमि का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को एक अतिक्रमी समझा जाएगा और वह ऐसी भूमि से बेदखल होने का उत्तरदायी होगा।

राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 7 के अनुसार कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन (वाणिज्यिक, संस्थागत, आवासीय कॉलोनी, औद्योगिक प्रयोजन आदि) हेतु संपरिवर्तन के लिए प्रीमियम समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों³ पर प्रभारित किया जाएगा। आगे उपरोक्त नियम 13 के तहत, एक व्यक्ति जिसने बिना अनुमति के गैर-कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि का उपयोग किया है, वह नियम 7 के अनुसार निर्धारित संपरिवर्तन शुल्क का चार गुना जमा करा कर उपयोग को नियमित करने के लिए आवेदन कर सकता है। आगे, आवासीय कॉलोनी की स्थापना के लिए उपरोक्त नियम 2(1)(क्यू) और 9(2) उपबंधित करता है कि आवासीय कॉलोनी/परियोजना का आशय आवासीय भूखण्ड/फ्लैट/घर से है जिसको विकासकर्ता द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को आगे विक्रय करने के लिए विकसित किया जा रहा है तथा संपरिवर्तन शुल्क आवासीय कॉलोनी/परियोजना की दर से आवासीय कॉलोनी/परियोजना के कुल क्षेत्रफल (सार्वजनिक सुविधाओं और आवासीय दोनों उद्देश्यों के लिये उपयोग किए जाने वाले) पर देय होगी।

2 डीएलसी की दर ₹ 1,32,426 प्रति बीघा से 25 बीघा भूमि का मूल्य।

3 **वाणिज्यिक प्रयोजन** : ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर या संबंधित कृषि भूमि की डीएलसी दर का 10 प्रतिशत या पंजीकृत विक्रय विलेस में उल्लेखित उक्त भूमि के क्रय दर की राशि का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

संस्थागत प्रयोजन : ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर या कृषि भूमि की डीएलसी दर का 10 प्रतिशत या पंजीकृत विक्रय विलेस में उल्लेखित उक्त भूमि के क्रय दर की राशि का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

औद्योगिक प्रयोजन : ₹ 5 प्रति वर्ग मीटर या उक्त कृषि भूमि की डीएलसी दर का 5 प्रतिशत या पंजीकृत विलेस में उल्लेखित उक्त कृषि भूमि के क्रय दर की राशि का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

(अ) संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव

3.5.1 कार्यालय जिला कलेक्टर, जैसलमेर की लेखापरीक्षा (जुलाई 2019) के दौरान यह पाया गया कि 26 भूमि मालिकों द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना 31 जुलाई 2009 से 12 मार्च 2015 तक 2,19,829,88 वर्ग मीटर कृषि भूमि अनाधिकृत रूप से वाणिज्यिक प्रयोजन (होटल एवं रिसोर्ट के लिए) हेतु उपयोग में ली जा रही थी। उपरोक्त नियम 7 एवं 13 में निर्धारित दरों के अनुसार, इन कृषि भूमियों के नियमितकरण के लिए संपरिवर्तन शुल्क ₹ 87.93 लाख वसूल किए जाने थे। शुल्क ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर की प्रचलित दर के चार गुना थे जो कि प्रत्येक प्रकरण में डीएलसी दर की 10 प्रतिशत से अधिक था। यदि इस तरह से नियमितकरण नहीं किया गया था तो इन व्यक्तियों को इन भूमियों से बेदखल कर दिया जाना चाहिए। तथापि, जिला कलेक्टर, जैसलमेर ने जुलाई 2019 तक चार से दस वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी ना तो संपरिवर्तन प्रभारों की वसूली की और ना ही भूमि मालिकों के बेदखली के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की।

विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि दो प्रकरणों में भूमि धारकों द्वारा ₹ 5.99 लाख जमा करा दिए गए हैं तथा जिला कलेक्टर स्तर पर भू-उपयोग संपरिवर्तन के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और शेष 24 प्रकरणों में राशि की वसूली के लिए भूमि धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस प्रकार, इन 24 प्रकरणों में कृषि से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन अभी तक बदला नहीं गया है और ₹ 81.94 लाख की संपरिवर्तन शुल्क की वसूली अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। आगामी प्रगति तथा राज्य सरकार का जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

3.5.2 कार्यालय जिला कलेक्टर, बारां एवं जैसलमेर के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त से नवम्बर 2019) के दौरान पाया गया कि तहसील, फतेहगढ़ (जिला जैसलमेर) एवं छिपाबडोद (जिला बारां) में 99,471.56 वर्ग मीटर कृषि भूमि पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भू-उपयोग संपरिवर्तन किए बिना पांच आवासीय कॉलोनियां अनाधिकृत रूप से स्थापित की गई थी। भूमि मालिकों ने कृषि भूमि को विभाजित कर आवासीय भू-खण्ड बेच दिए। सितंबर 2016 से जनवरी 2019 के दौरान भू-खण्ड धारकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से 1,255.58 वर्ग मीटर भूखण्डों का भू-उपयोग जमाबंदी में आवासीय इकाइयों के रूप में परिवर्तित करा लिया गया। उपरोक्त अधिनियम की धारा 90-ए के अनुसार भूमि धारकों द्वारा आवासीय भूखण्डों को बेचने से पहले आवासीय कॉलोनियां स्थापित करने हेतु भूमि का उपयोग परिवर्तन करवाना चाहिए। विभागीय अधिकारियों ने भी आवासीय भू-खण्डों के संपरिवर्तन के प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से आने के बाद भी कृषि भूमि के अनाधिकृत उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। इससे न केवल कृषि भूमि का अनाधिकृत उपयोग हुआ बल्कि उपरोक्त नियम 7 एवं 13 के अनुसार 98,215.98 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की शेष भूमि के लिए संपरिवर्तन शुल्क ₹ 35.59 लाख की वसूली नहीं हुई है।

राज्य सरकार ने फतेहगढ़ तहसील के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (दिसम्बर 2020), क्योंकि किसी भवन और सड़क का निर्माण नहीं किया गया था और आपत्ति की गई भूमि खाली पड़ी हुई थी और इसलिए भूमि गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग नहीं की

जा रही थी। यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि नियम 2(1)(क्यू) और 9(2) में दिए गए प्रावधानों के तहत जब कॉलोनी की स्थापना का निर्णय लिया गया था विकासकर्ता द्वारा सम्पूर्ण भूमि के लिए संपरिवर्तन शुल्क जमा कराना चाहिए था।

3.5.3 तीन जिला कलेक्टर कार्यालयों (अलवर, बारां और हनुमानगढ़) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा संपरिवर्तन अभिलेखों की नमूना जांच (जून, अगस्त एवं नवंबर 2019) में पाया गया कि 24 प्रकरणों में 1,97,567.70 वर्गमीटर स्वातेदारी⁴ भूमि का उपयोग औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं संस्थागत प्रयोजन हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किए बिना किया जा रहा था। तथापि, विभाग ने निर्धारित संपरिवर्तन शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप नीचे दी गई तालिका 3.3 के अनुसार ₹ 1.27 करोड़ की वसूली का अभाव रहा:

तालिका 3.3

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | जिले का नाम | भू-उपयोग की प्रकृति | प्रकरणों की संख्या | गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की जा रही भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर) | वसूलनीय संपरिवर्तन शुल्क का चार गुना |
|------------|-------------|--------------------------|--------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | अलवर | औद्योगिक (ईट भट्टे) | 05 | 42,800.00 | 37.78 |
| | | संस्थागत (विद्यालय) | 01 | 6,500.00 | 9.52 |
| 2. | बारां | वाणिज्यिक (विवाह गार्डन) | 06 | 24,078.70 | 43.18 |
| | | संस्थागत (विद्यालय) | 01 | 19,899.00 | 13.33 |
| 3. | हनुमानगढ़ | औद्योगिक (ईट भट्टे) | 11 | 1,04,290.00 | 22.89 |
| योग | | | 24 | 1,97,567.70 | 126.70 |

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि हनुमानगढ़ जिले के एक प्रकरण में राशि ₹ 3.04 लाख की वसूली की गई है और बकाया प्रकरणों में संपरिवर्तन शुल्क की वसूली प्रगतिरत है। आगे, अलवर जिले के संबंध में अवगत कराया कि दो प्रकरणों में कृषि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ (ईट भट्टे) भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन पूर्व में ही मार्च 2001 और दिसम्बर 2004 में कर दिए गए थे। अलवर जिले के संबंध में सरकार का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2019 में तहसीलदार, नीमराणा द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई सूचना एवं भूमि के संपरिवर्तन आदेशों में उल्लेखित भूमि धारकों के नाम तथा भूमि के क्षेत्रफलों में अंतर है। इस प्रकार, ₹ 1.24 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव रहा।

इस प्रकार, कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु संपरिवर्तन के अभाव के कारण ₹ 2.42 करोड़ के संपरिवर्तन शुल्क की वसूली का अभाव रहा।

4 संपत्ति के भूमि धारक से एक स्वातेदार किरायेदार (जो की राजस्व अभिलेखों में किरायेदार के रूप में दर्ज है) द्वारा धारण की गई भूमि।

(ब) संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली

3.5.4 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ (जिला अलवर) के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2019) के दौरान यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए एक शैक्षणिक संस्थान के पक्ष में 5,000 वर्गमीटर कृषि भूमि का उपयोग परिवर्तित (जुलाई 2017) किया गया। उपखण्ड अधिकारी ने उपरोक्त नियम 13 के अनुसार कृषि भूमि की डीएलसी दर ₹ 129.62 प्रति वर्गमीटर के आधार पर ₹ 6.48 लाख संपरिवर्तन शुल्क निर्धारित किया। आगे, उप-पंजीयक, बहरोड़ में पंजीकृत (मई 2015) विक्रय विलेख के अनुसार भूमि क्रय मूल्य ₹ 3,228 प्रति वर्गमीटर की दर से पंजीकृत की गई थी एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट (अप्रैल 2015) के अनुसार भूमि का उपयोग पिछले तीन वर्षों से शैक्षणिक संस्थान के लिए किया जा रहा था। इसलिए, उपरोक्त नियम 7 और 13 के अनुसार कृषि से संस्थागत प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग पंजीकृत विक्रय विलेख में उल्लेखित क्रय दर ₹ 322.80 प्रति वर्ग मीटर (₹ 3,228 प्रति वर्ग मीटर का 10 प्रतिशत) के अनुसार संपरिवर्तन शुल्क ₹ 64.56 लाख⁵ में परिवर्तित होना चाहिए था। अतः सही शुल्क के अनुप्रयोग के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 58.08 लाख के संपरिवर्तन शुल्क की कम वसूली हुई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) में कि राशि की वसूली के लिए शैक्षणिक संस्थान को नोटिस जारी किया गया है। आगे, निबन्धक, राजस्व मण्डल ने सूचित किया (जनवरी 2021) कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने दिनांक 14 दिसम्बर 2020 को उक्त वसूली के विरुद्ध स्थगन आदेश पारित किया है।

5 ₹ 64.56 लाख=5,000 वर्गमीटर×₹ 322.80 वर्गमीटर×4

अध्याय IV

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

अध्याय- IV : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्तियां पंजीयन अधिनियम 1908, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 एवं इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित होती हैं। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची में वर्णित दर के अनुसार प्रत्येक दस्तावेज पर मुद्रांक कर प्रभार्य है। दस्तावेजों के निष्पादन पर मुद्रांक कर उदग्रहणीय है तथा दस्तावेजों के पंजीयन पर पंजीयन शुल्क देय है। 9 मार्च 2011 से मुद्रांक कर पर सरचार्ज भी प्रभार्य है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (विभाग), वित्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। विभाग के प्रमुख महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक हैं। प्रशासनिक मामलों में दो अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं वित्तीय मामलों में एक वित्तीय सलाहकार इनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा एक अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर को मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्य सौंपा गया है। सम्पूर्ण राज्य को 18 वृत्तों में विभाजित किया गया है जिनके प्रमुख उप महानिरीक्षक सह पदेन कलक्टर (मुद्रांक) होते हैं। कुल 114 उप पंजीयक तथा 415¹ पदेन² उप पंजीयक हैं।

4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभार में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है एवं इसमें छः आंतरिक लेखापरीक्षा दल हैं। इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना उनके महत्व एवं राजस्व प्राप्तियों के आधार पर बनायी जाती है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 4.1 में दी गई है:

तालिका 4.1

| वर्ष | लेखापरीक्षा के लिए कुल बकाया इकाइयां | कुल लेखापरीक्षित इकाइयां | लेखापरीक्षा से शेष रही इकाइयां | कमी (प्रतिशत) |
|---------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2015-16 | 523 | 180 | 343 | 66 |
| 2016-17 | 527 | 109 | 418 | 79 |
| 2017-18 | 340 | 81 | 259 | 76 |
| 2018-19 | 573 | 137 | 436 | 76 |
| 2019-20 | 328 | 88 | 240 | 73 |

स्रोत: महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा प्रदत्त सूचना।

1 महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 के अनुसार।

2 तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को पदेन उप पंजीयक घोषित किया गया है।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों की व्याप्ति में 66 प्रतिशत से 79 प्रतिशत की कमी रही। विभाग ने बताया कि पदों की कमी के कारण इकाइयां लेखापरीक्षा से शेष रहीं।

यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 8,217 अनुच्छेद बकाया थे। आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण निम्न तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2

| वर्ष | 2014-15 तक | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | योग |
|----------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| अनुच्छेद | 5,636 | 346 | 327 | 449 | 762 | 697 | 8,217 |

स्रोत: महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक द्वारा प्रदत्त सूचना।

अनुपालना/सुधारात्मक कार्यवाही के अभाव में 8,217 अनुच्छेदों में से 5,636 अनुच्छेद पांच वर्ष से भी अधिक समय से बकाया थे। विभाग ने बताया कि एक अनुच्छेद में आक्षेपित सभी दस्तावेजों में पूर्ण वसूली नहीं होने पर, चाहे एक ही आक्षेपित दस्तावेज में वसूली बकाया हो, अनुच्छेद बकाया रहता है जो कि निपटान में धीमी गति का कारण है।

सरकार आंतरिक लेखापरीक्षा समूह द्वारा गठित बकाया आपत्तियों की त्वरित अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा सकती है।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

विभाग में 544 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों³ हैं, इनमें से वर्ष 2019-20 में नमूना जांच हेतु 89 इकाइयों (लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का लगभग 16 प्रतिशत) का चयन किया गया। तथापि, कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण 84 इकाइयों (लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का लगभग 15 प्रतिशत) की ही लेखापरीक्षा की गई, जिनमें 7,85,850 दस्तावेज पंजीबद्ध थे। इनमें से 1,70,591 दस्तावेजों (दस्तावेजों का लगभग 22 प्रतिशत) का चयन नमूना जांच हेतु किया गया। जांच के दौरान 1,028 दस्तावेजों (नमूना दस्तावेजों का लगभग 0.6 प्रतिशत) में ₹ 25.61 करोड़ के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अप्राप्ति/कम प्राप्ति का पता चला।

ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं क्योंकि ये अभिलेखों की नमूना जांच पर आधारित हैं। यद्यपि, समान प्रकृति की त्रुटियां लेखापरीक्षा द्वारा पिछले वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं, ये अनियमिततायें बनी रहीं तथा आगामी लेखापरीक्षा होने तक उजागर नहीं हो पायीं। पायी गयी अनियमिततायें मुख्य रूप से तालिका 4.3 में दी गयी निम्न श्रेणियों में आती हैं:

3 लेखापरीक्षा योग्य 544 इकाइयां: लेखापरीक्षा योजना के अनुसार 525 उप पंजीयक (पंजीयन प्राधिकारी) एवं 19 प्रशासनिक कार्यालय।

तालिका 4.3

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---------|--|--------------------|--------------|
| 1 | सम्पत्तियों के बाजार मूल्य का गलत निर्धारण | 89 | 7.08 |
| 2 | मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण | 870 | 18.21 |
| 3 | अन्य अनियमितताएं: | 66 | 0.32 |
| | (i) राजस्व से संबंधित | 03 | 0.00 |
| | (ii) व्यय से संबंधित | | |
| | योग | 1,028 | 25.61 |

वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग द्वारा 2,043 प्रकरणों में राशि ₹ 45.94 करोड़ के अवमूल्यांकन एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया, इसमें से राशि ₹ 14.10 करोड़ के 376 प्रकरण वर्ष 2019-20 के दौरान बताये गये तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान 1,561 प्रकरणों में राशि ₹ 9.99 करोड़ की वसूली की गयी, इसमें से राशि ₹ 0.43 करोड़ के 30 प्रकरण वर्ष 2019-20 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व के वर्षों से संबंधित थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (जून 2019 से जुलाई 2019 के मध्य) के पश्चात लीज दस्तावेजों के अनिष्पादन/अपंजीयन (कार्यालय उप पंजीयक भिवाड़ी से संबंधित दो प्रकरण) तथा खनन पट्टों के हस्तान्तरण (कार्यालय उप पंजीयक बांसवाड़ा से संबंधित पांच प्रकरण) के सात प्रकरणों में सम्पूर्ण राशि ₹ 64.96 लाख राज्य सरकार द्वारा स्वीकार एवं वसूल की गयी। इन अनुच्छेदों की चर्चा प्रतिवेदन में नहीं की गयी है।

उदाहरणस्वरूप कुछ प्रकरण, जिनमें राशि ₹ 10.73 करोड़ निहित है, की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गयी है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि ये सभी मुद्दे पूर्व में भी उठाये जा चुके हैं तथा गत वर्षों के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में प्रकाशित किये गये हैं जिनमें सरकार द्वारा आक्षेपों को स्वीकार किया गया तथा कार्यवाही/वसूली आरम्भ की गयी। तथापि, यह देखा गया है कि विभाग द्वारा मात्र उन्हीं प्रकरणों में कार्यवाही की गयी जो लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये गये थे। समान प्रकृति के प्रकरणों की पुनरावृत्ति विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को इंगित करती है।

4.4 कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन पर मुद्रांक कर का अनारोपण

तीन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों का सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन हुआ, तथापि, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के स्वामित्व में स्थित संपत्तियों के सीमित दायित्व भागीदारी के हस्तान्तरण पर उनके मूल्य पर मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण नहीं किया गया

राज्य सरकार की अधिसूचना (मार्च 2017) के अनुसार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन संबंधित दस्तावेज जो कि 31 मार्च 2009 को या इसके पश्चात् निष्पादित किया गया हो, पर मुद्रांक कर हस्तान्तरित सम्पत्तियों के मूल्य पर 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभार्य होगा। मुद्रांक कर पर 9 मार्च 2011 से 10 प्रतिशत तथा 8 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत सरचार्ज प्रभार्य है। बाजार मूल्य का एक प्रतिशत अधिकतम ₹ दस हजार के अध्यक्षीय पंजीयन शुल्क भी प्रभार्य है।

कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर – VII के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (सितम्बर 2019) कि दो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के द्वारा अचल सम्पत्तियाँ खरीदी गई थी (दिसम्बर 2010 एवं अक्टूबर 2013) एवं अन्य एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के स्वामित्व में एक अचल सम्पत्ति थी (जनवरी 2013)। ये कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीबद्ध थी। इसके पश्चात्, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तीन सीमित दायित्व भागीदारियों के पक्ष में लीज दस्तावेज/संशोधित लीज दस्तावेज जारी किये गये (दिसम्बर 2015, दिसम्बर 2016 एवं अगस्त 2017) तथा ये उप पंजीयकों⁴ द्वारा पंजीबद्ध किये गये (दिसम्बर 2015, फरवरी 2017 एवं अगस्त 2017)।

इन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के सीमित दायित्व भागीदारियों में परिवर्तन से संबंधित सूचना लेखा परीक्षा द्वारा कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, जयपुर से मांगी गयी (मार्च 2020 एवं जून 2020)। सूचना की संवीक्षा में पता चला कि ये प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियाँ सीमित दायित्व भागीदारियों में परिवर्तित हुई थी एवं रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज जयपुर के द्वारा पंजीबद्ध थीं (जुलाई 2014, मार्च 2015 एवं जुलाई 2017)।

अचल सम्पत्तियाँ प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों द्वारा खरीदी गयी थीं तथा सीमित दायित्व भागीदारियों को हस्तान्तरित की गयी थीं। इसलिए, उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों से सीमित दायित्व भागीदारियों को हस्तान्तरित की गई सम्पत्तियों के मूल्य ₹ 42.38 करोड़ पर 0.5 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 23.75 लाख⁵ वसूलनीय था। तथापि, संबंधित उप पंजीयक द्वारा लीज दस्तावेजों/संशोधित लीज दस्तावेजों के पंजीयन के समय इस अनियमितता को नहीं देखा गया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 23.75 लाख का अनारोपण रहा।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2020)। सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2020) कि निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं। वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

विभाग को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से संस्थाओं के विधिक स्वरूप में परिवर्तन एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन संस्थाओं को पट्टे जारी किये जाने संबंधित सूचनाओं के प्रवाह में

4 उप पंजीयक जयपुर- I, जयपुर-II तथा जयपुर- VIII

5 ₹ 23.75 लाख: मुद्रांक कर ₹ 21.19 लाख, पंजीयन शुल्क ₹ 0.30 लाख एवं सरचार्ज ₹ 2.26 लाख।

कमी के परिणामस्वरूप राजस्व रिसाव के ऐसे प्रकरण आते हैं। विभाग राजस्व रिसाव को रोकने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज एवं जयपुर विकास प्राधिकरण से सूचनाओं के नियमित आधार पर प्रवाह हेतु एक औपचारिक तंत्र स्थापित कर सकता है।

4.5 मुख्तयारनामा के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

मुख्तयारनामा के दस्तावेजों के विवरणों पर संज्ञान लेने में विफलता के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर का कम आरोपण रहा

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21 के स्पष्टीकरण (i) के अनुसार, अचल सम्पत्ति के विक्रय अनुबंध या अनिस्तारणीय मुख्तयारनामा या अन्य कोई दस्तावेज यथा कन्वेयन्स या लीज जिसमें सम्पत्ति के कब्जे का हस्तान्तरण दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व, उस समय या बाद में किया गया हो उसे कन्वेयन्स माना जावेगा तथा उस पर मुद्रांक कर, कन्वेयन्स की दर यथा सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर 5 प्रतिशत की दर से वसूलनीय है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 44(ईई) के अनुसार, जब बिना किसी प्रतिफल के अचल सम्पत्ति विक्रय करने के लिए, मुख्तयारनामा निम्न को दिया गया हो तो;

- (i) निष्पादकों के पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पौत्री के मामले में मुद्रांक कर ₹ 2000 वसूलनीय होगा;
- (ii) अन्य किसी व्यक्ति के मामले में सम्पत्ति जो कि मुख्तयारनामा की विषयवस्तु है, के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूलनीय होगा।

कार्यालय उप पंजीयक पलसाना (सीकर) एवं जयपुर-II के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (सितम्बर 2019 एवं अक्टूबर 2019) कि अनिस्तारणीय मुख्तयारनामा के चार दस्तावेज एवं निस्तारणीय मुख्तयारनामा के एक दस्तावेज का निष्पादन मार्च 2010 से जनवरी 2017 के मध्य किया गया (मई 2016 से मार्च 2019 के मध्य पंजीबद्ध)। कार्यालय उप पंजीयक पलसाना (सीकर) ने तीन दस्तावेजों को परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित मुख्तयारनामों के रूप में वर्गीकृत किया तथा दो प्रकरणों में मुद्रांक कर ₹ 2,000 एवं एक प्रकरण में ₹ 100 वसूल किये। तथापि, मुख्तयारनामों की जांच में पता चला कि ये मुख्तयारनामे अनिस्तारणीय थे एवं इसलिए कन्वेयन्स के रूप में वर्गीकृत किये जाने चाहिए थे तथा सम्पत्तियों के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूलनीय था।

कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-II से संबंधित दो प्रकरणों में से एक प्रकरण में दस्तावेज अनिस्तारणीय था, जिसे कन्वेयन्स माने जाने के स्थान पर यह मात्र ₹ 500 के मुद्रांकों पर नोटेराइज्ड था तथा दूसरे प्रकरण में मुख्तयारनामा का दस्तावेज निस्तारणीय था जिस पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर दो प्रतिशत की दर से वसूलनीय मुद्रांक कर के स्थान पर मात्र ₹ 100 के मुद्रांकों पर दस्तावेज को नोटेराइज्ड किया गया था। उप पंजीयक इन मुख्तयारनामों

के आधार पर निष्पादित लीज/विक्रय दस्तावेजों के पंजीयन के समय यह संज्ञान लेने में विफल रहे कि ये दस्तावेज पूर्ण रूप से मुद्रांकित नहीं थे।

इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 1.44 करोड़ का कम आरोपण रहा।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2020) कि तीन दस्तावेजों में निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं तथा दो दस्तावेजों में कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

4.6 राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर की अनियमित छूट

गलत हकदारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के तहत मुद्रांक कर की अनियमित छूट अनुमत की गई

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना (योजना)⁶ 2014 के क्लॉज 3 के अनुसार योजना, नये एवं विद्यमान उद्यमों को नयी इकाईयों की स्थापना हेतु निवेश, विद्यमान उद्यमों को उनके विस्तारीकरण के लिए निवेश तथा रूग्ण उद्यमों को उनके पुनरुत्थान हेतु निवेश करने पर इस शर्त के अधीन लागू होगी कि योजना की सक्रिय अवधि के दौरान उद्यम को व्यावसायिक उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा। योजना के क्लॉज 4 में प्रावधान है कि जिस उद्यम को हकदारी प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा वह भूमि की स्वरीद या लीज के लिए निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेज पर देय मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत छूट का दावा करने के लिए पात्र होगा। इसके अतिरिक्त, क्लॉज 15 में प्रावधान है कि योजना में कहीं भी बतायी गयी किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में उचित स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा योजना के तहत प्राप्त लाभ वापस ले लिया जावेगा तथा इसकी सिफारिश पर संबंधित विभाग, उद्यम को दिये गये लाभ का, प्राप्त लाभ की दिनांक से 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित वसूली करेगा।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19 अप्रैल 2018 के अनुसार राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) द्वारा आवंटित या आम नीलामी के माध्यम से बेची गयी भूमि के लिए निष्पादित लीज दस्तावेज या विक्रय दस्तावेज पर मुद्रांक कर, क्रय मूल्य पर प्रभार्य होगा।

कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-III के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जुलाई 2019) कि विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थित 3848.57 वर्ग मीटर औद्योगिक भूखण्ड नम्बर E-100 के लिए रीको जयपुर (लेसर) एवं एक कम्पनी (लेसी) के मध्य एक लीज दस्तावेज का निष्पादन (मई 2018) किया गया। लेसी के द्वारा उपरोक्त

6 राज्य में निवेश एवं रोजगार के अवसरों के प्रोत्साहन की एक योजना है।

भूखण्ड आम नीलामी के माध्यम से खरीदा गया था (कीमत ₹ 18.37 करोड़)। इसी भूखण्ड के शेष क्षेत्र 337.68 वर्ग मीटर (कीमत ₹ 1.61 करोड़) के लिए उसी लेसर एवं लेसी के मध्य एक संशोधित लीज दस्तावेज का निष्पादन भी किया गया था (जनवरी 2019)। इस प्रकार, संशोधित लीज दस्तावेज के माध्यम से कुल 4186.25 वर्ग मीटर भूखण्ड लेसी को आवंटित किया गया।

लीज दस्तावेज/संशोधित लीज दस्तावेज के विवरणों की जांच में पता चला कि लीज दस्तावेज/संशोधित लीज दस्तावेज के पंजीयन के समय (मई 2018 एवं जनवरी 2019) जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर/आयुक्त, उद्योग, जयपुर द्वारा योजना के तहत लकड़ी की फंटी/चिप्स, इत्यादि के निर्माण हेतु औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु जारी हकदारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर मुद्रांक कर एवं सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट ₹ 59.93 लाख प्रदान की गयी थी। तथापि, लीज दस्तावेज में भूखण्ड के आवंटन का उद्देश्य सी.आई.कास्टिंग बताया गया था जिसका उत्पादन उद्यम द्वारा मई 2018 में शुरू कर दिया गया था। इसलिए, मुद्रांक कर एवं सरचार्ज में दी गई ₹ 59.93 लाख की छूट अनियमित थी तथा ₹ 17.04 लाख ब्याज सहित वसूलनीय है।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2020) कि राशि ₹ 5.66 लाख की वसूली कर ली गई है। शेष राशि की वसूली के संबंध में विभाग ने बताया (नवम्बर 2020) कि प्रकरण विधिक जांच के प्रक्रियाधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

4.7 ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट

ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट के दस्तावेजों पर मुद्रांक कर की कम वसूली

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 55 के अनुसार समनुदेशन के माध्यम से लीज हस्तान्तरण (ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट) के दस्तावेज पर मुद्रांक कर, सम्पत्ति जो कि हस्तान्तरण की विषय वस्तु है के बाजार मूल्य पर कन्वेयन्स की दर से वसूलनीय है। इसके अलावा, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान ने परिपत्र नम्बर 06/2009 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भागीदारी में परिवर्तन/फर्म के विघटन/फर्म के विधिक स्वरूप में परिवर्तन के लिए निष्पादित दस्तावेज, ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट की श्रेणी में आयेगा।

कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-II के पंजीयन दस्तावेजों की नमूना जांच में पाया गया (सितम्बर 2019) कि तीन दस्तावेज संशोधित लीज दस्तावेजों के रूप में पंजीबद्ध थे जिनका निष्पादन रीको⁷ द्वारा किया गया था। एक दस्तावेज में भागीदारी फर्म का विधिक स्वरूप एकल फर्म में

7 दो संशोधित लीज दस्तावेजों का निष्पादन रीको झोटवाड़ा द्वारा एवं एक का निष्पादन रीको, सीतापुरा (सांगानेर) द्वारा किया गया।

परिवर्तित हुआ तथा दूसरे एक दस्तावेज में एकल फर्म का विधिक स्वरूप भागीदारी फर्म में परिवर्तित हुआ। तीसरे दस्तावेज में छः भागीदारों में से चार ने भागीदारी फर्म से सेवानिवृत्ति ले ली, इस प्रकार फर्म के भागीदारी स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इस प्रकार, इन तीनों फर्मों के विधिक स्वरूप में परिवर्तन किये गये थे, जो कि ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाइनमेन्ट की श्रेणी में आने चाहिए थे तथा सम्पत्तियों के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 19.14 लाख⁸ वसूलनीय था। तथापि, पंजीयन प्राधिकारियों ने संशोधित लीज दस्तावेजों के पंजीयन के समय मुद्रांक कर, सरचार्ज एवं पंजीयन शुल्क ₹ 3.15 लाख⁹ वसूल किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 15.99 लाख¹⁰ की कम वसूली रही।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2020) कि कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

4.8 विकासकर्ता अनुबंधों पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

भू-स्वामियों एवं विकासकर्ताओं के मध्य निष्पादित विकासकर्ता अनुबंधों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 5(बीबीबीबी) एवं 5(ई) के अनुसार, किसी अचल सम्पत्ति के निर्माण अथवा विभाग के लिए अनुबन्ध या अनुबन्ध का ज्ञापन, यदि किसी प्रवर्तक अथवा विकासकर्ता जिसे किसी भी नाम से जाना जावे, को प्राधिकार या शक्ति देने से संबंधित हो, पर मुद्रांक कर, 25 मार्च 2012 तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत, 26 मार्च 2012 से 5 मार्च 2013 तक पांच प्रतिशत तथा 6 मार्च 2013 से एक प्रतिशत की दर से प्रभार्य होंगे। इनको 14 जुलाई 2014 से पुनः संशोधित किया गया जिसे भूमि के बाजार मूल्य पर भू-स्वामी के हिस्से पर एक प्रतिशत तथा विकासकर्ता के हिस्से पर दो प्रतिशत किया गया तथा 6 मार्च 2018 को विकासकर्ता के हिस्से पर घटाकर डेढ़ प्रतिशत कर दिया गया। मुद्रांक कर पर 9 मार्च 2011 से 10 प्रतिशत तथा 8 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत की दर से सरचार्ज प्रभार्य है। 9 अप्रैल 2010 से मूल्य या प्रतिफल पर एक प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹ पचास हजार के अध्यक्षीय पंजीयन शुल्क प्रभार्य है। अधिकतम सीमा को 9 मार्च 2015 से हटा दिया गया था, लेकिन 12 फरवरी 2018 से पुनः ₹ तीन लाख निर्धारित किया गया।

पांच उप पंजीयक कार्यालयों¹¹ के वर्ष 2018-19 के अभिलेखों की जांच में पता चला (जुलाई 2019 से सितम्बर 2019 के मध्य) कि विकासकर्ता अनुबंधों के सात दस्तावेजों का निष्पादन

8 ₹ 19.14 लाख: मुद्रांक कर ₹ 13.48 लाख, सरचार्ज ₹ 2.69 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.97 लाख।

9 ₹ 3.15 लाख: मुद्रांक कर ₹ 1.40 लाख, सरचार्ज ₹ 0.28 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.47 लाख।

10 ₹ 15.99 लाख: मुद्रांक कर ₹ 12.08 लाख, सरचार्ज ₹ 2.41 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.50 लाख।

11 अजमेर-II, भीलवाड़ा-I, जयपुर-VII, जोधपुर-I तथा नीमराणा (अलवर)।

जनवरी 2011 से नवम्बर 2018 (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के मध्य पंजीबद्ध) के मध्य भू-स्वामियों एवं विकासकर्ताओं के मध्य किया गया। कार्यालय उप पंजीयक नीमराणा (अलवर) के यहाँ पंजीबद्ध एक दस्तावेज में सम्पत्ति का मूल्यांकन ₹ 25.40 करोड़ के स्थान पर ₹ 2.78 करोड़ किया गया। कार्यालय उप पंजीयक अजमेर-II के दो दस्तावेजों तथा कार्यालय उप पंजीयक भीलवाड़ा-I के एक दस्तावेज में मूल्यांकन करते समय सुविधा क्षेत्र की भूमि को शामिल नहीं किया गया जबकि पूरी भूमि विकास हेतु समर्पित की गयी थी, हालांकि सुविधा क्षेत्र पूर्ण रूप से विकासकर्ता से संबंधित था। कार्यालय उप पंजीयक भीलवाड़ा-I के अन्य प्रकरण में दस्तावेज को प्रचलित जिला स्तरीय समिति की दरों पर मूल्यांकित किया गया तथा भू-स्वामी के हिस्से पर एक प्रतिशत एवं विकासकर्ता के हिस्से पर दो प्रतिशत की दर के स्थान पर उस मूल्य पर एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूल किया। कार्यालय उप पंजीयक जोधपुर-I के प्रकरण में, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं एक विकासकर्ता के मध्य निष्पादित विकासकर्ता अनुबंध सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत के स्थान पर मात्र ₹ 100 के मुद्रांक पेपर पर नोटेराइज्ड था। शेष रहे उप पंजीयक जयपुर-VII के प्रकरण में मुद्रांक कर, भू-स्वामी के हिस्से पर भूमि के बाजार मूल्य पर एक प्रतिशत तथा विकासकर्ता के हिस्से पर डेढ़ प्रतिशत के स्थान पर, भू-स्वामी तथा विकासकर्ता के मध्य निष्पादित विकासकर्ता अनुबंध मात्र ₹ 500 के स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड था।

इन सात विकासकर्ता अनुबंधों पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क कुल ₹ 4.10 करोड़ आरोपणीय था। तथापि, मात्र ₹ 0.78 करोड़ आरोपित किये गये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.32 करोड़ की कम वसूली हुयी।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2020 एवं दिसम्बर 2020)। सरकार ने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2020) कि पांच दस्तावेजों में कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिए गये हैं, एक प्रकरण में वसूली बकाया है तथा शेष प्रकरण विधिक परीक्षाणाधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

4.9 अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर का कम आरोपण

पंजीयन प्राधिकारी अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज के आरोपण एवं वसूली करने में विफल रहे

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 37 के अनुसार लोक कार्यालय का प्रत्येक प्रभारी-व्यक्ति¹² जिसके समक्ष कोई दस्तावेज, जिस पर मुद्रांक कर प्रभार्य है अथवा ऐसा कोई दस्तावेज उसके कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान संज्ञान में आता है, तो ऐसे प्रत्येक दस्तावेज के बारे में यह पता लगाने के लिए जांच करेगा कि क्या उक्त दस्तावेज निष्पादन अथवा प्रथम बार निष्पादन पर तत्समय राज्य में प्रचलित कानून द्वारा मूल्य तथा विवरण के साथ मुद्रांकित है।

12 तात्पर्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक कार्यालय का प्रभारी व्यक्ति अधिसूचित किया गया है।

जब ऐसे व्यक्ति को निरीक्षण के दौरान अथवा अन्यथा किसी दस्तावेज अथवा इसकी प्रति से यह पता चलता है कि दस्तावेज विधिवत मुद्रांकित नहीं है, तो वह इस मामले को कलक्टर (मुद्रांक) को संदर्भित करेगा। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 16 दिसम्बर 1997 के द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस, नोटेरी पब्लिक तथा उप पंजीयक कार्यालयों को लोक कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया है।

4.9.1 साझेदारी फर्मों को अचल सम्पत्तियों का अंशदान

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 43(1)(सी) के अनुसार, साझेदारी के दस्तावेज के मामले में जहाँ अंशदान अचल सम्पत्ति के माध्यम से लाया जाता है, पर मुद्रांक कर ऐसी सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेयन्स की दर से प्रभार्य होगा।

(i) दो रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस¹³ के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जून 2019 तथा जुलाई 2019) कि साझेदारी से संबंधित चार दस्तावेज मई 2014 से अगस्त 2017 के मध्य साझेदारी विलेखों के रूप में पंजीबद्ध थे। इन विलेखों की जांच में पता चला कि व्यक्तिगत स्वामित्व की ₹ 3.68 करोड़ मूल्य की अचल सम्पत्तियां साझेदारी फर्मों को हस्तान्तरित की गयी जिस पर मुद्रांक कर ₹ 18.43 लाख¹⁴ आरोपणीय था। तथापि, ये नोटेरी पब्लिक के कार्यालय में मुद्रांक मूल्य ₹ 5,000¹⁵ मात्र पर नोटेराइज्ड थे। इन प्रकरणों में रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस तथा नोटेरी पब्लिक ने ना तो दस्तावेजों को जब्त किया और ना ही इन्हें कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) को संदर्भित किया जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 18.38 लाख¹⁶ का कम आरोपण रहा।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2020) कि दो दस्तावेजों में कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर दिये गये हैं तथा दो दस्तावेजों में वसूली बकाया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

(ii) कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर-I के अवधि 2018-19 के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जून 2019) कि एक साझेदारी फर्म (विक्रेता) के तीन भागीदारों एवं एक क्रेता के मध्य एक सम्पत्ति पर निर्मित फ्लैट के लिए विक्रेता विलेख का निष्पादन किया गया (जून 2018)। विक्रेता विलेख की जांच में पता चला कि इन भूखण्डों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जुलाई 2001 में इन भागीदारों के पक्ष में व्यक्तिगत पट्टे जारी किये गये थे। इन भागीदारों ने इसके पश्चात अक्टूबर 2013 में एक साझेदारी फर्म का गठन किया तथा उपरोक्त सम्पत्ति को साझेदारी फर्म को हस्तान्तरित

13 रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस भरतपुर (तीन प्रकरण) तथा जोधपुर (एक प्रकरण)।

14 ₹ 18.43 लाख: मुद्रांक कर ₹ 16.53 लाख तथा सरचार्ज ₹ 1.90 लाख।

15 ₹ 5000: दो मामलों में ₹ 2000 प्रत्येक तथा दो मामलों में ₹ 500 प्रत्येक।

16 ₹ 18.38 लाख: मुद्रांक कर ₹ 16.48 लाख तथा सरचार्ज ₹ 1.90 लाख।

कर दिया जिसके कारण सम्पत्ति के बाजार मूल्य ₹ 2.98 करोड़¹⁷ पर उपरोक्त आर्टिकल के अन्तर्गत मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 16.41 लाख¹⁸ आरोपणीय था। तथापि, पंजीयन प्राधिकारी ने विक्रय विलेख के पंजीयन के समय इसको ध्यान में नहीं रखा जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं सरचार्ज ₹ 16.41 लाख का अनारोपण रहा।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। सरकार ने बताया (सितम्बर 2020) कि कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज करा दिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

4.9.2 साझेदारों की सेवानिवृत्ति पर अचल सम्पत्तियों का हस्तान्तरण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 43(2)(ए) के अनुसार साझेदार के सेवानिवृत्त होने पर एक साझेदार द्वारा सम्पत्ति का अपना हिस्सा प्राप्त किया जाता है, उस साझेदार से भिन्न साझेदार द्वारा उस संपत्ति को अपने हिस्से के रूप में साझेदारी फर्म में अंशदान के लिए लाता है, तो सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेयन्स की दर से मुद्रांक कर वसूलनीय होगा।

दो उप पंजीयक कार्यालयों¹⁹ तथा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स भरतपुर के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जून 2019 से दिसम्बर 2019 के मध्य) कि साझेदारी में परिवर्तन से संबंधित चार दस्तावेज साझेदारों की सेवानिवृत्ति पर साझेदारी विलेख/संशोधित लीज विलेख के रूप में पंजीबद्ध थे (जनवरी 2013 से जुलाई 2017 के मध्य)। इन दस्तावेजों की जांच में पता चला कि मूल्य ₹ 11.73 करोड़ की अचल सम्पत्तियां जो कि सेवानिवृत्त होने वाले साझेदारों के स्वामित्व में थी, साझेदारी फर्म के विद्यमान/नये साझेदारों को हस्तान्तरित कर दी गयीं जिस पर मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 64.86 लाख²⁰ आरोपणीय था। तथापि, ये नोटरी पब्लिक के कार्यालय में ₹ 3,500²¹ मूल्य के स्टाम्पों पर नोटेराइज्ड थे। इन प्रकरणों में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, उप पंजीयक तथा नोटरी पब्लिक द्वारा ना तो इन दस्तावेजों को जब्त किया गया और ना ही इन्हें कलक्टर (मुद्रांक) को संदर्भित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर तथा सरचार्ज ₹ 64.83 लाख²² का कम आरोपण रहा।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने उत्तर में बताया (सितम्बर 2020) कि दो दस्तावेजों में कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिए गये हैं तथा दो दस्तावेजों में वसूली बकाया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

17 ₹ 2.98 करोड़: 2132.23 वर्ग मीटर x 12720 प्रति वर्ग मीटर प्रचलित जिला स्तरीय समिति की दरों से +10 प्रतिशत अतिरिक्त (कार्नर)।

18 ₹16.41 लाख: मुद्रांक कर ₹ 14.92 लाख तथा सरचार्ज ₹1.49 लाख।

19 उप पंजीयक: बिलाडा (जोधपुर) तथा जयपुर-V

20 ₹ 64.86 लाख: मुद्रांक कर ₹ 58.64 लाख तथा सरचार्ज ₹ 6.22 लाख।

21 ₹ 3500: एक प्रकरण में ₹ 2000 तथा तीन प्रकरणों में प्रत्येक में ₹ 500

22 ₹ 64.83 लाख: मुद्रांक कर ₹ 58.61 लाख तथा सरचार्ज ₹ 6.22 लाख।

4.10 कम्पनियों का समामेलन/पुनर्गठन

कम्पनियों के समामेलन/पुनर्गठन पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की अनुसूची के ऑर्टिकल 21(iii) के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394 के तहत किसी कम्पनी के समामेलन, अविलिनीकरण अथवा पुनर्गठन के आदेश पर मुद्रांक कर देय है। राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2014 के द्वारा ट्रांसफरर कंपनी की संपूर्ण अचल संपत्ति के मूल्य के अनुपात में राजस्थान में स्थित अचल संपत्ति का प्रतिशत निकालकर शुद्ध सम्पत्ति के उतने प्रतिशत पर दो प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर निर्धारित किया। यह मुद्रांक कर अन्यत्र कहीं भी दस्तावेजों पर भुगतान किये गये मुद्रांक कर के अतिरिक्त है।

इसके पश्चात, राज्य सरकार ने संबंधित प्रावधानों को अधिकतम ₹ 25 करोड़ के अध्यक्षीन निम्नलिखित दरों से संशोधित (अधिसूचना दिनांक 08 मार्च 2016 से) किया:

(i) समामेलन, अविलिनीकरण या पुनर्गठन के बदले में या अन्यथा जारी या आवंटित या रद्द किये गये शेयरों के बाजार मूल्य में समाविष्ट कुल राशि या शेयरों के अंकित मूल्य में से जो भी अधिक हो तथा संदत्त प्रतिफल की रकम, यदि कोई हो, के चार प्रतिशत के बराबर रकम, अथवा

(ii) ट्रांसफरर कम्पनी की राजस्थान राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य के चार प्रतिशत के बराबर रकम, जो भी अधिक हो।

कार्यालय उप पंजीयक, भरतपुर तथा बाड़मेर के वर्ष 2018-19 के पंजीयन अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया (जून एवं जुलाई 2019 के मध्य) कि कार्यालय उप पंजीयक भरतपुर के यहाँ एक कम्पनी जिसका बाजार मूल्य ₹ 9.14 करोड़ था, जो कि अपनी एक सहायक कम्पनी में पुनर्गठित हुयी थी, के लिए एक संशोधित लीज दस्तावेज पंजीबद्ध हुआ (फरवरी 2016)। तथापि, पंजीयन प्राधिकारी ने संशोधित लीज दस्तावेज के पंजीयन के समय सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आरोपणीय मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 29.25 लाख²³ के स्थान पर कुल ₹ 3.02 लाख²⁴ वसूल किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 26.23 लाख²⁵ का कम आरोपण हुआ।

इसी प्रकार कार्यालय उप पंजीयक बाड़मेर के यहाँ दो दस्तावेज संशोधित लीज दस्तावेजों के रूप में पंजीबद्ध (जनवरी 2019) थे। दस्तावेजों की जांच में पता चला कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश (जुलाई 2011) के आधार पर पांच कम्पनियों का समामेलन

23 ₹ 29.25 लाख: मुद्रांक कर ₹ 18.28 लाख, सरचार्ज ₹ 1.83 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 9.14 लाख।

24 ₹ 3.02 लाख: मुद्रांक कर ₹ 2.33 लाख, सरचार्ज ₹ 0.23 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.46 लाख।

25 ₹ 26.23 लाख: मुद्रांक कर ₹ 15.96 लाख, सरचार्ज ₹ 1.59 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 8.68 लाख।

एक कम्पनी में हुआ। समामेलित कम्पनियों में से एक कम्पनी के स्वामित्व में 111.4 बीघा कृषि भूमि, आदर्श बस्ती, ग्राम विशाला (जिला बाड़मेर) में स्थित थी। संबंधित पंजीयन प्राधिकारी द्वारा भूमि के बाजार मूल्य (₹ 64.56 लाख) पर मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 3.74 लाख²⁶ वसूल किये गये जबकि प्रतिफल राशि (₹ 4.66 करोड़)²⁷ जो कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य से अधिक थी, पर ₹ 25.38 लाख²⁸ आरोपणीय थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.64 लाख²⁹ का कम आरोपण हुआ।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2020)। सरकार ने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2020) कि एक दस्तावेज में कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के द्वारा पारित वसूली आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच द्वारा स्थगन प्रदान किया गया तथा दूसरे दस्तावेज में कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के यहां प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

4.11 अचल सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन

अचल सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 21(i) के अनुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेज पर मुद्रांक कर³⁰ सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 58 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य, जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों में से जो उच्चतर हो, के आधार पर निर्धारित होगा। मुद्रांक कर पर 9 मार्च 2011 से 10 प्रतिशत तथा 8 मार्च 2016 से 20 प्रतिशत सरचार्ज प्रभार्य है।

मूल्यांकन पर 9 मार्च 2015 से एक प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क प्रभार्य है। पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 8 मार्च 2017 से ₹ चार लाख निर्धारित की गयी, जिसको संशोधित करके 12 फरवरी 2018 से ₹ तीन लाख कर दिया गया।

26 ₹ 3.74 लाख: मुद्रांक कर ₹ 2.58 लाख, सरचार्ज ₹ 0.51 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.65 लाख।

27 ₹ 4.66 करोड़: नए जारी किए गए ₹ 10 प्रत्येक अंकित मूल्य के 9,94,987 इक्विटी शेयर तथा रद्द किए गए ₹ 100 प्रत्येक अंकित मूल्य के 3,66,803 प्रेफरेंस शेयर।

28 ₹ 25.38 लाख: मुद्रांक कर ₹ 18.65 लाख, सरचार्ज ₹ 3.73 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 3.00 लाख।

29 ₹ 21.64 लाख: मुद्रांक कर ₹ 16.07 लाख, सरचार्ज ₹ 3.21 लाख तथा पंजीयन शुल्क ₹ 2.36 लाख।

30 मुद्रांक कर: 8 जुलाई 2009 से पाँच प्रतिशत की दर से।

तेरह उप पंजीयक कार्यालयों³¹ के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया (जून 2019 से मार्च 2020 के मध्य) कि कृषि/आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक/फार्म हाऊस भूमियों से संबंधित 35 दस्तावेजों का पंजीयन विक्रय विलेख/लीज विलेख/विकासकर्ता अनुबंध के रूप में अप्रैल 2015 से फरवरी 2019 तक किया गया।

इन दस्तावेजों की जांच में पता चला कि संबंधित पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन ₹ 145.08 करोड़ किया गया जबकि सही मूल्यांकन ₹ 219.36 करोड़ किया जाना चाहिए था, जिसका कारण गलत दरों को अपनाना यथा सम्पत्तियों का स्थान, सम्पत्तियों का क्षेत्रफल, जिला स्तरीय समिति की दरें/आरक्षित मूल्य, प्रासंगिक प्रभारों की गणना, इत्यादि रहा। इस प्रकार, पंजीयन प्राधिकारियों ने मुद्रांक कर, सरचार्ज तथा पंजीयन शुल्क ₹ 9.71 करोड़³² के स्थान पर ₹ 6.38 करोड़³³ आरोपित किये जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.33 करोड़³⁴ का कम आरोपण हुआ।

मामला राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 के मध्य) गया। सरकार ने उत्तर में बताया (अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य) कि तीन दस्तावेजों में पूर्ण वसूली कर ली गई है, 14 दस्तावेजों में निष्पादकों को वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं, 15 दस्तावेजों में कार्यालय कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ प्रकरण दर्ज कर लिये गये हैं तथा शेष तीन दस्तावेजों में वसूली बकाया है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

31 उप पंजीयक: बारां (एक प्रकरण), भिवाड़ी (तीन प्रकरण), चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर) (तीन प्रकरण), हुरड़ा (भीलवाड़ा) (नौ प्रकरण), जयपुर-II (पाँच प्रकरण), जयपुर-V (दो प्रकरण), जैसलमेर (एक प्रकरण), केलवाड़ा (बारां) (एक प्रकरण), रतनगढ़ चुरू (दो प्रकरण), रूपनगढ़ (अजमेर) (एक प्रकरण), शाहबाद (बारां) (एक प्रकरण), तालेड़ा (बूंदी) (चार प्रकरण) तथा उदयपुर-I (दो प्रकरण)।

32 ₹ 9.71 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 7.54 करोड़, सरचार्ज ₹ 1.14 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 1.03 करोड़।

33 ₹ 6.38 करोड़: मुद्रांक कर ₹ 4.90 करोड़, सरचार्ज ₹ 0.78 करोड़ तथा पंजीयन शुल्क ₹ 0.70 करोड़।

34 ₹ 3.33 करोड़: ₹ 9.71 करोड़ (-) ₹ 6.38 करोड़।

अध्याय V
राज्य आबकारी

अध्याय-V: राज्य आबकारी

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं। जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देस्वरेस्व तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं।

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभाराधीन एक आंतरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की नमूना जांच करनी होती है।

गत पांच वर्षों की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न तालिका 5.1 में दी गयी है:

तालिका 5.1

| वर्ष | बकाया इकाईयाँ | वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाईयाँ | कुल इकाईयाँ | वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयाँ | लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयाँ | लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयाँ का प्रतिशत |
|---------|---------------|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 2015-16 | 0 | 41 | 41 | 37 | 4 | 10 |
| 2016-17 | 4 | 41 | 45 | 40 | 5 | 12 |
| 2017-18 | 5 | 44 | 49 | 28 | 21 | 43 |
| 2018-19 | 21 | 44 | 65 | 19 | 46 | 71 |
| 2019-20 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 | 81 |

स्रोत: राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ऐसी इकाईयाँ जिनकी लेखापरीक्षा बकाया थी, के प्रतिशत में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति निम्न तालिका 5.2 में दी गयी है:

तालिका 5.2

| वर्ष | 1995-96 से 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | योग |
|----------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| अनुच्छेद | 176 | 92 | 123 | 178 | 192 | - | 761 |

स्रोत: राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इस प्रकार, वर्ष 2019-20 के अंत में 761 अनुच्छेद बकाया थे जिनमें से 176 अनुच्छेद पांच वर्षों से भी अधिक समय से बकाया थे। विभाग द्वारा कार्यवाही के अभाव के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अनुच्छेदों का बकाया रहना आंतरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य को विफल करता है।

सरकार को आंतरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिए बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा बकाया अनुच्छेदों पर समुचित कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिए।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में कुल 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ (54 कार्यान्वयन इकाइयाँ सहित) हैं, जिसमें से लेखापरीक्षा द्वारा 40 इकाइयाँ (18 कार्यान्वयन इकाइयाँ सहित) लेखापरीक्षा हेतु चुनी गयीं। तथापि, कोविड-19 महामारी के कारण, वर्ष 2019-20 के दौरान 39 इकाइयाँ (18 कार्यान्वयन इकाइयाँ सहित) की लेखापरीक्षा की जा सकी। इन इकाइयों के अभिलेखों, जिनमें 4,173 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 7,195 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित हैं, की संवीक्षा 10,900 प्रकरणों की जांच के साथ की गई। इसमें 2,881 (नमूना प्रकरणों का लगभग 26 प्रतिशत) प्रकरणों में राशि ₹ 28.89 करोड़ के आबकारी शुल्क व अनुज्ञापत्र शुल्क, स्पेशल वेन्डफीस, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली और प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुईं। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं। समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थीं लेकिन आगामी लेखापरीक्षा होने तक ये अनियमितताएं न केवल विद्यमान थीं अपितु पहचानी भी नहीं गयी थीं। जो अनियमितताएं पायी गई वे मुख्यतः नीचे दी गयी तालिका 5.3 में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं:

तालिका 5.3

| (₹ करोड़ में) | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------|
| क्रं. सं. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 1 | आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली | 506 | 25.19 |
| 2 | भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर स्पेशल वेन्ड फीस की अवसूली/कम वसूली | 366 | 2.96 |
| 3 | प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि | 207 | 0.15 |
| 4 | विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की अवसूली | 36 | 0.16 |
| 5 | अन्य अनियमितताएं | | |
| | (i) राजस्व | 369 | 0.42 |
| | (ii) व्यय | 1,397 | 0.01 |
| योग | | 2,881 | 28.89 |

विभाग ने 604 प्रकरणों में ₹ 19.59 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 18.38 करोड़ के 318 प्रकरण वर्ष 2019-20 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के

दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा 332 प्रकरणों में ₹ 2.26 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिनमें से ₹1.05 करोड़ के 46 प्रकरण वर्ष 2019-20 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ने डिस्टलरी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क की कम वसूली के दो प्रकरणों में (कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सीकर से संबंधित) ₹ 37.50 लाख की सम्पूर्ण राशि स्वीकार एवं वसूल की। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने (मई 2020) के पश्चात् राज्य सरकार ने 19 मामलों (कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर से संबंधित) में देशी मदिरा के कम मात्रा में उठाव के कारण अंतर राशि की अवसूली को स्वीकार किया एवं सिक्थोरिटी डिपॉजिट से ₹ 50.04 लाख का समायोजन किया, जबकि शेष एक प्रकरण में ₹ 1.83 लाख वसूल नहीं हुए। इन अनुच्छेदों की प्रतिवेदन में चर्चा नहीं की गई है।

उदाहरणस्वरूप विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों के कुछ प्रकरणों जिनमें राशि ₹ 26.21 करोड़ शामिल हैं पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने टिप्पणियों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की। तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफल रहा जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई।

5.4 रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों से अतिरिक्त राशि की अवसूली

भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा के लिए जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाधारियों को नोटिस जारी करने एवं अतिरिक्त राशि की वसूली में विफल रहे

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2016-17 के पैरा 3.10 और 4.6 के अनुसार, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) और बीयर की कम उठायी गई मात्रा पर ₹10 प्रति बल्क लीटर (बीएल) की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे रिटेल-ऑफ अनुज्ञाधारियों¹ से लिया जाना था जिन्होंने 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष की उसी तिमाही में ली गई समान मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर की न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की। प्रत्येक त्रैमास के अंत में ऐसी कम उठाई गई मात्रा की दुकान-वार गणना की जानी थी। नीति 2017-19 के पैरा 3.20 और 4.6 के अनुसार, 2017-19 के दौरान कम उठाई गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि की दरें आईएमएफएल के लिए ₹ 20 प्रति बीएल और बीयर के लिए ₹10 प्रति बीएल संशोधित की गई।

1 रिटेल-ऑफ का अर्थ है सील पैक कंटेनर में मदिरा की खुदरा बिक्री और खुदरा विक्रेता के परिसर में उपभोग नहीं की जाती है।

इसके अलावा, आबकारी आयुक्त (ईसी) द्वारा जारी (27 जून 2016) निर्देशों के अनुसार, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के स्तर पर कम उठाई गई मात्रा पर निर्धारित दर के अनुसार अतिरिक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जानी थी।

वर्ष 2015-19 के लिए सात जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों² के अभिलेखों की जांच के दौरान (जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के बीच), यह देखा गया कि 295 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की तुलना में 2016-19 में आईएमएफएल और बीयर उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की और इस प्रकार ₹ 2.65 करोड़ की अतिरिक्त राशि भुगतान करने के लिए देय थी। उपर्युक्त निर्देशों की अनुपालना में जिला आबकारी अधिकारी को प्रत्येक रिटेल-ऑफ लाइसेंस के लिए अतिरिक्त राशि की गणना करनी चाहिए थी और तिमाही पूरी होने के सात दिनों के भीतर संबंधित अनुज्ञाधारी को नोटिस जारी करना चाहिए था। संबंधित जिला आबकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार थे कि नोटिस जारी होने के सात दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि जमा करा दी गई थी। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा न तो अनुज्ञाधारियों को नोटिस जारी किए और न ही अतिरिक्त राशि जमा की गई। लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर ने (अगस्त 2019 से अक्टूबर 2019 के बीच) ₹ 5.72 लाख की राशि वसूल की। इस प्रकार, ₹ 2.59 करोड़ की अतिरिक्त राशि वसूल नहीं हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई और अगस्त 2020) कि आक्षेपित राशि के समक्ष ₹ 0.89 करोड़ की राशि वसूल कर ली गई है और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

5.5 कम्पोजिट फीस की कम वसूली

परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस की गलत गणना के परिणामस्वरूप राजस्व की कम प्राप्ति

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2016-17, 2017-18 और 2018-19 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 67-आई और 67-केकेके के अनुसार देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए)³ पर आवेदन आमंत्रित करके किया जाता है। आबकारी आयुक्त द्वारा जिले में प्रस्तावित देशी मदिरा की दुकानों/समूहों की संख्या को उसकी ईपीए, कम्पोजिट फीस और अमानत राशि और आवेदन शुल्क विहित करते हुए देशी मदिरा लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया जाता है।

2 जिला आबकारी अधिकारी: बाँसवाड़ा, जयपुर शहर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली एवं सीकर।

3 एकाकी विशेषाधिकार राशि: आबकारी विभाग द्वारा देशी मदिरा समूहों/दुकानों से विशिष्ट क्षेत्र में मदिरा के व्यापार के विशेष अधिकार के लिए वसूल की जाने वाली राशि को एकाकी विशेषाधिकार राशि कहा जाता है।

उपर्युक्त नीति के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र की देशी मदिरा की दुकानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नगरीय क्षेत्र के पाँच किलोमीटर के दायरे में अवस्थित गाँवों की देशी मदिरा दुकानों को 'परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे परिधीय क्षेत्र के गाँवों को नीति में निर्धारित संबंधित श्रेणियों के लिए कम्पोजिट फीस के साथ 'ए' और 'बी' के रूप में आगे और वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रेणी 'ए' की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस राजस्थान राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) की गत वर्ष की वार्षिक बिलिंग राशि के छः प्रतिशत के बराबर या संबंधित नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आईएमएफएल/बीयर की दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क, जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया। 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए श्रेणी 'बी' की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस गत वर्ष के दौरान आरएसबीसीएल की वार्षिक बिलिंग राशि के छः प्रतिशत के बराबर या संबंधित नगरीय क्षेत्र के आईएमएफएल/ बीयर की दुकान के वार्षिक लाइसेंस शुल्क के 50 प्रतिशत या ₹ 50,000 में से जो भी अधिक हो, निर्धारित किया गया।

2015-16 से 2018-19 तक के वर्षों के लिए, छह जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों⁴ के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2019 और फरवरी 2020 के बीच) के दौरान, यह देखा गया कि ग्यारह समूहों की 16 देशी मदिरा दुकानों को परिधीय क्षेत्र की दुकानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ऐसे समूहों/दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस में दी गई कम्पोजिट फीस, नीति के अनुसार उनकी संबंधित श्रेणी की राशि से कम थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.23 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2020)। सरकार ने जवाब दिया (जुलाई और अगस्त 2020) कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आक्षेपित राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

5.6 अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

विभाग द्वारा सक्रिय कार्यवाही के अभाव में होटल बार अनुज्ञाधारियों से अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी (ग्रांट ऑफ होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र) नियम (नियम), 1973 के अनुसार, होटलों को मुख्यतः तीन श्रेणियों अर्थात् लक्जरी, हेरिटेज और अन्य में वर्गीकृत किया गया था। उक्त नियम का नियम 2 (एए)⁵ निर्धारित करता है कि 'हेरिटेज राजस्थान होटल' का आशय राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी/समिति द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी होटल है। हेरिटेज होटल को आगे 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उक्त के नियम 3 के अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी

4 जिला आबकारी अधिकारी: जयपुर शहर (एक समूह-एक दुकान), चित्तौड़गढ़ (एक समूह-एक दुकान), उदयपुर (तीन समूह-चार दुकानें), अजमेर (दो समूह-चार दुकानें), भरतपुर (एक समूह-दो दुकानें) एवं सीकर (तीन समूह-चार दुकानें)।

5 31 जनवरी 2012 की अधिसूचना द्वारा जोड़ा गया।

के होटल अर्थात् हेरिटेज/अन्य होटलों के बार अनुज्ञापत्र के लिए प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिए मूल अनुज्ञा शुल्क की दरें निर्धारित की गई थीं।

2015-19 की अवधि के लिए अभिलेखों की जांच (जनवरी 2020 और मार्च 2020 के बीच) में दो जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों⁶ के निम्न छह मामलों में होटल बार अनुज्ञाधारियों से अनुज्ञा शुल्क ₹ 31.00 लाख की कम वसूली प्रकट हुई:

(i) 2012-13 से दो बार (जिला आबकारी अधिकारी, पाली) और 2016-17 से एक बार (जिला आबकारी अधिकारी, झुंझुनू) को उन होटलों में संचालित किया जा रहा था जिन्हें हेरिटेज होटल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। तथापि, इन होटल बारों का अनुज्ञापत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए 'अन्य होटलों' की श्रेणी के अंतर्गत वसूलनीय अनुज्ञा शुल्क के स्थान पर हेरिटेज होटल के अंतर्गत श्रेणी 'सी' के लिए लागू अनुज्ञा शुल्क वसूल कर नवीनीकरण किया गया था।

(ii) अन्य तीन मामलों में, 25 से अधिक कमरों वाले होटल में तीन बार नगरीय सीमा में स्थित थे। तथापि, सक्षम अधिकारियों ने 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए इन होटल बार के अनुज्ञापत्र का 25 कमरों तक के होटलों के लिए लागू अनुज्ञा शुल्क की वसूली कर नवीनीकरण किया।

इस प्रकार, अनुज्ञाधारी ₹ 90.00 लाख के अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन होटल बार के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अनुज्ञा शुल्क की ₹ 31.00 लाख की कम वसूली हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2020)। सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि जिला आबकारी अधिकारी, पाली के अधिकार क्षेत्र में एक इकाई से ₹ 8.00 लाख वसूल किये गये हैं और शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

5.7 बीयर उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक का संधारण न करना

बीयर उत्पादन के लिए ब्रेवरीज द्वारा न्यूनतम प्राप्ति दक्षता का संधारण न करने पर शास्ति की कम वसूली

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 34 (ए) के अनुसार, प्रत्येक ब्रेवर उपयोग में लिए गए प्रत्येक 100 किलोग्राम माल्ट और अन्य कच्चे माल से 650 लीटर माइल्ड बीयर या 490 लीटर स्ट्रांग बीयर की न्यूनतम प्राप्ति को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, आबकारी आयुक्त बीयर की प्राप्ति में कमी के मामले में ₹ 10 प्रति लीटर की शास्ति लगा सकता है जब तक कि ब्रेवर द्वारा यह साबित नहीं किया जाता है कि विफलता जानबूझकर नहीं की गई थी और बीयर के लिए प्राप्ति के निर्दिष्ट पैमाने को बनाए रखने के

6 जिला आबकारी अधिकारी, पाली एवं झुंझुनू।

लिए उसके द्वारा आवश्यक सावधानी बरती गई थी। इसके अलावा, यदि ब्रेवर बीयर के लिए प्राप्ति के न्यूनतम पैमाने को बनाए रखने में बार-बार विफल रहता है, तो आबकारी आयुक्त ऐसे ब्रेवर के अनुज्ञापत्र को, सुनवाई का अवसर देने के बाद, रद्द या निलंबित कर सकता है। इसके अलावा, विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को प्रभावी पर्यवेक्षण और निरंतर निगरानी के साथ उक्त नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया (अगस्त 2019)।

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर और जिला आबकारी अधिकारी (उत्पादन इकाइयाँ), बहरोड़ कार्यालयों के क्षेत्राधीन छः ब्रेवरीज के अभिलेखों की नमूना जांच (नवंबर 2019) में पता चला कि इन इकाइयों ने बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता के मानदंडों को प्राप्त नहीं किया। इन इकाइयों ने कुल 389 माइल्ड ब्रू में से कम प्राप्ति वाले 158 ब्रू के अन्तर्गत उपयोग में लिए गये 6.44 लाख किलोग्राम कच्चे माल से 33.12 लाख बल्क लीटर माइल्ड बीयर का उत्पादन किया। इसी प्रकार, 8,855 स्ट्रॉंग ब्रू में से कम प्राप्ति वाले 6,465 ब्रू के अन्तर्गत उपयोग में लिए गये 373.58 लाख किलोग्राम कच्चे माल से 1686.54 लाख बल्क लीटर स्ट्रॉंग बीयर का उत्पादन किया। मानकों के अनुसार, उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री से बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता 1,872.41 लाख बीएल (माइल्ड बीयर 41.85 लाख बीएल और स्ट्रॉंग बियर 1830.56 लाख बीएल) होनी चाहिए। इस प्रकार, ब्रेवर बीयर की न्यूनतम प्राप्ति दक्षता को बनाए रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 152.75 लाख बीएल बीयर का कम उत्पादन हुआ। बीयर के कम उत्पादन पर अधिरोपित शास्ति ₹ 15.28 करोड़ के समक्ष विभाग ने ₹ 7.34 करोड़ की शास्ति वसूल की, परिणामस्वरूप ₹ 7.94 करोड़ की कम वसूली हुई।

यहां यह बताना भी समीचीन होगा कि इन छः ब्रेवर्स में से पांच ब्रेवर्स वही थे जिनपर 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व और आर्थिक क्षेत्र) के अनुच्छेद 6.4.7.3 में टिप्पणी की गई थी। तथापि, विभाग ने ब्रेवर्स, जो बीयर के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम पैमाने को बनाए रखने में बार-बार विफल रहे, के अनुज्ञापत्र रद्द करने की कार्यवाही नहीं की।

प्रकरण जून और सितंबर 2020 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। इसके जवाब में सरकार ने कहा (नवम्बर 2020) कि चार ब्रेवर्स के संबंध में ₹ 18.12 लाख की शास्ति वसूली गयी है। शेष दो ब्रेवर्स हाई ग्रेविटी बियर (एचजीबी) का उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए, एचजीबी के मानकों हेतु सुझाव देने के लिए विभागीय स्तर पर एक समिति गठित की गई है क्योंकि एचजीबी के उत्पादन के लिए मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। इन दो ब्रेवर्स में से एक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और न्यायालय ने वसूली प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचजीबी के उत्पादन की अनुमति प्रदान करने से पूर्व एचजीबी से सम्बंधित मानकों का निर्धारण किया जाना चाहिये था। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

5.8 प्रतिभूति जमा और अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि को जब्त करने का अभाव

देशी मदिरा समूहों से प्रतिभूति जमा और अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) जब्त करने के कारण राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 का नियम 67-आई यह प्रावधान करता है कि किसी भी स्थानीय क्षेत्र के भीतर खुदरा मूल्य पर देशी मदिरा बेचने का एकाकी विशेषाधिकार अनुज्ञापत्र, आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए ईपीए के भुगतान की शर्त पर आवेदन आमंत्रित करके दिया जा सकता है। राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2017-18 और 2018-19 के प्रावधानानुसार वर्ष 2017-18 के लाइसेंस वाले देशी मदिरा समूहों को उनके वर्ष 2018-19 के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु 2018-19 के लिए निर्धारित ईपीए के 16 प्रतिशत के बराबर नवीनीकरण शुल्क के भुगतान का विकल्प दिया गया जबकि शेष समूहों के लिए लाइसेंस आवेदन आमंत्रित करके दिए जाने थे। सफल आवेदकों को निर्धारित समय के भीतर प्रतिभूति जमा और अग्रिम ईपीए राजकोष में जमा कराना आवश्यक था।

नीति के पैरा 3.5 में प्रावधान किया गया है कि देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारी को लाइसेंस अवधि शुरू होने से पहले अग्रिम ईपीए के रूप में समूह की निर्धारित वार्षिक राशि का 18 प्रतिशत जमा कराना था। इसके अलावा, नीति के पैरा 3.6 में प्रावधान किया गया है कि प्रतिभूति जमा के रूप में 8 प्रतिशत राशि आवेदन की शर्तों के अनुसार नकद में जमा की जाएगी। तदनुसार, आवेदन की शर्त 9 में यह निर्धारित किया गया कि किसी भी स्तर पर चूक की स्थिति में, दुकान का चयन रद्द कर दिया जाएगा और उस स्तर तक जमा की गई ईएमडी, प्रतिभूति जमा और अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि जब्त कर ली जाएगी। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी (जनवरी 2018) निर्देशों के अनुसार, इन दुकानों का नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करके फिर से बंदोबस्त किया जाएगा।

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (शहर) के 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की जांच में पाया गया (जुलाई 2019) कि 66 देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञापत्र आवेदन आमंत्रित करके प्रदान किए गए थे। इनमें से तीन लाइसेंसधारियों ने प्रतिभूति जमा के रूप में निर्धारित तिथि 31 मार्च 2018 तक की निर्धारित समय सीमा तक ₹ 34.65 लाख के स्थान पर केवल ₹ 4.36 लाख जमा किए। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय ने इन दुकानों/समूहों के अनुज्ञापत्र को रद्द करने तथा प्रतिभूति जमा और अग्रिम ईपीए को जब्त करने के बजाय शेष प्रतिभूति जमा को नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में अगले वर्ष में जमा करने की अनुमति दी जिससे ₹ 77.31 लाख⁷ के राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2020)। सरकार ने जवाब दिया (दिसम्बर 2020) कि सम्बंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं तथा बंदोबस्त की शर्तों की भविष्य में अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी जिला

7 ₹ 77.31 लाख: अग्रिम ईपीए ₹ 72.95 लाख एवं प्रतिभूति जमा ₹ 04.36 लाख

आबकारी अधिकारियों को अनुदेश जारी किये जा रहे हैं। आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

5.9 मासिक गारंटी राशि की कम वसूली

देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से मासिक गारंटी राशि की कम वसूली से राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2017-19 के अनुसार, देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त ईपीए के आधार पर किया जाना था। देशी मदिरा दुकान/समूह का लाइसेंसधारी देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित ईपीए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, देशी मदिरा खुदरा बिक्री अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को मासिक गारंटी राशि के रूप में बारह समान मासिक किशतों में निर्धारित समूह/दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान करना था। मासिक किस्त का भुगतान उस महीने की अंतिम तारीख तक किया जाना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में विफल रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर की राशि का नकद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

2015-19 की अवधि के लिए आठ जिला आबकारी अधिकारियों⁸ के अभिलेखों की जांच (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) के दौरान यह देखा गया कि 2018-19 के दौरान, 1736 लाइसेंसधारियों में से 240 ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 95.53 करोड़ के समक्ष ₹ 82.43 करोड़ की देशी मदिरा उठाई। इसी प्रकार, 2017-18 के दौरान दो जिला आबकारी अधिकारियों⁹ के मामले में 407 अनुज्ञाधारियों में से 34 ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 1.40 करोड़ के समक्ष ₹ 1.13 करोड़ की देशी मदिरा उठाई। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों ने अंतर राशि की वसूली नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप मासिक गारंटी राशि ₹ 13.37 करोड़ की कम वसूली हुई।

यह मुद्दा पहले भी उठाया जा चुका है और 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व और आर्थिक क्षेत्र) में अनुच्छेद 6.4.10.2 के रूप में प्रकाशित किया गया था जहां विभाग ने आक्षेपों को स्वीकार किया और कार्यवाही/वसूली शुरू की और यह भी कहा था कि एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) में आवश्यक प्रावधान जोड़ दिया जाएगा, जो देशी मदिरा खुदरा लाइसेंसधारियों से मासिक गारंटी राशि में कमी की वसूली को सुगम बनाएगा।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2020)। सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि ₹ 13.37 करोड़ में से ₹ 3.88 करोड़ की वसूली कर ली गयी है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी बताया कि मासिक गारंटी राशि में कमी की वसूली को सुगम

8 जिला आबकारी अधिकारी: अजमेर, अलवर, जयपुर शहर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, एवं झुंझुनू।

9 जिला आबकारी अधिकारी: बीकानेर एवं जोधपुर।

बनाने के लिये आईईएमएस में प्रावधान कर दिया गया है। वसूली की आगामी प्रगति प्रतीक्षित है (मार्च 2021)।

भाग - ख

व्यय क्षेत्र

अध्याय VI

सामान्य

अध्याय-VI: सामान्य

6.1 लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा

राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत, 66 विभाग, 234 स्वायत्तशासी निकाय एवं 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार¹ (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है। विभागों की सूची परिशिष्ट 6.1 में दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति तालिका 6.1 में दी गई हैं।

तालिका 6.1 : व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| राजस्व व्यय | | | | | |
| सामान्य सेवायें | 31,016 | 39,203 | 43,450 | 54,364 | 56,186 |
| सामाजिक सेवायें | 43,349 | 49,371 | 53,064 | 65,687 | 68,313 |
| आर्थिक सेवायें | 31,874 | 38,565 | 49,327 | 46,722 | 51,986 |
| सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान | -# | -## | -* | -** | -*** |
| योग | 1,06,239 | 1,27,139 | 1,45,841 | 1,66,773 | 1,76,485 |
| पूंजीगत एवं अन्य व्यय | | | | | |
| पूंजीगत परिव्यय | 21,985 | 16,980 | 20,623 | 19,638 | 14,718 |
| संवितरित कर्ज एवं अग्रिम | 36,602 | 12,965 | 1,334 | 1,113 | 2,255 |
| लोक ऋण की अदायगी | 4,959 | 5,015 | 11,674 | 16,915 | 20,033 |
| आकस्मिकता निधि | - | - | - | - | - |
| लोक लेखा संवितरण | 1,40,432 | 1,48,885 | 1,47,088 | 1,60,570 | 1,79,741 |
| योग | 2,03,978 | 1,83,845 | 1,80,719 | 1,98,236 | 2,16,747 |
| कुल योग | 3,10,217 | 3,10,984 | 3,26,560 | 3,65,009 | 3,93,232 |

स्रोत : राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

₹ 10 लाख मात्र ## ₹ 6 लाख मात्र * ₹ 11 लाख मात्र ** ₹ 9 लाख मात्र *** ₹ 7 लाख मात्र

6.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15 एवं 17 से लिया गया है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियम, 2007, 2020 में यथा संशोधित तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

1 दिनांक 18.05.2020 से कार्यालय के पूर्ववर्ती नाम 'प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)' को बदलकर 'महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)' किया गया है।

6.3 लेखापरीक्षा योजना एवं लेखापरीक्षा का संचालन

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा का संचालन करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों एवं स्वायत्तशासी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की चयनित इकाईयों की वित्तीय एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। जोखिम का मूल्यांकन व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित होता है। इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए, इकाई/विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन, जारी किये जाते हैं। इकाईयों/विभागों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त के एक माह के अन्दर, जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 22,016 इकाईयों में से 951 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजित की गई। आगे, वर्ष 2019-20 के दौरान, 19,693 मानव दिवस (वित्तीय लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु) उपयोजित किये गये। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाईयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि जोखिम मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुरक्षित नहीं थी।

6.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर सरकार/विभागों का प्रत्युत्तर

6.4.1 प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रत्युत्तर देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुये, जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया।

अध्याय VII में लिये गए 11 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में से तीन पर सम्बंधित विभागों ने प्रत्युत्तर नहीं भेजा था। सम्बंधित विभागों की प्राप्त हो चुकी प्रतिक्रिया प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर ली गई है।

6.4.2 परिशिष्ट 6 के साथ पठनीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 327(1), विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि, जो कि महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने के पश्चात एक से तीन वर्ष के मध्य है, का प्रावधान करता है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटारा नहीं हो सका। अक्टूबर 2020 को वर्ष 2002-03 से 2019-20 की अवधि के दौरान जारी 8,306 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 34,464 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। वर्षवार बकायों की संख्या **तालिका 6.2** में दर्शायी गई है।

तालिका 6.2

| वर्ष | निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | अनुच्छेदों की संख्या |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 2012-13 तक | 3,176 | 8,548 |
| 2013-14 | 885 | 2,962 |
| 2014-15 | 908 | 3,308 |
| 2015-16 | 736 | 2,617 |
| 2016-17 | 759 | 3,980 |
| 2017-18 | 531 | 3,269 |
| 2018-19 | 649 | 4,548 |
| 2019-20 (मार्च 2020 तक जारी) | 662 | 5,232 |
| योग | 8,306 | 34,464 |

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाना था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों पर प्रतिक्रियाओं के लम्बित रहने का अध्ययन करने के लिये तीन विभागों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (1,603 निरीक्षण प्रतिवेदन), जल संसाधन विभाग (671 निरीक्षण प्रतिवेदन) तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग (619 निरीक्षण प्रतिवेदन) की विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि 31 अक्टूबर 2020 को 2,893 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 14,878 अनुच्छेद (उप अनुच्छेद सहित) बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट 6.2** में दिया गया है। आगे, यह भी देखा गया कि जल संसाधन विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के 28

निरीक्षण प्रतिवेदनों² के सम्बन्ध में प्रथम अनुपालना, जो कि निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के भीतर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जानी चाहिए, 66 माह की औसत देरी के साथ (8 माह से 141 माह तक) लम्बित थी।

6.5 प्रतिवेदन के इस भाग का आवृत क्षेत्र

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया था।

वर्तमान प्रतिवेदन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उन कमियों को इंगित करता है जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावशीलता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय VII में प्रतिवेदित किये गये हैं। प्रमुख आक्षेप निम्नलिखित हैं:

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एक निर्माण संविदा में अतिरिक्त व्यय को राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता नियमों की अनुमत्य सीमा में रखने के लिए कतिपय मदों को अमान्य किया। बाद में, विश्वविद्यालय ने संविदा की शर्त एवं लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर नई निविदा में इन मदों को उसी संवेदक से पुनः निष्पादित करवा लिया।

(अनुच्छेद 7.1)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (क.रा.बी.योजना), कर्मचारियों को बीमारी, प्रसव, नौकरी के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु अथवा अपंगता तथा रोजगार जनित रोगों जैसी घटनाओं के दुष्प्रभावों के विरुद्ध रक्षा करने तथा बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गयी थी। योजना का प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) नामक निगमित निकाय द्वारा किया जाता है। योजना, योजनान्तर्गत आवरित कर्मचारियों तथा उनके नियोक्ताओं से, वेतन के नियत प्रतिशत रूप में, एकत्रित किये गए अंशदान से वित्त पोषित है। राज्य में क.रा.बी.योजना के प्रसार के लिए सभी बीमितों का आवरण एवं बीमितों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु 'ई.एस.आई.सी. 2.0' के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार कार्यान्वित नहीं किये गए। अधिकतम स्वीकार्य व्यय की निर्धारित सीमा में से अप्रयुक्त 60.63 प्रतिशत भाग का राज्य सरकार द्वारा मानव शक्ति के प्रबंधन तथा बीमितों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं हेतु उपयोग नहीं किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों/अधिकारियों एवं पैराचिकित्सा कर्मियों जैसे-नर्सिंग स्टाफ, भेषजज्ञ आदि की कमी के कारण चिकित्सालय/औषधालय अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर सके। चिकित्सालयों/औषधालयों में आधारीक संरचना व प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप, ओ.पी.डी./आई.पी.डी. में आने वाले रोगियों की संख्या में कमी हुई तथा रोगियों

2 लंबित प्रथम अनुपालना: जल संसाधन विभाग: 3 (8 से 12 माह) + माध्यमिक शिक्षा विभाग: 25 (14 से 141 माह)=28

को आधारभूत जांच/परीक्षण एवं विशेषज्ञ सुविधाओं हेतु अनुबंधित/राजकीय चिकित्सालयों को रेफर करना पड़ा। यद्यपि क.रा.बी.निगम ने चिकित्सालय प्रबंधन हेतु आई.टी. परियोजना प्रारंभ की जिसे क.रा.बी.योजना द्वारा पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सका। योजना के अंतर्गत चिकित्सालय/औषधालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 58 (5) के अंतर्गत क.रा.बी.समिति का गठन किया जाना था। इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारित अधिकतम सीमा तक सम्पूर्ण व्यय तीन वर्ष के लिए क.रा.बी.निगम वहन करेगा, राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.2)

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत भार में वृद्धि हेतु आवेदन करने में विफल रहने के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सालयों द्वारा डिमान्ड सरचार्ज का परिहार्य भुगतान तथा विद्युत शुल्क का अनियमित भुगतान कुल राशि ₹ 1.40 करोड़।

(अनुच्छेद 7.3)

चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर कार्यवाही के अभाव में रियायत शुल्क और भुगतान में विलम्ब पर दंडात्मक ब्याज की कम प्राप्ति, अप्रयुक्त बी.पी.एल. कोटे से संबंधित राशि की कम वसूली एवं परिणामस्वरूप निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को अदेय लाभ पहुँचने से राज्य सरकार को ₹ 5.09 करोड़ के राजस्व की हानि।

(अनुच्छेद 7.4)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियमों के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर ₹ 3.72 करोड़ का अनियमित व्यय।

(अनुच्छेद 7.5)

अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा वक्फ बोर्ड द्वारा लाभार्थियों से ऋण की वसूली में विफलता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को पुनर्भुगतान के लिये निधियों के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ का परिहार्य दण्डात्मक ब्याज।

(अनुच्छेद 7.6)

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में निदेशालय भवन के निर्माण स्थल को परिवर्तित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय और पुनर्वास एवं शोध संस्थान भवन के अपूर्ण रहने के कारण न केवल ₹ 3.27 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान अनुपयोगी रहा एवं ₹ 5.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि लाभार्थियों को आठ से अधिक वर्षों के व्यतीत होने के उपरान्त भी अभिप्रेत लाभों से वंचित होना पड़ा।

(अनुच्छेद 7.7)

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में उपापन नियमों की पालना न करने और कमजोर अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अकार्यशील रहे सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों पर ₹ 1.24 करोड़ का निष्फल व्यय।

(अनुच्छेद 7.8)

सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग में अनुबन्ध निष्पादन और निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित उपापन नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप अकार्यशील रहे 256 सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों पर ₹ 2.98 करोड़ का निष्फल व्यय ।

(अनुच्छेद 7.9)

जल संसाधन विभाग ने शहरी क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर का भुगतान करते समय गलत ढंग से ग्रामीण क्षेत्र का गुणक कारक प्रयुक्त किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ ।

(अनुच्छेद 7.10)

जल संसाधन विभाग में लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का घोर उल्लंघन करके ₹ 1.55 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों का अनधिकृत निष्पादन ।

(अनुच्छेद 7.11)

6.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ (एक्शन टेकन नोट्स), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जनलेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

राज्य सरकार के व्यय क्षेत्र (पूर्ववर्ती सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019 को समाप्त वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें कुल 86 अनुच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) शामिल थे, को राज्य विधानसभा के समक्ष 02 सितम्बर 2016 तथा 21 अगस्त 2020 के मध्य प्रस्तुत किया गया । संबंधित विभागों से इन अनुच्छेदों में से 78 पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ औसतन तीन से चार माह के विलम्ब से प्राप्त हुई । जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 65 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 62 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को 47 जनलेखा समिति प्रतिवेदनों (21 विभागों से संबंधित) में सम्मिलित किया गया (2020-21) ।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा पर बकाया क्रियान्विति विषयक टिप्पणियों की समीक्षा में पाया गया कि 31 जनवरी 2021 को संबंधित विभागों से 13 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियाँ³ लम्बित थीं ।

3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2018-19 के 11 अनुच्छेद (1.2.4, 1.4.3, 1.8.3, 1.9.2, 1.10.4, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) 2018-19 के 02 अनुच्छेद

अध्याय VII

व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-VII: व्यय क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों के लेनदेनों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशाषी निकायों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा नियमितता, औचित्यता एवं मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलता के मामले उजागर हुए, जिनको अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

कृषि विभाग

7.1 निर्माण संविदा में अतिरिक्त मदों का अनियमित निष्पादन

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने एक निर्माण संविदा में अतिरिक्त व्यय को राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता नियमों की अनुमत्य सीमा में रखने के लिए कतिपय मदों को अमान्य किया। बाद में, विश्वविद्यालय ने संविदा की शर्त एवं लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर नई निविदा में इन मदों को उसी संवेदक से पुनः निष्पादित करवा लिया।

राजस्थान लोक-उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियमावली का नियम 73 बताता है कि निर्माण के मामले में अतिरिक्त मात्राओं हेतु पुनरावृत्ति आदेश की सीमा मूल अनुबंध के मूल्य का 50 प्रतिशत होगी। आगे, कार्यों के मानक अनुबंध का क्लॉज 14 जैसा कि लोक-निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों (पीडब्ल्यूएफएंडएआर) में दिया गया है, प्रावधित करता है कि यदि एक संवेदक ऐसे कार्य को सुधारता/हटाता नहीं है जो कि अनुचित, दोषपूर्ण अथवा अकुशल शिल्पकौशल के साथ अथवा किसी घटिया या अनुबंध के प्रतिकूल सामग्री के साथ निष्पादित किया गया है, तो प्रभारी अभियंता उस कार्य को प्रथम संवेदक की जोखिम एवं लागत पर अन्य संवेदक से ठीक/हटा/पुनर्निष्पादित करवा सकता है। इसके अलावा, पीडब्ल्यूएफएंडएआर के परिशिष्ट XVI का मद VIII.5 प्रावधित करता है कि यदि एक संवेदक निविदा की स्वीकृति के पश्चात कार्य पूर्ण नहीं करता है तो संवेदक उस कार्य की पुनर्निविदा अथवा भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से वंचित या निलंबित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा एवं उसकी सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकेगी।

नियन्त्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी), उदयपुर के अभिलेखों की जाँच (जनवरी-फरवरी 2019) में प्रकट हुआ कि कृषि विभाग ने तकनीकी एवं कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीटीई)¹, उदयपुर में छात्रावास निर्माण के लिये ₹ 3.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की (सितम्बर 2015)। तदनुसार, एमपीयूएटी के सम्पदा अधिकारी ने अक्टूबर 2015 में कार्य के लिये तकनीकी स्वीकृति जारी की। एमपीयूएटी ने निविदाएं आमंत्रित की (दिसम्बर 2015) एवं सीटीई में छात्रावास के निर्माण के लिये पूर्णता

1 एमपीयूएटी का संघटक महाविद्यालय।

की अवधि दिसम्बर 2016 तक निर्धारित करते हुए ₹ 3.35 करोड़ मूल्य की लागत पर एक कार्यादेश जारी किया (जनवरी 2016)।

तत्पश्चात्, एमपीयूएटी की तकनीकी समिति ने उसी संवेदक से एवं उसी दर पर ₹ 1.53 करोड़ की अनुमानित लागत पर छात्रावास के विस्तार के रूप में अतिरिक्त कमरे निर्मित करवाने एवं विकास के कुछ अन्य कार्यों को करवाने का निर्णय लिया (अगस्त 2016)। संवेदक ने नौवें रनिंग बिल तक राशि ₹ 5.33 करोड़ का कार्य निष्पादित किया लेकिन एमपीयूएटी द्वारा ₹ 0.45 करोड़ की कार्य मदों को दोषपूर्ण मानकर अमान्य करते हुए उसे केवल ₹ 4.88 करोड़ का भुगतान किया गया। संवेदक ने दोषपूर्ण कार्य को नये कार्य से बदलने में अपनी असमर्थता जाहिर की, इसलिए एमपीयूएटी ने उसे एक नयी निविदा के माध्यम से पुनर्निष्पादित करवाने का निर्णय किया (जून 2017)। शास्ति की धारा लागू कर संवेदक पर ₹ 0.45 लाख अर्थात् दोषपूर्ण कार्य की लागत का एक प्रतिशत की शास्ति आरोपित की गई। तदनुसार, एमपीयूएटी ने एक नयी निविदा जारी की जिसमें पूर्व अनुबन्ध के दोषपूर्ण कार्य (मूल्य ₹ 0.45 करोड़) का बदलाव भी सम्मिलित था। एमपीयूएटी ने उसी संवेदक को ₹ 0.88 करोड़ राशि का नवीन कार्यादेश जारी किया (जुलाई 2017)।

आरटीपीपी के नियम, 2013 के नियम 73 के अनुसार एमपीयूएटी ₹ 5.03 करोड़² तक के कार्य निष्पादित करा सकती थी। तथापि, एमपीयूएटी ने ₹ 5.33 करोड़ राशि का कार्य निष्पादित कराया जो अतिरिक्त मात्राओं की अनुमत्य सीमा से अधिक था, इसलिए संवेदक को ₹ 4.88 करोड़³ की कुल अनुमानित लागत तक भुगतान सीमित किया गया।

आगे, कार्य के अनुबन्ध के क्लॉज 14 के अनुसार दोषपूर्ण कार्य नवीन संवेदक द्वारा पूर्व संवेदक के जोखिम एवं लागत पर सुधारा जाना था तथा पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर के परिशिष्ट XVI के मद VIII.5 के अनुसार संवेदक को पुनर्निविदा में भाग लेने से वंचित अथवा निलम्बित किया जाना था। इन शर्तों के विपरीत, एमपीयूएटी ने, इस तथ्य के बावजूद कि संवेदक पूर्व संविदा में दोषपूर्ण कार्य को बदलने में असफल रहा, उसी संवेदक को एक नवीन कार्यादेश जिसमें पूर्व संविदा के दोषपूर्ण कार्य मदों का बदलाव भी सम्मिलित था, जारी कर दिया गया (जुलाई 2017)।

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया (सितम्बर 2020) कि एमपीयूएटी द्वारा लिए गए निर्णय वित्तीय नियमों एवं आरटीपीपी नियमों के अनुरूप थे। यह भी बताया गया कि क्लॉज 14 तभी लागू होता है जब संवेदक दोषपूर्ण कार्य को अपनी स्वयं की लागत पर हटाने से इन्कार कर देता है। वर्तमान प्रकरण में संवेदक ने दोषपूर्ण मदों को अपनी लागत पर हटा लिया था किन्तु दोषपूर्ण कार्य को बदलने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। इसलिए, संवेदक को एक प्रतिशत अर्थात् ₹ 0.45 लाख की शास्ति से वित्तीय रूप से दण्डित किया जा चुका था। एमपीयूएटी ने यह भी बताया कि संवेदक को पुनर्निविदा से वंचित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

2 ₹ 3.35 करोड़ (अनुबन्ध राशि) + ₹ 1.68 करोड़ (अनुबन्ध राशि का 50 प्रतिशत)।

3 ₹ 3.35 करोड़ (मूल कार्य), ₹ 1.11 करोड़ (अतिरिक्त कमरे) एवं 0.42 करोड़ (विकास के अन्य कार्य)।

कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने आगे बताया (जनवरी 2021) कि एमपीयूएटी ने आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों की पालना करने के लिए भुगतान को ₹ 4.88 करोड़ तक सीमित किया था और चूंकि इसमें संवेदक की कोई गलती नहीं थी, इसलिए संवेदक को भविष्य की निविदाओं के लिए वंचित नहीं किया गया। इसी उत्तर में यह बताया कि संवेदक ने अवमानक/दोषपूर्ण कार्य स्वयं हटा दिए थे।

उत्तर (सितंबर 2020/जनवरी 2021) स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमपीयूएटी ने उस समय पर कार्य का निष्पादन नहीं रोका (20 मार्च 2017 को नौवें रनिंग बिल तक मापा गया) जब इसने आरटीपीपी द्वारा निश्चित की गई सीमा को पार कर दिया था। बाद में, गलती महसूस करते हुए एमपीयूएटी ने कुछ कार्य मदों को अमान्य किया (8 अप्रैल 2017 को दसवें रनिंग बिल तक मापा गया) यद्यपि मापन के दौरान इन्हें स्वीकृत किया गया था। अमान्य किए गए कार्य मद संवेदक द्वारा आसानी से बदलने योग्य थे। आगे, एमपीयूएटी ने अनुबंध की शर्त के अनुसार संवेदक को पुनर्निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं किया। एमपीयूएटी ने, जैसा कि नियमों में निर्धारित था, संवेदक के जोखिम एवं लागत पर दोषपूर्ण कार्य को नहीं सुधरवाया। इसके बजाय, एमपीयूएटी ने पूर्व में कार्य निष्पादन में असफल रहने के बावजूद भी वही कार्य उसी संवेदक को आवंटित कर दिया।

श्रम विभाग

7.2 राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कार्यपद्धति

7.2.1 परिचय

कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) योजना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में सन्निहित सामाजिक बीमा का एकीकृत उपाय है तथा इसको, क.रा.बी. अधिनियम, 1948 में परिभाषित 'कर्मचारियों' को बीमारी, प्रसव, नौकरी के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु अथवा अपंगता तथा रोजगारजनित रोगों जैसी घटनाओं के दुष्प्रभावों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के कार्य को पूरा करने तथा बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

यह योजना, कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों जैसे सड़क यातायात, होटल, भोजनालय, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकानों, तथा शिक्षण/चिकित्सा संस्थानों जहाँ 10 या अधिक व्यक्ति रोजगाररत हो, पर लागू होती है। पूर्वोक्त श्रेणियों के कारखानों तथा प्रतिष्ठानों के, ₹ 21,000 (01.01.2017 से प्रभावी) प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा आवरण हेतु पात्र है।

योजना को एक निगमित निकाय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो विविध हितबद्ध समूहों, जिनमें चिकित्सा व्यवसाय तथा संसद के अतिरिक्त कर्मचारी, नियोक्ता, तथा केंद्रीय तथा राज्य सरकार सम्मिलित है, का प्रतिनिधित्व करता है। क.रा.बी. निगम, नीति

निर्माण एवं निर्णय लेने के लिए क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च प्राधिकरण है तथा योजना की कार्य प्रणाली की देख रेख करता है।

योजना मुख्य रूप से, योजनान्तर्गत आवरित कर्मचारियों तथा उनके नियोक्ताओं से, वेतन के नियत प्रतिशत रूप में, जो कि 01 जुलाई 2019 से नियोक्ता तथा कर्मचारी हेतु क्रमशः 3.25 प्रतिशत तथा 0.75 प्रतिशत है, एकत्रित किये गए अंशदान से वित्त पोषित होती है। जुलाई 2019 से पहले, नियोक्ता तथा कर्मचारी के लिए अंशदान की लागू दर, क्रमशः वेतन का 4.75 प्रतिशत तथा 1.75 प्रतिशत थी। योजनान्तर्गत हुए व्यय को क.रा.बी.निगम तथा राज्य सरकार द्वारा 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। व्यय की सहभागिता हेतु, क.रा.बी.निगम ने चिकित्सा लाभों पर कुल व्यय की अधिकतम सीमा ₹ 3,000 प्रति व्यक्ति (बीमित व्यक्ति) प्रति वर्ष निर्धारित की हुई है।

राज्य में क.रा.बी.योजना का प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श अनुरूप करना राज्य सरकार का सांविधिक उत्तरदायित्व है। क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 58 के तहत राजस्थान में योजना 2 दिसम्बर 1956 से प्रारंभ हुई। राजस्थान में योजना की अध्यक्षता निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (क.रा.बी.योजना) राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है।

वर्तमान में राज्य के 26 जिलों में चिकित्सा सेवा मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा संचालित चार चिकित्सालयों⁴ और 74 औषधालयों⁵ तथा क.रा.बी.निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित तीन चिकित्सालयों⁶ और दो औषधालयों⁷ के माध्यम से प्रदान की जाती है। शेष रहे सात जिलों में से, पांच जिलों⁸ में क.रा.बी.निगम द्वारा सूचीबद्ध बीमा चिकित्सकों (आई.एम.पी.) के माध्यम से, बूंदी जिले में नियोक्ता द्वारा, और प्रतापगढ़ जिले में क.रा.बी. विनियम 1996 के अनुच्छेद 96 A के तहत, जो कि चिकित्सकीय उपचार के सम्बन्ध में हुए व्यय के पुनर्भरण की व्यवस्था प्रदान करता है, चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। दिसम्बर 2019 तक, राज्य में 14.93 लाख बीमित व्यक्ति तथा 42.99 लाख उनके परिजन योजना के अंतर्गत 78 स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से आवरित थे।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, क.रा.बी.योजना, दो चिकित्सालयों⁹, तथा 21 औषधालयों¹⁰ के 2014-15 से 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की जाँच अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान की गयी थी।

4 भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा एवं पाली।

5 अजमेर (4), अलवर (6), बाँसवाड़ा (1), बाड़मेर (1), भरतपुर (2), भीलवाड़ा (6), बीकानेर (3), चित्तौड़गढ़ (1), दौसा (1), धौलपुर (1), डूंगरपुर (1), गंगानगर (3), हनुमानगढ़ (1), जयपुर (18), जैसलमेर (1), झालावाड़ (1), जोधपुर (5), कोटा (3), नागौर (1), पाली (3), राजसमन्द (2), सीकर (2), सिरोही (1), टोंक (1) एवं उदयपुर (5)।

6 क.रा.बी.निगम चिकित्सालय, अलवर तथा भिवाड़ी, क.रा.बी.निगम आदर्श चिकित्सालय, जयपुर।

7 आदर्श औषधालय सह निदान केंद्र, चित्तौड़गढ़ एवं क.रा.बी.निगम आदर्श औषधालय, झुंझुनू।

8 बारां, चूरू, जालौर, करौली एवं सवाई माधोपुर।

9 भीलवाड़ा एवं जोधपुर।

10 अजमेर (अजमेर-1, ब्यावर, भीलवाड़ा-2), भरतपुर (भरतपुर-1 व 2, धौलपुर) बीकानेर (बीकानेर-1 व 2, गंगानगर-2), जयपुर (दौसा, जयपुर-3, कोटपुतली), जोधपुर (जोधपुर-1, 3 व 4), कोटा (भवानी मंडी, कोटा-1 व 4), उदयपुर (कांकरोली, उदयपुर-1 व 3)।

लेखा-परीक्षा निष्कर्ष

राजस्थान में क.रा.बी.योजना की कार्यपद्धति के विविध पहलुओं से सम्बंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तरवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

7.2.2 योजना का आवरण एवं प्रसार

7.2.2.1 औषधालयवार/क्षेत्रवार बीमितों की संख्या का संधारण नहीं किया जाना

दो, तीन तथा पांच चिकित्सकीय औषधालय हेतु, औषधालय के आवरण क्षेत्र में क्रमशः न्यूनतम 3,000, 5,000 तथा 10,000 बीमित परिवार इकाई होना आवश्यक है। जब भी बीमित परिवार इकाइयों की संख्या बढ़कर 30,000 तक होती है तो चिकित्सा एवं पैराचिकित्सा कर्मियों का पदस्थापन बीमित परिवार इकाइयों के समानुपात में किया जाना आवश्यक है। आगे, जब किसी क्षेत्र में बीमित परिवार इकाइयों की संख्या बढ़कर 30,000 से अधिक हो जाती है, उस क्षेत्र के लिए नया औषधालय खोलने पर विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक चिकित्सालय में स्थापित की जाने वाली शय्याओं की संख्या उस चिकित्सालय के आवरण क्षेत्र में बीमित परिवार इकाइयों की संख्या पर निर्भर थी। 50,000 बीमित परिवार इकाइयों लिए 50 शय्याओं वाला चिकित्सालय स्थापित किया जाना आवश्यक है। बीमित परिवार इकाइयों की संख्या बढ़कर एक लाख, 1.5 लाख, दो लाख, 2.5 लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख तथा छः लाख होने पर चिकित्सालय को क्रमशः 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 तथा 600 शय्याओं वाले चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाना चाहिए। क.रा.बी.योजना के अंतर्गत बीमितों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाने हेतु चिकित्सालय /औषधालय वार बीमितों की संख्या को आधार इकाई माना गया है।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, क.रा.बी. योजना के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

- मार्च 2015 तक बीमितों की संख्या के अनुसार, 3,000-5,000 बीमितों वाले 10 औषधालयों, 5,000-10,000 बीमितों वाले 12 औषधालयों तथा 10,000-30,000 बीमितों वाले 12 औषधालयों को क्रमशः दो, तीन तथा पांच अथवा अधिक चिकित्सक उपलब्ध नहीं करवाए गए।
- सात ऐसे औषधालय¹¹ हैं जिनके आवरण क्षेत्र में 30,000 से अधिक बीमित हैं, तथापि, कोई भी नया औषधालय नहीं खोला गया है।

11 जयपुर-4 (बीमित 45,229), जयपुर-6 (बीमित 32,000), जयपुर-8 (बीमित 36,325), जयपुर-9 (बीमित 43,000), जयपुर-10 (बीमित 32,000), जयपुर-11 (बीमित 36,000), भिवाड़ी (बीमित 94,334)

- मार्च 2015 के बाद विभाग के पास औषधालय/क्षेत्र वार बीमितों की संख्या उपलब्ध नहीं थी। क.रा.बी.योजना द्वारा (जुलाई 2019) सूचित किया गया कि बार-बार अनुरोध के बावजूद भी क.रा.बी.निगम द्वारा औषधालय वार लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी। पूछे जाने पर (जून 2019) क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम ने सूचित किया (जुलाई 2019) कि सिस्टम (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) में ऐसी कोई फ्रंट एंड रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जिससे औषधालय वार चिन्हित बीमितों का आंकड़ा प्राप्त किया जा सके। औषधालय/क्षेत्र वार बीमितों की संख्या के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि नया औषधालय खोलने/औषधालय के क्रमोन्वयन की कार्य योजना बनाने तथा कर्मचारियों का पदस्थापन का कार्य कैसे पूर्ण किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि बीमितों की संख्या की सूचना उपलब्ध कराने हेतु क.रा.बी.निगम को समय समय पर पत्र लिखे गये हैं। आगे, यह कहा गया कि 30,000 से अधिक बीमितों वाले क्षेत्रों में क.रा.बी.निगम से सूचना/सुझाव प्राप्त होने पर नया औषधालय खोलने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जावेगी।

इस प्रकार, बीमितों की अद्यतन संख्या के अभाव में बीमितों की संख्या के समानुपात में नए औषधालय नहीं खोले जा सके।

7.2.2.2 क.रा.बी.योजना से सम्बंधित विभिन्न मुद्दों पर भारतीय श्रम सभा द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जाना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अगस्त 2015 में आयोजित अपनी 166वीं बैठक में, भारतीय श्रम सभा (भा.श्र.स.) द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों को अंगीकृत करने का निर्णय किया। तदनुसार, क.रा.बी.निगम ने, ऐसे जिले जहाँ योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, के सभी क्षेत्रों को अप्रैल 2016 तक आवरण करने तथा निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को क.रा.बी.निगम के दायरे में लाने हेतु दूसरी पीढ़ी के सुधारो 'ई.एस.आई.सी. 2.0' को लागू किया (जुलाई 2015)।

महानिदेशक, क.रा.बी.निगम ने (फरवरी 2016) राज्य सरकार को नव कार्यान्वित क्षेत्रों में क.रा.बी.योजना के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना अप्रैल 2016 तक जारी करने के निर्देश जारी किये। तदनुसार, नव कार्यान्वित क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन के एक माह के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जानी थी जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाएँ सरकारी/क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों में उपलब्धता की सीमा तक प्रदान की जानी थी परन्तु दो वर्ष की अवधि के अंतर्गत सभी सेवाएँ स्थापित की जानी थी।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, क.रा.बी. योजना के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि 'ई.एस.आई.सी. 2.0' के अंतर्गत निम्न सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया गया:

- महानिदेशक, (क.रा.बी.निगम) के निर्देशों (फरवरी 2017) पर एक तीन सदस्यीय समिति गठित की गयी थी। समिति ने राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़े हुए 4.68 लाख नए बीमितों (गैर आवरण क्षेत्र में निवासरत) को

शामिल करने हेतु 25 नए औषधालय खोलना प्रस्तावित (मार्च 2017) किया। तथापि, दिसम्बर 2020 तक कोई भी नया औषधालय नहीं खोला गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि नए अधिसूचित क्षेत्रों में औषधालय स्थापित किये जाने का मामला विचाराधीन है। तथ्य यही है कि 4.68 लाख बीमित (2017) अभी तक योजनान्तर्गत चिकित्सा सेवा की सुविधाओं से वंचित हैं।

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी 167वीं बैठक (दिसम्बर 2015) में, नए अधिसूचित क्षेत्रों में भौगोलिक आवश्यकता के आधार पर चिकित्सकीय औषधालयों की स्थापना को स्वीकृती दी ताकि बीमितों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा की सुविधा प्रदान की जा सकें।
- दिसम्बर 2015 तक विभिन्न स्तर के चिकित्सालयों पर उपयुक्त कैंसर रोग निदान/ उपचार सुविधाएँ एवं हृदयरोग उपचार सुविधाएँ स्थापित की जानी थी परन्तु यह अभी तक स्थापित नहीं की गयी थी (दिसम्बर 2020)।
- प्रत्येक चिकित्सालय में एक गहन चिकित्सा इकाई (ग.चि.इ.) तथा प्रसूति कक्ष के साथ संबद्ध एक नवजात गहन चिकित्सा इकाई (न.ग.चि.इ.) होना आवश्यक था, तथापि नमूना जांच किये गए दो चिकित्सालयों में ग.चि.इ. तथा न.ग.चि.इ. स्थापित नहीं किये गए थे।
- निर्माण श्रमिकों/आंगनवाड़ी/आशा/मध्याह्न भोजन स्वयंसेवक एवं ऐसे अन्य स्वयंसेवकों तथा असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों/कार्मिकों को सम्बंधित मंत्रालय/विभाग से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् अंशदायी आधार पर क.रा.बी.योजना के दायरे में लाया जाना था। निर्माण श्रमिकों के मामलों में सैस / यूजर चार्ज एकत्रित किया जाना था। तथापि, इन वर्गों को क.रा.बी. अधिनियम 1948 के अंतर्गत लाये जाने हेतु कोई प्रयास प्रारंभ नहीं किया गया। इस प्रकार, इनमें से कोई भी वर्ग योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया।
- क.रा.बी. निगम ने (अगस्त 2015) तीन चरणों में सभी औषधालयों को 24x7 सुविधा वाले, पैथोलॉजी जांच सुविधा तथा एक्स-रे सुविधा युक्त छः शय्याओं वाले चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने का निर्णय किया। प्रथम चरण में, मार्च 2016 तक एक तिहाई औषधालय क्रमोन्नत किये जाने थे।

निदेशक, क.रा.बी.योजना ने (मई 2017) 22 औषधालयों को, छः शय्या वाले वार्ड हेतु आवश्यक निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् छः शय्याओं वाले चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने के लिये प्रस्तावित किया। तथापि दिसम्बर 2020 तक कोई भी औषधालय छः शय्याओं वाले चिकित्सालय में क्रमोन्नत नहीं किया गया था।

- क.रा.बी. योजना के लाभार्थियों हेतु चरणबद्ध रूप में टेली मेडिसिन सुविधाएँ प्रदान किये जाने का भी निर्णय किया गया था। परन्तु इस प्रकार की कोई सुविधा प्रारंभ नहीं की गयी (दिसम्बर 2020)।
- कम बीमितों की संख्या वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु चल स्वास्थ्य (मोबाइल) सुविधाओं का समावेशन भी एक विकल्प के रूप में सुझाया गया। परन्तु दिसम्बर 2020 तक योजना के अंतर्गत इस प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गयी।

यह दर्शाता है कि राज्य में सभी बीमितों को शामिल करने के लिये क.रा.बी.योजना के प्रसार एवं बीमितों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु 'ई.एस.आई.सी. 2.0' के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार कार्यान्वित नहीं किये गए।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि क.रा.बी.निगम के निर्णयों को कार्यान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं एवं उनमें से कुछ प्रक्रियाधीन है। तथ्य यह है कि भारतीय श्रम सभा द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण सुधार पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कार्यान्वित नहीं किये गए थे।

7.2.3 संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रबंधन

7.2.3.1 वित्तीय प्रबंधन

उपलब्ध निधियों का न्यून उपयोग

योजनान्तर्गत हुए व्यय को क.रा.बी.निगम तथा राज्य सरकार द्वारा 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। चिकित्सा सेवाओं पर हुआ व्यय प्रारंभ में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं व्यय के पुनर्भरण की एक अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है। क.रा.बी.निगम राज्य सरकार को, अधिकतम सीमा के अपने 7/8 वें हिस्से का 90 प्रतिशत त्रैमासिक आधार पर अग्रिम के रूप में भुगतान करता है। शेष का भुगतान महालेखाकार द्वारा जारी किये गए व्यय के लेखा-परीक्षित विवरण के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अधिकतम सीमा से अधिक किया गया व्यय स्वयं वहन किया जाता है।

व्यय की सहभागिता हेतु, क.रा.बी.निगम समय समय पर चिकित्सा लाभों पर व्यय की प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। चिकित्सा पर व्यय की प्रति बीमित प्रति वर्ष अधिकतम सीमा, जुलाई 2014 में ₹ 1,500 से बढ़ाकर ₹ 2,000 की गई थी तथा 2017-18 में ₹ 3,000 की गई जिससे "सामान्य मद" की उप सीमा ₹ 1,250 और "अन्य मद" की उप सीमा ₹ 1,750 निर्धारित की गई। अधिकतम सीमा से अधिक व्यय की गयी राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

आवरित बीमितों की संख्या के आधार पर, चिकित्सा सेवाओं पर व्यय की अधिकतम स्वीकार्य

सीमा तथा उप सीमा के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों तथा चिकित्सा सेवाओं पर किये गए वास्तविक व्यय का वर्षवार विवरण निम्न तालिका 7.1 में दिया गया है:

तालिका 7.1

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | बीमितों की संख्या ¹² (वर्ष का मध्यमान औसत) | प्रति बीमित व्यय हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा | | | निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य व्यय (₹ करोड़ में) | | | किया गया वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में) | | |
|---------|---|---|-------|-------|---|--------|---------|--------------------------------------|--------|--------|
| | | सामान्य | अन्य | कुल | सामान्य | अन्य | कुल | सामान्य | अन्य | कुल |
| 2014-15 | 7,13,515 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 71.35 | 71.35 | 142.70 | 58.05 | 17.33 | 75.38 |
| 2015-16 | 7,67,345 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 76.73 | 76.73 | 153.46 | 62.56 | 26.12 | 88.68 |
| 2016-17 | 10,24,125 | 1,075 | 1,075 | 2,150 | 110.09 | 110.09 | 220.18 | 67.51 | 29.75 | 97.26 |
| 2017-18 | 13,28,495 | 1,250 | 1,750 | 3,000 | 166.06 | 232.49 | 398.55 | 76.09 | 36.17 | 112.26 |
| 2018-19 | 13,28,495 | 1,250 | 1,750 | 3,000 | 166.06 | 232.49 | 398.55 | 104.18 | 39.37 | 143.55 |
| कुल | | | | | 590.29 | 723.15 | 1313.44 | 368.39 | 148.74 | 517.13 |

स्रोत: निदेशक, क.रा.बी.योजना, राजस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2014-19 के दौरान राज्य सरकार बीमितों के लिए चिकित्सा लाभों पर ₹ 1,313.44 करोड़ की अधिकतम स्वीकार्य सीमा के विरुद्ध मात्र ₹ 517.13 करोड़ (39.37 प्रतिशत) ही व्यय कर सकी। यह मुख्य रूप से चिकित्सा/पैराचिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों, नए औषधालय स्थापित नहीं किये जाने एवं सभी औषधालयों में प्रयोगशाला स्थापित नहीं किये जाने के कारण था, जो कि अनुच्छेद सं. 7.2.3.2 में दर्शाया गया है।

इस प्रकार, उपलब्ध संसाधनों के 60 प्रतिशत तक का उपयोग नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचनाओं की अपूर्णता एवं निर्धारित चिकित्सीय लाभों की घटिया सेवा प्रदान की गई, जैसा कि क्रमशः अनुच्छेद सं. 7.2.3.3 एवं 7.2.4 में उल्लेखित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त निधियों का उपयोग चिकित्सा/पैराचिकित्सा कर्मियों की कमी को पूर्ण कर, सभी औषधालयों में प्रयोगशाला स्थापित कर एवं नए औषधालय स्थापित कर चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हेतु किया जा सकता था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि खाली पदों को भरने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ नियमित पत्राचार किया गया था जबकि नए औषधालय खोलने एवं बाहरी स्रोत से प्रयोगशाला सेवाएँ प्राप्त करने से सम्बंधित मामला विभाग में विचाराधीन था।

12 वर्ष के प्रारंभ एवं अंत में बीमितों की संख्या का मध्यमान औसत।

7.2.3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

चिकित्सालय संसाधनों में अवसंरचनाएं, मानव संसाधन, उपकरण एवं उपभोग्य वस्तुएं (कंज्यूमेब्ल्स) सम्मिलित हैं। क.रा.बी.योजना स्वास्थ्य संस्थानों हेतु संसाधनों की उपलब्धता एवं प्रबंधन की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) चिकित्सा एवं पैराचिकित्सा कर्मियों की कमी

“क.रा.बी. चिकित्सालयों/औषधालयों में कार्मिक एवं उपकरण हेतु मानदंड एवं मानकों” में शय्याओं की संख्या/बीमित परिवार इकाइयों की संख्या के आधार पर चिकित्सालयों/औषधालयों हेतु कार्मिक मानदंड विनिर्दिष्ट किये गए हैं। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, क.रा.बी.योजना तथा नमूना जांच किये गए चिकित्सालयों/औषधालयों के अभिलेखों की जांच में निम्नानुसार प्रकट हुआ:

(अ) क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी

राज्य में 50 शय्याओं वाले चार क.रा.बी.योजना चिकित्सालय हैं। विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार 50 शय्याओं वाले चिकित्सालय में 13 प्रकार के चिकित्सा विशेषज्ञ¹³ पदस्थापित किया जाना आवश्यक था। 2015-19 (प्रतिवर्ष 31 मार्च को) के दौरान, मानदंडों के अनुसार आवश्यक चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या, स्वीकृत पदों की संख्या, पदस्थापित व्यक्तियों/विशेषज्ञों एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्न तालिका 7.2 में दी गयी है:

तालिका 7.2

| वर्ष | मानदंडों के अनुसार पदों की अभीष्ट संख्या | स्वीकृत पद | पदस्थापित व्यक्तियों की संख्या | मानदंडों के सन्दर्भ में रिक्त पद (प्रतिशत) | स्वीकृत पदों के सन्दर्भ में रिक्त पद (प्रतिशत) |
|------|--|------------|--------------------------------|--|--|
| 2015 | 52 | 29 | 26 | 26 (50) | 03 (10.35) |
| 2016 | 52 | 29 | 21 | 31 (59.62) | 08 (27.59) |
| 2017 | 52 | 29 | 21 | 31 (59.62) | 08 (27.59) |
| 2018 | 52 | 52 | 24 | 28 (53.85) | 28 (53.85) |
| 2019 | 52 | 52 | 32 | 20 (38.46) | 20 (38.46) |

स्रोत: निदेशक, क.रा.बी.योजना, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी, क.रा.बी. मानदंडों के विरुद्ध 38.46 प्रतिशत (2019) से 59.62 प्रतिशत (2016) के मध्य एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध 10.35 प्रतिशत से 53.85 प्रतिशत के मध्य थी। विवरण परिशिष्ट 7.1 में दिया गया है।

दो नमूना जांच किये गए चिकित्सालयों के अभिलेखों की जांच में निम्नानुसार प्रकट हुआ:

13 निश्चेतना, वक्ष, दन्त, त्वचा, कान नाक एवं गला, नेत्र, आरोग्य, प्रसूति एवं स्त्री, अस्थि, शिशु रोग, पैथोलॉजी, विकिरण चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा।

क.रा.बी.योजना चिकित्सालय, भीलवाड़ा में

- 2015-19 की अवधि के दौरान वक्ष व पैथोलॉजी विभागों में 5 वर्ष के लिए, दन्त व आरोग्य (मेडिसिन) विभागों में 4 वर्ष के लिए तथा त्वचा रोग, शिशु व कान, नाक एवं गला विभागों में 3 वर्ष के लिए कोई भी चिकित्सा विशेषज्ञ पदस्थापित नहीं था। इस प्रकार, चिकित्सालयों के पास सम्बद्ध बीमितों तथा उनके परिजनों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं हेतु निकटतम अनुबंधित/सरकारी चिकित्सालयों में भेजने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। चिकित्सालयों ने ऐसे भेजे गए रोगियों के आंकड़े भी संधारित नहीं किये थे।
- 2015-19 की अवधि के दौरान शल्य चिकित्सा (सर्जरी) में दो कनिष्ठ विशेषज्ञ (क.वि.), (एक क.वि. शल्य चिकित्सा के नियमित पद के विरुद्ध तथा अन्य क.वि., नेत्र के विरुद्ध) पदस्थापित थे। 2015-17 के दौरान क.वि., निश्चेतना (एनेस्थीसिया) के स्वीकृत पद के विरुद्ध एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (व.चि.अ.) पदस्थापित था तथा एक नियमित क.वि., निश्चेतना (एनेस्थीसिया) को नियमित रूप से केवल 2019 में ही पदस्थापित किया गया। निश्चेतना हेतु आवश्यक उपकरण भी चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं थे। इसने शल्यक्रिया सम्बन्धी सुविधाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया क्योंकि 2014-19 के दौरान कोई भी वृहद शल्य क्रिया निष्पादित नहीं की गयी। इन परिस्थितियों में दो क.वि., शल्य चिकित्सा एवं एक क.वि., निश्चेतना के पदस्थापन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
- आगे, क.वि., आरोग्य (मेडिसिन) का पद भी 2016-19 के दौरान रिक्त रहा।

क.रा.बी.योजना चिकित्सालय, जोधपुर में

- यद्यपि 2014-19 के दौरान चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ की सेवाएँ उपलब्ध थी परन्तु 2015-18 के दौरान क.वि., शिशु रोग पदस्थापित नहीं था जबकि एक क.वि., शिशु रोग जुलाई 2008 से फरवरी 2019 तक जोधपुर औषधालय क्रमांक-3 में व.चि.अ. (प्रभारी) के पद के विरुद्ध पदस्थापित था। शिशु रोग विशेषज्ञ की अनुपस्थिति में, प्रसूति के लिए चिकित्सालय में भर्ती हुई 39 गर्भवती महिलाओं में से पांच को आपातकालीन स्थिति में अन्य अनुबंधित चिकित्सालयों में भेज दिया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी की पूरा करने हेतु संविदा/अंशकालिक आधार पर भर्ती सहित कुछ वैकल्पिक उपाय सुझाए (अगस्त 2014) परन्तु राज्य सरकार ने इस प्रकार की कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की (दिसम्बर 2020)। चिकित्सा विशेषज्ञों के अभाव/अनुपस्थिति में बीमित और उनके परिजन विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से वंचित रहे। हालाँकि विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में उपचार हेतु रेफर किये गए प्रकरणों का विवरण चिकित्सालय के पास संधारित एवं उपलब्ध नहीं था।

(ब) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों /चिकित्सा अधिकारियों की कमी

मानदंडों के अनुसार, एक चिकित्सालय (50 शय्याओं वाले) में 26 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (व.चि.अ.)/चिकित्सा अधिकारी (चि.अ.) तथा एक औषधालय में इससे सम्बद्ध बीमितों की संख्या¹⁴ के आधार पर दो से पांच व.चि.अ./चि.अ. को पदस्थापित किया जाना आवश्यक था।

मानदंडों के अनुसार 2015-19 (प्रतिवर्ष 31 मार्च को) के दौरान आवश्यक व.चि. अधिकारियों/चि. अधिकारियों, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों, पदस्थापित व.चि. अधिकारियों/चि. अधिकारियों एवं रिक्त पदों की स्थिति निम्न तालिका 7.3 में दी गयी है:

तालिका 7.3

| वर्ष | मानदंडों के अनुसार आवश्यक व.चि.अ./चि.अ. | व.चि.अ./चि.अ. के स्वीकृत पद | पदस्थापित व.चि.अ./चि.अ. | मानदंडों के सन्दर्भ में रिक्त पद (प्रतिशत) | स्वीकृत पदों के सन्दर्भ में रिक्त पद (प्रतिशत) |
|------|---|-----------------------------|-------------------------|--|--|
| 2015 | 397 | 187 | 138 | 259 (65.24) | 49 (26.20) |
| 2016 | 397 | 187 | 144 | 253 (63.73) | 43 (22.99) |
| 2017 | 397 | 187 | 149 | 248 (62.47) | 38 (20.32) |
| 2018 | 397 | 227 | 152 | 245 (61.71) | 75 (33.04) |
| 2019 | 471 | 297 | 223 | 248 (52.65) | 74 (24.92) |

स्रोत: निदेशक, क.रा.बी.योजना, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि व.चि.अधिकारियों/चि. अधिकारियों की कमी, मानदंडों के अनुसार आवश्यकता के विरुद्ध 52.65 प्रतिशत (2019) से 65.24 प्रतिशत (2015) के मध्य एवं स्वीकृत पदों के विरुद्ध 20.32 प्रतिशत से 33.04 प्रतिशत के मध्य थी।

यह देखा गया कि 50 शय्याओं वाले एक क.रा.बी.योजना चिकित्सालय (पाली) में अन्तः रोगी विभाग (आई.पी.डी.) होने के बावजूद 26 व.चि.अधिकारियों/चि. अधिकारियों के मानदंड के विरुद्ध 2015-19 के दौरान कोई भी व.चि.अ./चि.अ. पदस्थापित नहीं था।

दो चिकित्सालयों एवं 21 औषधालयों के अभिलेखों की जांच में आगे निम्नानुसार प्रकट हुआ:

● **बीमितों की संख्या की तुलना में चिकित्सा अधिकारियों की तर्कहीन तैनाती**

36,000 से 45,229 बीमितों वाले चार औषधालयों (जयपुर 4, 8, 9 एवं 11) में प्रत्येक हेतु पांच चि. अधिकारियों की आवश्यकता के विरुद्ध छः से दस चि.अ. पदस्थापित थे; वहीं दूसरी ओर 94,334 बीमितों वाले भिवाड़ी औषधालय में 2015-19 के दौरान मात्र एक से तीन चि.अ. ही पदस्थापित किये गए थे।

इसी प्रकार, चार औषधालयों यथा, भीलवाड़ा-1 (14,700 बीमित), नीमराना (14,000 बीमित), पाली (10,600 बीमित), एवं गुलाबपुरा (9,021 बीमित) में 3-5 चि. अधिकारियों के मानदंड के विरुद्ध प्रत्येक में मात्र एक चि. अ. पदस्थापित था। तथापि, ब्यावर में 2015-18 के दौरान मात्र 5,431 बीमितों के लिए दो चि. अ. पदस्थापित थे।

14 3,000-5,000 बीमित इकाई: दो व.चि.अ./चि.अ.; 5,000-10,000 बीमित इकाई: तीन व.चि.अ./चि.अ.; 10,000 व अधिक बीमित इकाई: पांच व.चि.अ./चि.अ.।

आगे, आठ औषधालय (31,619 बीमितों से सम्बद्ध) दो चिकित्सकों हेतु पर्याप्त बीमित होने के बावजूद, बिना एक भी नियमित चि.अ. के पदस्थापन के, एक से चार वर्ष की अवधि तक संचालित किए गए। इस प्रकार, 31,619 बीमित एवं उनके परिजन निर्धारित चिकित्सा लाभों, जिनके लिए उन्होंने अंशदान का भुगतान किया था, से वंचित रहे।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, क.रा.बी.योजना ने (मई 2015) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार से चि.अ. उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया एवं समय समय पर दोहराया। तथापि, इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार को चि. अधिकारियों के वेतन-भत्तों का मात्र आठवां भाग ही वहन करना था, स्थिति अपरिवर्तित रही (दिसम्बर 2020)।

(स) पैराचिकित्सा कर्मियों की कमी

निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक 50 शय्याओं वाले चिकित्सालय में 16 प्रवर्ग¹⁵ के पैराचिकित्सा कर्मी पदस्थापित किया जाना आवश्यक है जबकि औषधालयों हेतु नर्सिंग कर्मी, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं भेषजज्ञ (फार्मासिस्ट) का होना आवश्यक है। जांच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

● नर्सिंग कर्मियों की कमी

मानदंडों के अनुसार, एक चिकित्सालय में 25 तथा औषधालयों में सम्बद्ध बीमितों की संख्या के आधार पर दो से चार नर्सिंग कर्मी होना आवश्यक है। मार्च 2015 तक के बीमितों की संख्या के आधार पर मानदंडों के अनुसार आवश्यक, स्वीकृत एवं वास्तव में पदस्थापित नर्सिंग कर्मियों का विवरण निम्न तालिका 7.4 में दिया गया है:

तालिका 7.4

| वर्ष | मानदंडों के अनुसार आवश्यक नर्सिंग कर्मियों की संख्या | स्वीकृत पदों की संख्या | वास्तव में पदस्थापित पदों की संख्या | मानदंडों के सन्दर्भ में रिक्त पद (प्रतिशत) |
|---------|--|------------------------|-------------------------------------|--|
| 2014-15 | 736 | 373 | 316 | 420 (57.07) |
| 2015-16 | 736 | 375 | 334 | 402 (54.62) |
| 2016-17 | 736 | 374 | 346 | 390 (52.99) |
| 2017-18 | 736 | 478 | 357 | 379 (51.50) |
| 2018-19 | 736 | 482 | 391 | 345 (46.88) |

स्रोत: निदेशक, क.रा.बी.योजना, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

2015-19 के दौरान, 78 क.रा.बी.योजना स्वास्थ्य संस्थानों में मानदंडों के अनुसार आवश्यक 736 नर्सिंग कर्मियों विरुद्ध मात्र 373 से 482 स्वीकृत किए गए थे तथा वास्तव में 316 से

15 नर्सिंग कर्मी, प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, रेडियोग्राफर, सहायक रेडियोग्राफर, भेषजज्ञ, प्रसाधक, दन्त तकनीशियन, ऑपरेशन कक्ष तकनीशियन/प्लास्टर तकनीशियन, ऑपरेशन कक्ष सहायक/प्लास्टर सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट, ई.सी.जी. तकनीशियन, केन्द्रीय बंध्य आपूर्ति विभाग तकनीशियन, केन्द्रीय बंध्य आपूर्ति विभाग सहायक, आयुर्वेदिक औषध-संयोजक, होम्योपैथिक औषध-संयोजक।

391 नर्सिंग कर्मी पदस्थापित किए गए थे। इस प्रकार मानदंडों के अनुसार आवश्यकता के विरुद्ध नर्सिंग कर्मियों की कमी 46.88 प्रतिशत (2018-19) से 57.07 प्रतिशत (2014-15) के मध्य थी।

अभिलेखों की जांच में आगे, निम्नानुसार प्रकट हुआ:

- निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रयोगशाला के सुचारु संचालन हेतु एक प्रयोगशाला तकनीशियन तथा तीन प्रयोगशाला सहायकों को पदस्थापित किया जाना आवश्यक था। तथापि, चार क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों में प्रत्येक में मात्र एक प्रयोगशाला तकनीशियन पदस्थापित था। यहाँ तक कि किसी भी क.रा.बी.योजना चिकित्सालय में प्रयोगशाला सहायक का एक भी पद स्वीकृत नहीं किया गया था।
- 3,050 बीमितों वाले मकराना औषधालय में 2015-17 के दौरान मात्र एक चि.अ. बगैर पैराचिकित्सा कर्मियों के पदस्थापित था। पैरा चिकित्सा कर्मियों की अनुपस्थिति में चि.अ. को स्वयं ही दवा वितरण, इंजेक्शन लगाना तथा मरहम पट्टी करना इत्यादि, जैसी सेवाएं प्रदान करनी पड़ी।
- यद्यपि दो क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों नामतः जोधपुर (3) एवं भीलवाड़ा (1) में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ई.सी.जी.) मशीन उपलब्ध थी परन्तु दोनों चिकित्सालयों के लिए ई.सी.जी. तकनीशियन का कोई भी पद स्वीकृत नहीं किया गया। ई.सी.जी. तकनीशियन की अनुपस्थिति में अन्य पैरा चिकित्सा कर्मियों द्वारा ई.सी.जी. कार्य किया जा रहा था।
- मोच, पीठ दर्द, गठिया, असंयतता एवं हड्डी की चोट से ग्रसित रोगियों के उपचार एवं पुनर्वास हेतु प्रत्येक चिकित्सालय में एक फिजियोथेरेपिस्ट पदस्थापित किया जाना आवश्यक था। परन्तु कोटा के अतिरिक्त किसी भी चिकित्सालय में फिजियोथेरेपिस्ट का पद स्वीकृत नहीं किया गया। इस प्रकार तीन चिकित्सालयों में फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएँ उपलब्ध नहीं थी।

कनिष्ठ विशेषज्ञ (क.वि.) अस्थि रोग, जोधपुर ने प्रत्युत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि रोगियों को फिजियोथेरेपिस्ट हेतु राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/चिकित्सालय को रेफर किया जा रहा था। इस प्रकार, क.रा.बी.योजना चिकित्सालय ने पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद अपने चिकित्सालय में सुविधा स्थापित करने की अपेक्षा रोगी भार को राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/चिकित्सालय को स्थानांतरित किया।

- प्रत्येक चिकित्सालय में क.वि. अस्थि रोग की सहायता हेतु दो प्लास्टर सहायक तथा दो प्लास्टर तकनीशियन आवश्यक थे। परन्तु किसी भी चिकित्सालय हेतु प्लास्टर तकनीशियन तथा प्लास्टर सहायक का पद स्वीकृत नहीं किया गया था।
- क.रा.बी.निगम ने अपनी 137वीं बैठक (दिसम्बर 2006) में ₹ 20 प्रति बीमित प्रति वर्ष का प्रोत्साहन उन औषधालयों एवं चिकित्सालयों के लिये स्वीकृत किया, जहाँ

क.रा.बी.निगम के मानदंडों एवं मानकों के अनुसार कार्मिक उपलब्ध करवाए गए हैं। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि ₹ 10.32 करोड़¹⁶ का प्रोत्साहन प्राप्त करने का एक अवसर होने बावजूद किसी भी चिकित्सालय अथवा औषधालय में क.रा.बी.निगम के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त श्रम शक्ति उपलब्ध नहीं थी।

उपरोक्त तथ्य, पर्याप्त निधियों की उपलब्धता एवं प्रोत्साहन के अवसर के बावजूद आवश्यक कार्मिकों के अभाव में बीमितों तथा उनके परिजनों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की भयप्रद स्थिति को इंगित करते हैं। इस प्रकार, बीमित उन आवश्यक सुविधाओं, जिनके लिए उन्होंने अंशदान का भुगतान किया है, से वंचित रहे।

तथ्यों की स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि क.रा.बी.योजना के अंतर्गत चिकित्सा एवं पैराचिकित्सा कर्मियों के पद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भरे जाते हैं। रिक्तियों को भरे जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ नियमित पत्राचार किया गया था। प्रयोगशाला सहायक, सहायक रेडियोग्राफर, प्लास्टर तकनीशियन, ई. सी. जी. तकनीशियन एवं फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के सृजन हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है।

(ii) आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) की नियुक्ति

राज्य सरकार ने बीमितों को दंत सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के साथ-साथ चि. अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिए 74 क.रा.बी.योजना औषधालयों हेतु चि.अ. (दंत चिकित्सा) के 74 पदों का सृजन करने की (अगस्त 2017) स्वीकृति प्रदान की। यह प्रस्तावित किया गया था कि जब भी चि.अ. (दंत चिकित्सा) उपलब्ध कराए जाएंगे, तो उन्हें चि.अ. (सामान्य) के रूप में काम कर सकने के लिए सक्षम बनाने हेतु आवश्यक न्यूनतम आधारभूत प्रशिक्षण दिया जायेगा। फरवरी 2018 से मार्च 2019 के दौरान वास्तव में 46 चि.अ. (दंत चिकित्सा) पदस्थापित किए गए थे। तथापि, वे औषधालयों में अपने पदस्थापन से पूर्व इस तरह के आधारभूत प्रशिक्षण से नहीं गुजरे थे।

अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि दंत देखभाल/उपचार के लिए जरूरी समझे गए उपकरण क्रय करने हेतु आवश्यक ₹ 3.04 करोड़ का बजट राज्य वित्त विभाग द्वारा काफी विलम्ब से मई 2019 में जाकर स्वीकृत किया गया था। निदेशक, क.रा.बी.योजना ने स्वरीद हेतु, आवश्यक दंत चिकित्सा उपकरणों की सूची राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (रा.चि.से.नि.लि.) को भेजी तथा रा.चि.से.नि.लि. ने इन उपकरणों को दिसंबर 2020 में उपलब्ध कराया।

यह दर्शाता है कि चि.अ. (दंत चिकित्सा), आवश्यक दंत चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना पदस्थापित किये गए थे। इस प्रकार, आवश्यक दंत चिकित्सा उपकरणों की अनुपलब्धता ने चि.अ. (दंत चिकित्सा) को केवल दन्त सम्बन्धी सामान्य बीमारियों हेतु

16 कुल बीमित (2014-19): 51,61,975 (A); कुल प्रोत्साहन राशि: A* ₹ 20: ₹ 10.32 करोड़।

औषध-निर्देशन तक सीमित कर दिया तथा दंत चिकित्सा सम्बन्धी प्रक्रियाएं (डेंटल प्रोसीजर) सम्पन्न नहीं की जा सकी।

आगे, इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) या किसी अन्य विनियमों द्वारा निर्धारित ऐसा कोई मानक निर्धारित नहीं हैं जो कि चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) को सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए रोग-निदान एवं औषध-निर्देशन करने हेतु सक्षम बनाता हो, पांच औषधालयों (जयपुर-3, बीकानेर-2, भरतपुर-1, भरतपुर-2 और ब्यावर) में चिकित्सा अधिकारियों (दंत चिकित्सा) द्वारा सामान्य बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में भी कार्य किया गया। यहाँ तक कि, एक औषधालय (भरतपुर-1) में जनवरी 2019 से चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) ही एक मात्र चिकित्सक था जिसे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के रूप में कार्य करना पड़ा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया कि (दिसम्बर 2020) सभी 45 औषधालयों में चि.अ. (दंत चिकित्सा) हेतु आवश्यक उपकरण अब उपलब्ध करवा दिए गए हैं। प्रत्युत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि चि.अधिकारियों (दंत चिकित्सा) के पदस्थापन के दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उपकरण उपलब्ध कराये गए थे। आगे, चिकित्सा अधिकारियों (दंत चिकित्सा) ने सामान्य ओ.पी.डी. में भी कार्य किया जो कि एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानकों के विरुद्ध था।

इस प्रकार, उपकरणों के अभाव में, दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बीमितों एवं उनके आश्रितों को दंत प्रक्रिया सम्बन्धी सेवाएं प्रदान नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा अधिकारियों (दंत चिकित्सा) द्वारा सामान्य बीमारियों के लिए उपचार प्रदान किया जाना रोग-निदान एवं उपचार चिकित्सकीय मानकों के विरुद्ध है। यह रोगियों के जीवन को भी स्वतरे में डालता है क्योंकि, वह ऐसी सामान्य बीमारियों के उपचार हेतु योग्य/प्रशिक्षित नहीं है।

(iii) क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों में आयुष इकाइयों की स्थापना नहीं किया जाना

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 31 जुलाई 2014 को आयोजित अपनी 162वीं बैठक में आयुष सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक क.रा.बी.योजना चिकित्सालय में एक आयुर्वेद एवं एक होम्योपैथी इकाई की स्थापना करने का निर्णय लिया था।

निदेशक, क.रा.बी.योजना के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि आयुष के अंतर्गत चार चिकित्सालयों में आठ चि. अधिकारियों (एक आयुर्वेद में एवं एक होम्योपैथी में) की आवश्यकता के विरुद्ध केवल एक चिकित्सालय, जोधपुर हेतु चि. अधिकारियों के दो पद स्वीकृत किये गए तथा इन दो पदों के विरुद्ध 19 माह की लघु अवधि के लिए दो चरणों¹⁷ में चि. अधिकारी पदस्थापित किये गए। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि इनकी स्थापना से पांच वर्ष तक सम्पूर्ण व्यय क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाना था, तीन चिकित्सालयों में आयुष सुविधाएँ विकसित/प्रदान नहीं की गयी।

17 नवम्बर 2014 से जुलाई 2015 तथा दिसम्बर 2016 से सितम्बर 2017

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि शेष तीन चिकित्सालयों में आयुष इकाईयों की स्थापना हेतु आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। तथापि, प्रत्युत्तर क.रा.बी.योजना चिकित्सालय जोधपुर में आयुष इकाई के सम्बन्ध में मूक है जो कि कार्मिकों को लघु अवधि के लिए पदस्थापित किये जाने के कारण अकार्यशील रही थी।

(iv) भेषजज्ञों (फार्मासिस्ट) की कमी तथा नर्सिंग कर्मियों द्वारा बीमितों को दवाओं का अनियमित वितरण

भेषजी(फार्मसी) वृत्ति एवं व्यवसाय के विनियमन हेतु भेषजी अधिनियम मार्च 1948 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम का अनुच्छेद 42 प्रावधित करता है कि केवल एक पंजीकृत भेषजज्ञ ही मरीजों को दवाएं वितरित सकता है तथा जो कोई भी इस प्रावधान का उल्लंघन करता है वह कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों के साथ दंड का भागी होगा।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानदंडों के अनुसार दवाओं के प्रबंधन एवं वितरण हेतु 3,000, 5,000 तथा 10,000 बीमितों वाले औषधालयों में क्रमशः न्यूनतम दो, तीन तथा पांच भेषजज्ञों एवं 50 शय्याओं वाले प्रत्येक चिकित्सालय में चार भेषजज्ञों को पदस्थापित किया जाना आवश्यक है।

निदेशक, क.रा.बी.योजना के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि क.रा.बी.योजना के चिकित्सालयों/औषधालयों में 2016-17 तक कोई भी भेषजज्ञ पदस्थापित नहीं था। आगे, आवश्यक 309 भेषजज्ञों के विरुद्ध अप्रैल 2017 में मात्र 78 भेषजज्ञों के पद स्वीकृत किये गए। 2017-18 में मात्र दो भेषजज्ञ पदस्थापित किये गए तथा 2018-19 में 36 भेषजज्ञ पदस्थापित किये गए।

यह इंगित करता है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर, उन कर्मचारियों द्वारा दवाएं वितरित की जा रही थी जिनके पास इस उद्देश्य हेतु आवश्यक पेशेवर योग्यता नहीं थी। इसने निर्धारित दवाओं की सही स्युराक, लेने/प्रयोग के तरीके और संभावित दुष्प्रभावों के बारे में परामर्श से भी बीमितों को वंचित किया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2020) और अवगत कराया कि जहाँ भेषजज्ञों के पद रिक्त है, वहाँ चि.अ. के पर्यवेक्षण में दवा वितरण करने हेतु परिपत्र जारी किया जा चुका था (फरवरी 2019)।

7.2.3.3 अवसंरचना तथा उपकरण

(i) क.रा.बी.योजना स्वास्थ्य संस्थानों के भवनों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था एवं पर्याप्त स्थान का अभाव

राज्य में 78 क.रा.बी.योजना स्वास्थ्य संस्थानों (चार चिकित्सालय तथा 74 औषधालय) में से 30 स्वास्थ्य संस्थान क.रा.बी.निगम के स्वयं के भवनों में संचालित हो रहे थे, जबकि 48 स्वास्थ्य संस्थान क.रा.बी.निगम (24 भवन) तथा राज्य सरकार (24 भवन) द्वारा किराए पर लिए गए भवनों से कार्य संचालन कर रहे थे।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, क.रा.बी.योजना, दो चिकित्सालयों, तथा 21 औषधालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- सांकेतिक क्षेत्रफल मानदंडों के अनुसार, दो, तीन, चार तथा पांच चिकित्सकीय औषधालयों हेतु क्रमशः न्यूनतम 150, 200, 300, एवं 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल आवश्यक था। यह पाया गया कि 74 औषधालयों में से 22 औषधालयों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था।

रामगंज औषधालय, जयपुर में अपर्याप्त स्थान होने के कारण चि. अधिकारियों को चिकित्सक कक्ष (ड्यूटी रूम) के साथ साथ चिकित्सकीय मेज (डॉक्टर टेबल) भी आपस में साझेदारी करनी पड़ी। औषधियाँ भी टिन शेड वाले एक कक्ष में भंडारित की गयी जो कि कीट-पतंगों, वर्षा जल तथा सूर्य प्रकाश जैसे कारकों के विरुद्ध कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। यद्यपि चि.अ. प्रभारी ने निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, क.रा.बी.योजना को (अगस्त 2014, जून 2016 एवं फरवरी 2017) बार-बार अनुरोध किया, तथापि स्थिति में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ था (फरवरी 2020)।



- कर्मचारी राज्य बीमा निगम के स्वयं के भवनों में संचालित 30 औषधालयों में से चार¹⁸ भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे तथा सात¹⁹ भवनों में विशेष मरम्मत कार्य आवश्यक था।

आगे, क.रा.बी.योजना चिकित्सालय, जोधपुर का भवन बहुत ही जर्जर अवस्था में था तथा चिकित्सालय विकास समिति (चि.वि.स.) ने भी इस सम्बन्ध में अपनी चिंता व्यक्त की थी (फरवरी 2017)। चि.वि.स. की अनुशंसा पर चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक ने राज्य चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.निगम को भवनों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के बारे में सूचित किया (अक्टूबर 2017) तथा चिकित्सालय भवनों की तत्काल मरम्मत एवं रस्व रखाव हेतु अनुरोध किया। अधिशासी अभियंता, के.लो.नि.वि., जोधपुर ने भी भवनों की खतरनाक स्थिति को इंगित किया था (मई 2018) तथा वहाँ किसी प्रकार की संभावित दुर्घटना से बचने हेतु कुछ निश्चित स्थानों पर लोगों/मरीजों के प्रवेश एवं आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु अनुशंसा की थी। इसके बावजूद, कोई ठोस कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी तथा एक 50 शय्याओं वाला चिकित्सालय एवं इससे सम्बद्ध एक औषधालय नियमित रूप से कार्यशील रहे।



जीर्ण-शीर्ण अवस्था में क.बी.रा.योजना चिकित्सालय, जोधपुर का भवन

- नमूना जांच किये गए 21 औषधालयों में से आठ²⁰ औषधालयों में विशेष योग्यजनों हेतु रैंप और रैलिंग की सुविधाओं का अभाव था तथा सूचना पट्ट, पंक्ति प्रबंधन तथा शिकायत पेटिका की सुविधा भी क्रमशः चार²¹, पांच²² एवं छः²³ औषधालयों में उपलब्ध नहीं थी।

18 भरतपुर-1, भवानी मंडी, भीलवाड़ा-1, एवं कोटा- 4

19 क.रा.बी.योजना चिकित्सालय, भीलवाड़ा, जोधपुर एवं पाली तथा औषधालय अजमेर-1, बांसवाड़ा, ब्यावर तथा जोधपुर-1

20 ब्यावर, भरतपुर-1, भीलवाड़ा-2, गंगानगर-2, जयपुर-3, जोधपुर-1 व 3, उदयपुर-3।

21 भरतपुर-2, दौसा, जयपुर-3, कोटपुतली।

22 बीकानेर-1 व 2, जयपुर-3, जोधपुर-3, कांकरोली।

23 भरतपुर-1, दौसा, गंगानगर-2, कांकरोली, कोटपुतली, उदयपुर-3।



रामगंज औषधालय में विशेष योग्यजनों हेतु रैंप और रेलिंग जैसी सुविधाओं का अभाव

- औषधालय जोधपुर-1 का खुला स्थान कूड़े, झाड़ियों, भूसे तथा सूखी लकड़ियों से पटा हुआ था। मल निकास गड्ढा खुला पड़ा था जिससे अस्वास्थ्यकर वातावरण उत्पन्न हो रहा था। औषधालय की चारदीवारी कम ऊँचाई की थी तथा मुख्य द्वार पर काऊ कैचर स्थापित नहीं था जिसके कारण आवारा पशुओं की पहुँच आसान हुई।



कूड़े, झाड़ियों, भूसे तथा सूखी लकड़ियों से पटा हुआ औषधालय जोधपुर-1 का खुला स्थान
(दिनांक 11 दिसम्बर 2019)

तथ्यों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि पर्याप्त स्थान युक्त औषधालय भवन उपलब्ध कराने एवं जर्जर चिकित्सालय/औषधालय भवनों की प्राथमिकता से मरम्मत कराने हेतु क.रा.बी.निगम को समय समय पर पत्र लिखे गए हैं। आगे, लेखापरीक्षा द्वारा दर्शायी गयी कमियों को सुधारने हेतु औषधालयों को पत्र भी जारी कर दिया गया है।

(ii) औषधालयों में प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव

क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों तथा औषधालयों में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की पहल के तहत, क.रा.बी.निगम ने निर्देश जारी किए (नवंबर 2015) कि आधारभूत नैदानिक जांच सुविधा प्रदान करने हेतु क.रा.बी. राज्य औषधालयों को अवश्य रूप से एक प्रयोगशाला से

सुसज्जित होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं, स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित कर अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर निजी सेवा प्रदाता के माध्यम से करनी थी।

तथापि, 21 औषधालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में यह प्रकट हुआ कि फरवरी 2020 तक सात²⁴ औषधालयों में ना तो स्वयं की प्रयोगशाला थी और ना ही नैदानिक जांच करने हेतु अन्य प्रयोगशालाओं के साथ कोई व्यवस्था की थी। इन औषधालयों में प्रयोगशालाओं के अभाव में बीमितों एवं उनके परिजनों को विभिन्न आधारभूत परीक्षणों/जांचों हेतु यथोचित परामर्श के पश्चात या तो नजदीकी क.रा.बी.योजना चिकित्सालय/राजकीय चिकित्सालय में या किसी अनुबंधित चिकित्सालय में जाना पड़ा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि क.रा.बी.निगम द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की कार्ययोजना 2020-21 के अंतर्गत प्रयोगशाला एवं एक्स-रे सुविधाएँ क्रमशः 30 तथा 10 औषधालयों हेतु स्वीकृत की जा चुकी है। यह भी कहा गया कि बजट स्वीकृति एवं परियोजना के कार्यान्वयन की कार्ययोजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(iii) क.रा.बी. चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं होना

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय जोधपुर (फरवरी 1999 में प्राप्त) तथा भीलवाड़ा (अप्रैल 2002 में प्राप्त) में उपलब्ध अल्ट्रासाउंड मशीनें क्रमशः सितम्बर 2014 तथा जनवरी 2013 से अकार्यशील थीं। जिला समन्वयक ने इन मशीनों को, संचालित नहीं होने के कारण गर्भाधान पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के तहत क्रमशः फरवरी 2016 तथा जुलाई 2015 में सील कर दिया। इसके उपरांत, इन चिकित्सालयों को अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध नहीं करायी गयी। विभाग ने केवल 2020-21 में चार नयी अल्ट्रासाउंड मशीन क्रय करने हेतु ₹ 80 लाख का बजट का प्रावधान किया। तथापि, विभाग द्वारा प्रस्तुत क्रय प्रस्ताव को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी (अगस्त 2020) तथा इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कारण भी वर्णित नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार के पास इन मशीनों की लागत को पूरा करने हेतु योजनान्तर्गत निर्धारित व्यय की अधिकतम सीमा के अन्दर विशाल अप्रयुक्त निधियां उपलब्ध थी जैसा कि अनुच्छेद सं. 7.2.3.1 में उल्लेखित है, बीमितों को अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा से वंचित होना पड़ा। यह इंगित करता है कि क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सुविधाएँ विकसित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में नहीं था।

7.2.4 क.रा.बी. योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएँ

7.2.4.1 ओ.पी.डी./आई.पी.डी. रोगियों की संख्या की घटती हुई प्रवृत्ति

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य कारखाना कर्मियों एवं श्रमिकों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ प्रदान करना है। मानव शक्ति (जैसा कि अनु. 7.2.3.2 (i) तथा

24 बीकानेर-2, भवानी मंडी, दौसा, कांकरोली, कोटपुतली, जोधपुर-1 एवं जोधपुर-4

7.2.3.2 (iv) में चर्चा की गई है) तथा अन्य सहायक सुविधाओं की कमी के कारण 2014-15 से 2018-19 के दौरान ओ.पी.डी./आई.पी.डी. रोगियों की संख्या में कमी हुई जो कि निम्न तालिका 7.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 7.5

| वर्ष | कुल लाभार्थियों ²⁵ की संख्या (लाख में) | ओ.पी.डी. रोगी (लाख में) | कुल लाभार्थियों के सन्दर्भ में ओ.पी.डी. रोगियों का प्रतिशत | आई.पी.डी. रोगी |
|---------|---|-------------------------|--|----------------|
| 2014-15 | 26.46 | 22.15 | 83.71 | 9,205 |
| 2015-16 | 28.91 | 22.56 | 78.04 | 6,842 |
| 2016-17 | 30.65 | 25.36 | 82.74 | 7,574 |
| 2017-18 | 48.81 | 27.74 | 56.83 | 4,841 |
| 2018-19 | 54.28 | 27.70 | 51.03 | 4,209 |

स्रोत: निदेशक, क.रा.बी.योजना, राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि कुल लाभार्थियों के सन्दर्भ में ओ.पी.डी. का प्रतिशत 83.71 प्रतिशत (2014-15) से घटकर 51.03 प्रतिशत (2018-19) हो गया तथा आई.पी.डी. रोगियों की संख्या भी 2014-19 के दौरान उत्तरोत्तर कम हुई।

आगे, क.रा.बी.निगम ने अपनी 137वीं बैठक (दिसम्बर 2006) में क.रा.बी. चिकित्सालयों में 70 प्रतिशत अथवा अधिक औसत शय्या अधिभोग वाले राज्यों के लिए ₹ 15 प्रति बीमित प्रति वर्ष की एक प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की थी। अभिलेखों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि 2014-19 के दौरान तीन चिकित्सालयों (भीलवाड़ा, पाली एवं जोधपुर) में शय्या अधिभोग (बेड ऑक्यूपेंसी) एक प्रतिशत से 22.74 प्रतिशत के मध्य था तथा एक चिकित्सालय (कोटा) में 24.3 प्रतिशत से 66.39 प्रतिशत के मध्य था।

इस प्रकार, ₹ 7.74 करोड़²⁶ का प्रोत्साहन प्राप्त करने के अवसर के बावजूद राज्य द्वारा संचालित किसी भी क.रा.बी.योजना चिकित्सालय में शय्या अधिभोग 70 प्रतिशत और अधिक के मानदंड तक नहीं पहुँच सका।

क.रा.बी.योजना चिकित्सालय भीलवाड़ा तथा जोधपुर में

नमूना जांच किये गए दो चिकित्सालयों के 2014-19 तक की अवधि की आई.पी.डी. पंजिकाओं की समीक्षा में प्रकट हुआ कि 678 (11.25 प्रतिशत) रोगियों ने बिना चिकित्सकीय सलाह के वार्ड छोड़ दिया तथा 326 (5.41 प्रतिशत) रोगी बिना चिकित्सा/पैरा चिकित्सा कर्मियों की जानकारी के बगैर फरार हो गए थे जैसा कि निम्न तालिका 7.6 में दर्शाया गया है:

25 लाभार्थियों की संख्या में कुल बीमित एवं उनके आश्रित परिजन सम्मिलित है।

26 कुल बीमित (2014-19): 51,61,975 (A); कुल प्रोत्साहन: A* ₹ 15: ₹ 7.74 करोड़।

तालिका 7.6

| चिकित्सालय का नाम | भर्ती हुए कुल रोगी | कुल रोगी जिन्हें छुट्टी दी गयी | चि.स.वि.छु. (लामा) ²⁷ की संख्या | फरार हुए रोगियों की संख्या | रेफर किये गए रोगियों की संख्या |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| क.रा.बी.योजना चिकित्सालय, जोधपुर | 2,244 | 1,896 | 28 | 212 | 105 |
| क.रा.बी.योजना चिकित्सालय, भीलवाड़ा | 3,780 | 2,851 | 650 | 114 | 165 |
| कुल | 6,024 | 4,747 | 678 | 326 | 270 |

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि बीमित अनुबंधित चिकित्सालयों में रेफर होकर तथा मुफ्त उपचार की सुविधा के कारण राजकीय चिकित्सालयों में चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ बीमित आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओ.पी.डी./आई.पी.डी. रोगियों की घटती हुई संख्या की प्रवृत्ति मुख्य रूप से क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों/औषधालयों में मानव शक्ति की कमी तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के अभाव के कारण थी। अतः बीमितों की उन आशयित लाभों से वंचित किया गया जिनके लिए उन्होंने अंशदान का भुगतान किया था।

7.2.4.2 चिकित्सालयों में वृहद शल्य चिकित्सा का निष्पादन नहीं किया जाना

राज्य के चार क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों में निष्पादित की गई शल्य चिकित्साओं का वर्ष वार विवरण निम्न तालिका 7.7 में दिया गया है:

तालिका 7.7

| वर्ष | कोटा | | जोधपुर | | भीलवाड़ा | | पाली | |
|------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|--------------|----------|
| | लघु | वृहद | लघु | वृहद | लघु | वृहद | लघु | वृहद |
| 2015-16 | 852 | 298 | 38 | 25 | 95 | 0 | 539 | 0 |
| 2016-17 | 829 | 306 | 43 | 29 | 105 | 0 | 518 | 0 |
| 2017-18 | 974 | 447 | 41 | 14 | 108 | 0 | 336 | 0 |
| 2018-19 | 820 | 322 | 138 | 13 | 165 | 0 | 422 | 0 |
| योग | 3,475 | 1,373 | 260 | 81 | 473 | 0 | 1,815 | 0 |

स्रोत: निदेशक, क.रा.बी.यो., राजस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2015-19 के दौरान मात्र दो क.रा.बी. योजना चिकित्सालयों (कोटा एवं जोधपुर) में वृहद शल्य चिकित्साएँ सम्पन्न की गई थी तथा दो अन्य चिकित्सालयों (भीलवाड़ा और पाली) द्वारा केवल लघु शल्य चिकित्साएँ ही सम्पन्न की गयी थी।

दो चिकित्सालयों (भीलवाड़ा और जोधपुर) के अभिलेखों की नमूना जाँच में आगे निम्नानुसार प्रकट हुआ:

27 चि.स.वि.छु.: चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध छुट्टी।

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सालय, जोधपुर में 2015-19 के दौरान अस्थि रोग विभाग में कोई वृहद शल्य चिकित्सा निष्पादित नहीं की गई थी क्योंकि विभाग के पास आवश्यक 63 उपकरणों में से केवल पांच उपकरण ही उपलब्ध थे ।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सालय, भीलवाड़ा में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं क.वि., निश्चेतना की उपलब्धता के बावजूद स्त्री रोग विभाग में वृहद/लघु शल्य चिकित्सा निष्पादित नहीं की गई थी । यह भी पाया गया कि उक्त अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल के 2,325 पंजीकृत प्रकरणों में से केवल दो प्रसव कराये गए थे । यह चिकित्सालय के स्त्री रोग विभाग के बहुत कमजोर प्रदर्शन को दर्शाता है ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए राजकीय चिकित्सालय में भेजा गया था । यह भी अवगत करवाया गया कि अस्थि रोग विभाग जोधपुर में उपकरणों की स्वरीद के प्रयास किये जा रहे हैं ।

7.2.4.3 टीकाकरण कार्यक्रम पूर्णतः कार्यान्वित नहीं होना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार शिशुओं, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अनेक टीके उपलब्ध कराता है । राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी (रा.टी.सा.) के अनुसार शिशुओं, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को 11 प्रकार के टीकों से प्रतिरक्षित करने की आवश्यकता होती है ।

अभिलेखों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि 2014-19 के दौरान 78 में से केवल 32 (2018-19) से 46 (2015-16) चिकित्सा संस्थानों द्वारा ही टीकाकरण गतिविधियाँ सम्पादित की गई थी तथा 46 से 32 चिकित्सा संस्थानों ने किसी भी प्रकार का टीकाकरण नहीं किया गया था ।

आगे, रा.टी.सा. में निर्धारित 11 टीकों में से क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों/औषधालयों द्वारा केवल चार टीके ही उपलब्ध करवाए गए थे । यहाँ तक कि यह चार टीके भी सभी क.रा.बी.योजना चिकित्सा संस्थानों द्वारा नहीं लगाए गए थे । 2014-19 के दौरान केवल पांच से आठ चिकित्सा संस्थानों द्वारा बेसिलस केलमेट गुएरिन (बी.सी.जी.), 14 से 35 द्वारा डिथीरिया पर्टुसिस टिटनेस (डी.पी.टी.), 15 से 35 द्वारा पोलियो और 31 से 43 द्वारा ही टिटनेस के टिके लगाए गए थे ।

यह दर्शाता है कि विभाग द्वारा रा.टी.सा. में निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन नहीं किया जा रहा था ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि सभी चिकित्सा संस्थानों को प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को टीकाकरण सत्र आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे ।

7.2.4.4 परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं होना

क.रा.बी.योजना 78 चिकित्सा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से परिवार कल्याण कार्यक्रम सहित विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ राज्य के लगभग 13.99 लाख बीमित परिवारों को गर्भनिरोधक का वितरण, इंद्रा यूट्राइन कॉण्ट्रासेप्टिव डिवाइस (आई.यू.सी.डी.) का अधिरोपण और पुरुष नसबन्दी एवं महिला नसबन्दी जैसी स्थाई प्रक्रिया भी सम्मिलित है। तथापि यह भी पाया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में केवल 34 से 43 चिकित्सा संस्थानों द्वारा भाग लिया गया था तथा 2015-16 से 2017-18 के दौरान 7.45 लाख में से 4.06 लाख (2015-16) (54.50 प्रतिशत) से 12.58 लाख में से 3.96 लाख (2017-18) (31.48 प्रतिशत) के मध्य बीमित परिवारों को ही आवरित किया जा सका। आगे, नसबन्दी ऑपरेशन केवल 16 (20.51 प्रतिशत) से 20 (25.64 प्रतिशत) चिकित्सा संस्थानों द्वारा ही किये गए थे। यहाँ तक की, गर्भनिरोधको का वितरण, एक सर्वाधिक प्रचलित अन्तराल विधि, भी मात्र 21 (26.93 प्रतिशत) से 33 (42.31 प्रतिशत) चिकित्सा संस्थानों द्वारा ही किया गया था। इस प्रकार, क.रा.बी.योजना चिकित्सा संस्थानों का परिवार कल्याण कार्यक्रम में सार्थक योगदान नहीं था। तथापि, विभाग के पास वर्ष 2014-15 और 2018-19 के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

यह जानते हुए कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान को उच्च फोकस वाले राज्यों में से एक राज्य के रूप में वर्गीकृत (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18 के अनुसार) किया गया था, क.रा.बी.योजना चिकित्सा संस्थानों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि सभी चिकित्सा संस्थानों को बीमितों के मध्य परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

7.2.4.5 बीमितों का निवारक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाना

इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि, बीमितों का एक बड़ा वर्ग कठोर एवं जोखिमभरे औद्योगिक वातावरण में काम करता है तथा उनमें गंभीर बीमारियों के विकसित होने की सम्भावना अधिक होती है, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली द्वारा 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बीमितों का वार्षिक निवारक स्वास्थ्य परीक्षण²⁸ अनिवार्य रूप से करने के निर्देश (मई 2016 एवं मार्च 2017) जारी किये थे। ऐसे प्रत्येक बीमित के स्वास्थ्य प्रोफाइल/अभिलेख का संधारण और सभी लाभार्थियों एवं हितधारकों के मध्य इस पहल की जागरूकता फैलाने के लिए व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाना था।

28 हीमोग्लोबिन, टोटल ल्युकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्युकोसाइट काउंट, एरिथ्रोसाइट सेडीमेंटेशन रेट, रेंडम ब्लड शुगर, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, यूरिन कम्पलीट, एक्स-रे चेस्ट तथा ई.सी.जी. किया जाना था।

यह पाया गया कि 21 नमूना जाँच किये गए औषधालयों में से केवल 7 औषधालयों द्वारा वार्षिक निवारक स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था जबकि 14 औषधालयों द्वारा वार्षिक निवारक स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश जारी (सितम्बर 2020) कर दिए गए हैं।

7.2.4.6 जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन में पाई गई अनियमितताएं

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2016 किसी भी चिकित्सा संस्थान में मानवों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न हुए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (जै.चि.अ.) के विनियमन, प्रबंध और संचालन के लिए अधिनियमित किया गया था। जै.चि.अ. नियमों के अंतर्गत जै.चि.अ. उत्पन्न करने वाले प्रत्येक चिकित्सा संस्थान को यह सुनिश्चित करने हेतु कि ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, सभी कदम उठाने आवश्यक थे। 21 औषधालयों और दो चिकित्सालयों की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि:

- 16 नमूना जाँच किये गए औषधालयों में प्रति दिन निस्तारण किये गए जै.चि.अ. के आंकड़े संधारित नहीं किए गए थे।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का नियम 8 प्रावधित करता है कि अनुपचारित जै.चि.अ. को अन्य अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए तथा जै.चि.अ. को भण्डारण, परिवहन, उपचार और निस्तारण से पूर्व अनुसूची-1 के अनुसार उत्पन्न होने वाले स्थान पर डिब्बों या थैलों में अलग-अलग किया जाना चाहिए। आगे, नियम 4 निर्देशित करता है कि अलग-अलग किये हुए जै.चि.अ. को सीधे ही कॉमन बायो-मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी (सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ.) को भेजा जाना चाहिए।

तथापि, यह पाया गया कि क.रा.बी.योजना चिकित्सालय (जोधपुर) में जै.चि.अ. को चिकित्सालय भवन में खुले स्थान पर रखा गया था जिससे संक्रमण का स्वतरा था। यह भी पाया गया कि छः औषधालय²⁹ सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ. से सम्बद्ध नहीं थे जबकि सात औषधालयों³⁰ में जै.चि.अ. का निस्तारण अथवा परिवहन समय पर नहीं किया जा रहा था।

- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016 की अनुसूची-1 के अनुसार मानव संरचनात्मक अपशिष्ट, पशु संरचनात्मक अपशिष्ट, साँड़लड अपशिष्ट और अवधिपार या हटाई गई दवाइयों को निस्तारित किये जाने से पूर्व भस्मीकरण किया जाना था।

29 भरतपुर-1 व 2, भीलवाड़ा-2, दौसा, जोधपुर-1, कोटा-4

30 अजमेर-1, ब्यावर, भीलवाड़ा-2, दौसा, कोटा-1 तथा 4, कोटपुतली।

नमूना जाँच किये गए दो क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों (भीलवाड़ा और जोधपुर) में दाहगृह स्थापित किये गए थे परन्तु यह अक्रियाशील थे। इस प्रकार उपरोक्त चिकित्सालयों में उत्पन्न जै.चि.अ. बिना भस्मीकरण के ही निस्तारित किया जा रहा था।

- नियमों के अनुसार, सुइयां, सुइयों सहित सिरिज, नीडल्स टिप कटर या बर्नर से निकली हुई सुइयां, शल्य क्रिया में प्रयुक्त चाकू, ब्लेड्स या कोई भी दूषित धारदार वस्तु जो कि छेद कर सकती है, को सफेद पारदर्शी थैले में रखा जाना चाहिए और निस्तारण से पहले आटोक्लेव किया जाना चाहिए। तथापि 21 नमूना जाँच किये गए औषधालयों में से 10 औषधालय³¹ ऑटोक्लेव से लैस नहीं थे।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को संभालने वाले कर्मचारियों को पदासीन करते समय तथा उसके बाद प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रशिक्षण दिया जाना था। 15 औषधालयों³² द्वारा कार्मिकों को जै.चि.अ. को संभालने के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को संभालने में लिप्त कर्मचारियों को हेपेटाइटिस बी और टिटनेस सहित बीमारियों जिनका जै.चि.अ. को संभालने के दौरान संक्रमण हो सकता है, से बचाव के लिए प्रति वर्ष टीकाकरण किया जाना था। 16 औषधालयों³³ में इस प्रकार का कोई टीकाकरण नहीं किया गया था।
- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 7 (8) के अनुसार दो वर्ष के अन्दर नॉन-क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग को हटाया जाना था। तथापि सात औषधालयों³⁴ में जै.चि.अ. के भण्डारण के लिए नॉन-क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग अभी भी प्रयुक्त किये जा रहे थे।

राज्य सरकार ने अवगत करवाया (दिसम्बर 2020) कि चिकित्सालयों/औषधालयों को जै.चि.अ. के निस्तारण और प्रबंधन के लिए जै.चि.अ. नियम, 2016 में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

7.2.4.7 आई.टी. रोल आउट परियोजना “पंचदीप” के अंतर्गत धनवंतरी मोड्यूल का कार्यान्वयन नहीं किया जाना

क.रा.बी.निगम द्वारा वर्ष 2009 में, चिकित्सालयों/औषधालयों की प्रबंधन प्रणाली में सुधार, बीमितों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा लाभार्थियों को बेहतर इंटरफेसिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक आई.टी. रोल आउट परियोजना “पंचदीप” प्रारम्भ की गई थी। इस

31 ब्यावर, भवानी मंडी, भरतपुर-2, भीलवाड़ा-2, बीकानेर-1 व 2, गंगानगर-2, जोधपुर-3 व 4 तथा कोटपुतली

32 अजमेर-1, ब्यावर, भवानी मंडी, भीलवाड़ा-1 व 2, दौसा, जयपुर-3, जोधपुर-1, 3 व 4, कांकरोली, कोटपुतली, कोटा-1 व 4, उदयपुर-3

33 अजमेर-1, ब्यावर, भरतपुर-1, भवानी मंडी, भीलवाड़ा-2, दौसा, जयपुर-3, जोधपुर-1, 3 व 4, कांकरोली, कोटपुतली, कोटा-1 व 4, उदयपुर-1 व 3

34 भरतपुर-1 व 2, बीकानेर-1 व 2, धौलपुर, गंगानगर-2, उदयपुर-1

परियोजना के पांच³⁵ घटक थे, जिनमें से धनवंतरि (स्वास्थ्य सूचना प्रणाली) को चिकित्सालयों और औषधालयों में लागू किया जाना था। धनवंतरि प्रणाली के अंतर्गत सात मॉड्यूल नामतः रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल रिकार्ड्स, लेबोरेटरी, स्टोर्स, एम.आई.एस. रिपोर्ट्स, मास्टर मैनेजमेंट तथा एडमिन एवं सिक्यूरिटी थे। यह बीमितों को नियोक्ता द्वारा भरे गए व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरणों, अंशदान के विवरण, विभिन्न लाभों के लिए पात्रता को देखने में बीमित पोर्टल के प्रयोग हेतु सक्षम बनाता है। बीमित के चिकित्सा अभिलेखों को किसी भी चिकित्सालय/औषधालय में उपचार करने वाले चिकित्सक के द्वारा देखे जाने हेतु ऑनलाइन सृजित किया जाना था। 21 औषधालयों और दो चिकित्सालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- तीन औषधालयों³⁶ में, धनवंतरि प्रणाली का सात में से कोई भी मॉड्यूल कार्यान्वित नहीं किया गया था। 13 औषधालयों³⁷ और एक चिकित्सालय (जोधपुर) में केवल रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कार्यान्वित किया गया था। जबकि एक औषधालय (कोटपुतली) और एक चिकित्सालय (भीलवाड़ा) में, दो मॉड्यूल यथा रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्टर्स'/क्लिनिकल रिकॉर्ड कार्यान्वित किये गये थे तथा चार औषधालयों³⁸ में तीन मॉड्यूल यथा रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स'/क्लिनिकल रिकॉर्ड एवं स्टोर कार्यान्वित किये गये थे।
- बीमितों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक चिकित्सालय में एक आई.टी. प्रबंधक एवं एक आई.टी. सहायक तथा प्रत्येक औषधालय में एक आई.टी. सहायक चरणबद्ध तरीके से नियुक्त किये जाने थे। आई.टी. हार्डवेयर को संभालने के लिए 14 औषधालयों में कोई भी आई.टी. सहायक नियुक्त नहीं किया गया था।
- क.रा.बी.निगम की 162वीं बैठक (जुलाई 2014) के अनुसार वर्ष 2014-15 से धनवंतरी मॉड्यूल का क्रियान्वयन करने पर ओ.पी.डी. में न्यूनतम 30 मरीज प्रतिदिन वाला प्रत्येक औषधालय ₹ 10,000 प्रोत्साहन राशि का पात्र था। औषधालयों को वर्ष 2015-16 और 2016-17 में क्रमशः 45 और 60 मरीज प्रतिदिन की उपस्थिति की शर्त पर इस प्रोत्साहन राशि को जारी रखा गया। तथापि, यह पाया गया कि किसी भी औषधालय द्वारा धनवंतरि मॉड्यूल का कार्यान्वयन नहीं करने के कारण प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं उठाया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि आवश्यक हार्डवेयर की कमी और दूरस्थ स्थानों पर नेटवर्क सेवाओं की समस्या के कारण धनवंतरि प्रणाली के केवल तीन मॉड्यूल कार्यान्वित किये गए थे। धनवंतरि के सभी सात मॉड्यूल कार्यान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

35 1. पहचान, 2. पाषाण (हार्डवेयर), 3. मिलाप, 4. प्रगति, 5. धनवंतरि

36 भवानी मंडी, दौसा तथा कोटा-1

37 अजमेर-1, ब्यावर, भरतपुर-1 व 2, भीलवाड़ा-2, जयपुर-3, जोधपुर-1, 3 व 4, कांकरोली, कोटा-1, उदयपुर-1 व 3

38 बीकानेर-1 व 2, धौलपुर तथा गंगानगर-2

7.2.5 अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण

7.2.5.1 क्षेत्रीय परिषद तथा स्थानीय समितियों की कार्यप्रणाली

क.रा.बी. अधिनियम का अनुच्छेद 25 प्रावधित करता है कि क.रा.बी.निगम, विनियमों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट रीति से क्षेत्रीय परिषद (क्षे.प.) तथा स्थानीय समितियों (स्था.स.) का गठन कर सकेगा तथा उन्हें विनियमों में विनिर्दिष्ट शक्तियां एवं कार्य सौंप सकेगा। क.रा.बी.निगम द्वारा राजस्थान राज्य के लिए एक 13 सदस्यीय क्षे.प. का, श्रम राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठन (सितम्बर 2012) किया गया था जबकि स्वास्थ्य राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार को उपाध्यक्ष एवं निदेशक (क.रा.बी.योजना) को पदेन सदस्य के रूप में कार्य करना था।

(i) **क्षेत्रीय परिषद:** क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के अनुच्छेद 10 (9) के अनुसार क्षे.प. की एक वर्ष में चार बैठक आयोजित की जानी आवश्यक थी। तथापि निदेशक, क.रा.बी.योजना के अभिलेखों की समीक्षा में पाया कि वर्ष 2014-19 के दौरान क्षे.प. द्वारा निर्धारित 20 बैठकों के विरुद्ध केवल छः बैठके आयोजित की गई थी। उपाध्यक्ष (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार) द्वारा किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया गया। परिणामस्वरूप चिकित्सा एवं पैराचिकित्सा कार्मिकों की कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समुचित तरीके से समाधान नहीं किया जा सका।

आगे, क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 का अनुच्छेद 10 (14) निर्धारित करता है कि क्षे.प., अन्य श्रेणियों को और नए क्षेत्रों में योजना का विस्तार करने, लाभों में सुधार तथा असामान्य स्थितियों से निपटने के लिए विशेष उपाय अपनाने तथा स्थायी रूप से अपंग बीमितों के पुनर्वास की व्यवस्था और उपाय करने हेतु अनुशंसा करेगा। इन अनुशंसाओं को स्वीकृति के लिए क.रा.बी.निगम /राज्य सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक था।

बैठकों के कार्यवृत्तों की समीक्षा में प्रकट हुआ कि भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव, खाली पदों को भरना, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) इकाइयों की स्थापना, दवाइयों की अनुपलब्धता और आई टी रोल आउट परियोजना का कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्षे.प. की बैठकों में वर्ष 2014-2019 के दौरान चर्चा की गई थी। तथापि, क्षे.प. द्वारा किये गए निर्णय/सिफारिशें क.रा.बी.निगम /राज्य सरकार की स्वीकृति के अभाव में कार्यान्वित नहीं की जा सकीं, जिसका अभिलेखों में कोई कारण नहीं पाया गया। इस प्रकार, 2014-2019 के दौरान क्षे.प. द्वारा केवल एक चर्चा के मंच के रूप में कार्य किया गया।

(ii) **स्थानीय समितियां:** क.रा.बी. (सामान्य) विनियम, 1950 के अनुच्छेद 10 अ के अनुसार स्थानीय कार्यालय स्तर पर एक स्थानीय समिति का गठन इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले स्थानीय मुद्दों पर चर्चा एवं उनके निवारण के लिए किया जाना था। यद्यपि, जैसा कि निर्धारित था, स्थानीय समितियों³⁹ का गठन कर दिया गया था। तथापि, 2014 से 2019 के दौरान

39 स्थानीय समितियों की संख्या, 2014-15 के दौरान: 30, 2015-16 के दौरान: 30, 2016-17 के दौरान: 30, 2017-18 के दौरान: 26, तथा 2018-19 के दौरान: 26

निर्धारित 426 बैठकों के विरुद्ध केवल 65 बैठकें आयोजित की गईं। आगे, स्थानीय समिति को आई.एम.पी. की कार्यप्रणाली का औचक निरीक्षण द्वारा अनुश्रवण करना था परन्तु यह पाया गया कि स्थानीय समितियों द्वारा किसी भी आई.एम.पी. का निरीक्षण नहीं किया।

7.2.5.2 चिकित्सालय विकास समितियों की कार्यप्रणाली

क.रा.बी.निगम ने 143 वीं बैठक में क.रा.बी. चिकित्सालयों की कार्यप्रणाली में समग्र सुधार हेतु राज्य द्वारा संचालित सभी क.रा.बी. चिकित्सालयों के लिए चिकित्सालय विकास समितियों⁴⁰ (चि.वि.स.) के गठन को स्वीकृति जारी की थी (जुलाई 2008)। तदनुसार, उप चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली द्वारा राज्य के चिकित्सालयों में चि.वि.स. स्थापित करने के लिए निर्देश जारी किये गए (जुलाई 2008)। चि.वि.स. द्वारा प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर चिकित्सालय/सलंगन औषधालयों की निष्पादकता की समीक्षा की जानी थी।

इसकी अनुपालना में, चिकित्सालय वार चि.वि.समितियों का गठन किया गया था (जुलाई 2008) और चार क.रा.बी.योजना चिकित्सालयों की चि.वि.समितियों से 57 औषधालय⁴¹ सम्बद्ध कर दिए गए एवं 17 औषधालयों को क.रा.बी.निगम मॉडल चिकित्सालय जयपुर से सम्बद्ध कर दिया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक चि.वि.स. द्वारा निर्धारित 30 बैठकें आयोजित करने के विरुद्ध, 2014-19 के दौरान चि.वि.समितियों द्वारा केवल 16 (भीलवाड़ा), 18 (जोधपुर), आठ (कोटा) और 19 (पाली) बैठकें आयोजित की गईं थीं। आगे, 21 नमूना जाँच किये गए औषधालयों में से, 13 औषधालयों द्वारा कभी भी चि.वि.स. की बैठकों में भाग नहीं लिया। उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि चि.वि.स. प्रावधानानुसार कार्य नहीं कर रही थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि सभी चार चिकित्सालयों की चि.वि.स.के अध्यक्ष को चि.वि.स. की बैठकें मानदंडों के अनुसार आयोजित करने और चि.वि.स. की बैठकों में सभी चिकित्सा अधिकारियों (प्रभारी) की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए थे (सितम्बर 2020)।

7.2.5.3 क.रा.बी. समिति का गठन नहीं किया जाना

चिकित्सालयों एवं औषधालयों में क.रा.बी. योजना के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने और विभिन्न राज्यों में सेवाओं के मानक में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, क.रा.बी.निगम

40 चि.वि.समितियों में चिकित्सालय का चिकित्सा अधीक्षक, अध्यक्ष के रूप में, उप चिकित्सा अधीक्षक, संयोजक के रूप में, तथा नियाक्ताओं, श्रमिकों, कार्मिकों के, राज्य श्रम विभाग के प्रतिनिधि, तथा क.रा.बी.नि./क्षे.प. का स्थानीय सदस्य सम्मिलित है।

41 क. रा. बी. चिकित्सालय भीलवाड़ा के साथ 21 औषधालय, क. रा. बी. चिकित्सालय जोधपुर के साथ 14 औषधालय, क. रा. बी. चिकित्सालय कोटा के साथ 18 औषधालय तथा क. रा. बी. चिकित्सालय पाली के साथ चार औषधालय

ने अपनी 167वीं बैठक में राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 58 (5)⁴² के तहत राज्य स्तर पर सहायक निगम/समिति का गठन करने की सलाह देने का निर्णय लिया। तदनुसार, महानिदेशक, क.रा.बी.निगम ने (जनवरी 2016) राज्य सरकार को 31 मार्च 2016 से पहले राज्य स्तर पर एक समिति गठित करने की सलाह दी और कहा कि ऐसे संगठन के गठन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से क.रा.बी.निगम तीन वर्ष के लिए क.रा.बी.योजना सुविधाओं को स्थापित करने एवं संचालन का सम्पूर्ण व्यय स्वयं वहन करेगा।

अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि राज्य सरकार ने, इस आधार पर कि राज्य में पहले से ही एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है जिसे और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है, समिति स्थापित करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त की (जून 2018)। क.रा.बी.निगम ने आगे स्पष्ट किया (जुलाई 2018) कि क्षे.प. एक सलाहकार निकाय था, जबकि प्रस्तावित नयी समिति सशक्त कार्यकारी निकाय होगा तथा दोनों निकायों के कार्य विधिक रूप से भिन्न हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि, राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 तक समिति का गठन नहीं किया। तथापि, 14 राज्यों में इस प्रकार की समितियां गठित की जा चुकी थी। आगे, 2016-17 से 2018-19 के दौरान क.रा.बी. योजना के कार्यान्वयन पर राशि ₹ 353.27 करोड़ का व्यय हुआ था जिसमें से ₹ 44.16 करोड़ (अर्थात् 1/8 वां भाग) राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। यदि राज्य सरकार ने समिति का गठन किया होता, तो इस राशि की बचत की जा सकती थी।

यद्यपि, राज्य सरकार ने समिति का गठन नहीं किया क्योंकि क्षे.प. पहले से ही कार्यरत था, वहीं दूसरी ओर क्षे.प. की विभिन्न अनुशंसाओं पर भी कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, राज्य में योजना के प्रभावी और कुशल प्रबंधन की दिशा में प्रगतिशील कदम नहीं उठाया जा सका।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि क.रा.बी. समिति के गठन बाबत नीतिगत निर्णय विचाराधीन है एवं सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए लंबित है।

7.2.6 निष्कर्ष

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (क.रा.बी.योजना), कर्मचारियों को बीमारी, प्रसव, नौकरी के दौरान लगी चोट के कारण मृत्यु अथवा अपंगता तथा रोजगार जनित रोगों जैसी घटनाओं के दुष्प्रभावों के विरुद्ध रक्षा करने तथा बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गयी थी। मार्च 2015 के बाद विभाग के पास योजना के आयोजन एवं प्रबंधन हेतु औषधालय वार/क्षेत्र वार बीमितों के आधारभूत/आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। राज्य में क.रा.बी.योजना के प्रसार के लिए सभी बीमितों का आवरण एवं बीमितों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु 'ई.एस.आई.सी. 2.0' के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार कार्यान्वित नहीं किये गए। अधिकतम स्वीकार्य व्यय की निर्धारित सीमा में से अप्रयुक्त 60.63 प्रतिशत भाग का राज्य सरकार द्वारा मानव शक्ति के प्रबंधन तथा बीमितों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक चिकित्सा

42 यह उप अनुच्छेद 01.06.2010 से अंतर्निर्दिष्ट किया गया।

सुविधाओं हेतु उपयोग नहीं किया गया। फलस्वरूप क.रा.बी. चिकित्सालयों/औषधालयों को चिकित्सा विशेषज्ञों/अधिकारियों एवं पैराचिकित्सा स्टाफ की कमी का सामना करना पड़ा तथा आधारिक संरचना व प्रयोगशाला सुविधाओं का अभाव रहा। इसके परिणामस्वरूप, ओ.पी.डी./आई.पी.डी. में आने वाले रोगियों की संख्या में कमी हुई तथा रोगियों को आधारभूत जांच/परीक्षण एवं विशेषज्ञ सुविधाओं हेतु अनुबंधित/राजकीय चिकित्सालयों को रेफर करना पड़ा। क.रा.बी.निगम ने चिकित्सालय प्रबंधन हेतु आई.टी. परियोजना प्रारंभ की जिसे पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि:

1. राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालयों/औषधालयों में आवश्यक अवसंरचना तथा प्रयोगशाला सुविधाएं बेहतर बनाने तथा क.रा.बी.योजना की कार्यपद्धति में सुधार हेतु, योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
2. राज्य सरकार द्वारा औषधालय वार बीमितों का सुदृढ़ एवं अद्यतन डेटाबेस संधारित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए ताकि उन्हें समुचित चिकित्सकीय उपचार प्रदान किया जा सके।
3. राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों/अधिकारियों एवं पैराचिकित्सा कर्मियों के रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाने चाहिए।
4. चिकित्सालय/औषधालय प्रबंधन प्रणाली में सुधार किये जाने एवं बीमितों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आई.टी. परियोजना का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

7.3 बिजली के बिलों पर परिहार्य अधिक भुगतान

विभाग द्वारा स्वीकृत भार में वृद्धि हेतु आवेदन करने में विफल रहने के कारण चिकित्सा महाविद्यालयों/चिकित्सालयों द्वारा डिमान्ड सरचार्ज का परिहार्य भुगतान तथा विद्युत शुल्क का अनियमित भुगतान कुल राशि ₹ 1.40 करोड़।

वितरण कंपनी (डिस्कॉम) द्वारा किसी भी उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत दर-सूची (टैरिफ) संरचना में श्रेणीवार निर्धारित दरों के अनुसार है और “विद्युत आपूर्ति की दर-सूची 2017” के प्रावधानों के अधीन प्रभार्य है। संविदा मांग आधारित दर-सूची उन उपभोक्ताओं पर लागू होती है जिनकी संविदा मांग⁴³/अधिकतम मांग 50 केवीए से अधिक है या जो एचटी (11

43 उपभोक्ता के स्वीकृत सम्बद्ध भार (कनेक्टेड लोड) को संविदा मांग के रूप में लिया जाता है। संविदा मांग आधारित दर सूची-मूल रूप में 11 केवी में आपूर्ति के लिए दरसूची है।

केवी पर आपूर्ति) पर आपूर्ति लेना चाहते हैं और मांग के आधार पर बिलिंग का विकल्प चुनते हैं।

सरकार/सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित चिकित्सालयों को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति मिश्रित भार/एचटी-4 श्रेणी में प्रभार्य है। तदनुसार, स्थायी प्रभार ₹ 165 प्रति केवीए प्रति माह बिलिंग मांग⁴⁴ का और ऊर्जा प्रभार 700 पैसे प्रति यूनिट प्रभार्य योग्य थे। अजमेर डिस्कॉम⁴⁵ की विद्युत की आपूर्ति के लिए दर-सूची के क्लॉज़ IV (सी) (iv) के अनुसार, उपभोक्ता अपनी संविदा मांग से अधिक मांग नहीं करेगा। यदि वह किसी माह विशेष में संविदा मांग के 105 प्रतिशत से अधिक की मांग का कारण बनता है, तो विद्युत सयोजन का विच्छेदित करने के साथ, उसे स्थायी शुल्क और ऊर्जा प्रभार (विद्युत शुल्क और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, को छोड़कर) को उसी प्रतिशतता में अतिरिक्त संदाय करना होगा, जिस प्रतिशतता में वास्तव में अतिरिक्त मांग की गई है।

तथापि, यदि कोई उपभोक्ता अपने सम्बद्ध भार और/या संविदा मांग को बढ़ाने या घटाने की मांग करता है, तो डिस्कॉम को लिखित में आवेदन पत्र के साथ नोटिस भेजेगा और विद्युत आपूर्ति की नियमावली व शर्तें 2004 की धारा 16 बी के अनुसार लागू यथोचित स्वर्चों का भुगतान करेगा।

चार चिकित्सालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों⁴⁶ के अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 के बीच) में प्रकट हुआ कि इन चिकित्सालयों ने अपनी संविदा मांग के 106 प्रतिशत से 192 प्रतिशत तक अधिक विद्युत का उपभोग किया और उनको अप्रैल 2017 से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान संबंधित डिस्कॉम को डिमान्ड सरचार्ज का भुगतान करना पड़ा। साथ ही एसएन चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में पिछले वर्षों में समय-समय पर नए उपकरण/भारी मशीनरी स्थापित की गई, जिसके परिणामस्वरूप स्थापित भार में वृद्धि हुई थी, लेकिन तदनुसार संविदा मांग में वृद्धि (जनवरी 2020) नहीं की गई थी। अगर चिकित्सालयों ने अपनी वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के उपरांत संविदा मांग में समय पर वृद्धि की होती तो ₹ 1.10 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था जिसका विवरण **तालिका 7.8** में नीचे दिया गया है।

44 माह के दौरान वास्तव में दर्ज की गई अधिकतम मांग या संविदा मांग का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक है।

45 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की दर सूची में समान प्रावधान है।

46 महाराणा भूपाल (एमबी) राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर; डॉ. सम्पूर्णानन्द (एसएन) चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर; जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर; महात्मा गांधी चिकित्सालय (एमजीएच), जोधपुर

तालिका 7.8

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | लेखापरीक्षा इकाई का नाम | संविदा मांग | वास्तविक उपयोग की गयी मांग (केवीए में) | अधिक बिलिंग डिमांड की सीमा (प्रतिशत) | भुगतान किया गया डिमान्ड सरचार्ज |
|------------|------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. | एमबी चिकित्सालय, उदयपुर | 425 | 473 से 634 | 111-149 | 0.33 |
| | | 450 | 492 से 565 | 109-126 | 0.09 |
| | | 350 | 398 से 659 | 114-188 | 0.34 |
| 2. | एसएन चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर | 583 | 616 से 812 | 106-139 | 0.11 |
| | | 80 | 90 से 117 | 112-146 | 0.06 |
| 3. | जेएलएन चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर | 125 | 176.28 | 141 | 0.09 |
| 4. | एमजीएच, जोधपुर | 80 | 153.76 | 192 | 0.08 |
| योग | | | | | 1.10 |

इसके अलावा, राजस्थान राज्य विद्युत शुल्क अधिनियम, 1962 के क्लॉज़ 3 (2)(डी) (i) में निहित है कि ऐसे चिकित्सालयों या औषधालयों जो कि निजी लाभ के लिए संचालित नहीं हैं, द्वारा उपयोग में ली गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क⁴⁷ प्रभार्य नहीं किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि महाराणा भूपाल (एम.बी.) चिकित्सालय, उदयपुर ने एक सरकारी चिकित्सालय होने के बावजूद भी अप्रैल 2015 से अगस्त 2019 की अवधि के दौरान ₹ 0.30 करोड़ के विद्युत शुल्क का भुगतान किया।

टिप्पणी (जुलाई 2019 से जनवरी 2020) करने पर, विभाग (नवम्बर 2020) ने अवगत कराया कि चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर में स्वीकृत भार को बढ़ाया जा चुका था (सितम्बर 2020)। एमबी चिकित्सालय, उदयपुर द्वारा भार बढ़ाने के लिए आवश्यक शुल्क जमा करा दिए गये (मार्च 2020) और अजमेर डिस्कॉम के साथ विद्युत शुल्क की छूट के समायोजन का मामला भी उठाया गया। एसएन चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में स्वीकृत भार में वृद्धि का कार्य प्रगति पर था (नवम्बर 2020)।

हालाँकि, तथ्य यह है कि चिकित्सालयों ने इस मामले को उठाने में देरी की और दो वर्षों से अधिक समय के लिए डिमांड सरचार्ज और विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान किया।

इस प्रकार, चिकित्सालयों के स्तर पर विद्युत बिलों की उचित ढंग से जांच करने और लागू छूटों का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.40 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था (अक्टूबर 2020), किन्तु उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।

47 राजस्थान में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर लिया जाने वाला शुल्क

7.4 निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान को अदेय लाभ

विभागीय स्तर पर कार्यवाही के अभाव में रियायत शुल्क और भुगतान में विलम्ब पर दंडात्मक ब्याज की कम प्राप्ति, अप्रयुक्त बी.पी.एल. कोटे से संबंधित राशि की कम वसूली एवं परिणामस्वरूप रियायतग्राही को अदेय लाभ पहुँचने से राज्य सरकार को ₹ 5.09 करोड़ के राजस्व की हानि ।

राज्य सरकार की ओर से प्राचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय (स.मा.सिं.चि.म.), जयपुर (रियायतकर्ता प्राधिकरण) एवं मैसर्स मेट्रो इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस प्रा. लि., दिल्ली (बोलीदाता) की ओर से उसके विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी) मैसर्स मेट्रो मास हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली (रियायतग्राही) के बीच सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर मेट्रो मानस आरोग्य सदन चिकित्सालय एवं हार्ट संस्थान (मेट्रो मास चिकित्सालय), जयपुर को संचालित करने हेतु एक रियायत अनुबन्ध निष्पादित (दिसम्बर 2011) किया गया । रियायतकर्ता प्राधिकरण ने रियायत अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुरूप 02 सितम्बर 2012 से रियायतग्राही को मेट्रो मास चिकित्सालय, जयपुर के 'आंशिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों' को प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान की (सितम्बर 2012) ।

(i) रियायत अनुबन्ध की शर्त संख्या 11.1.1 से 11.1.3 के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से सात दिवसों के भीतर रियायतकर्ता प्राधिकरण को रियायत शुल्क सकल राजस्व के 7.2 प्रतिशत की दर से चुकाया जाना था । त्रैमासिक रियायत शुल्क के भुगतान में चार सप्ताह तक की देरी की स्थिति में, रियायतग्राही द्वारा भुगतान नियत तिथि से भुगतान किए जाने की तिथि तक 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज का भुगतान किया जाना था । त्रैमासिक रियायत शुल्क के भुगतान में चार सप्ताह से अधिक की देरी रियायतकर्ता प्राधिकरण को अनुबन्ध को समाप्त करने का अधिकार देती है । रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक प्रासंगिक तिमाही के अंत से सात दिनों की समाप्ति से पूर्व रियायतकर्ता प्राधिकरण को पूर्व महीनों के सकल राजस्व का त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था ।

निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर के अभिलेखों की जाँच (जून 2019) में प्रकट हुआ कि रियायतग्राही द्वारा 2014-18 के दौरान ₹ 145.27 करोड़⁴⁸ की राशि का सकल राजस्व अर्जित किया गया । रियायतग्राही ने अनुबन्ध के अनुसार (₹ 145.27 करोड़ के 7.2 प्रतिशत की दर पर) रियायत शुल्क की देय राशि ₹ 10.46 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 8.12 करोड़⁴⁹ रियायत शुल्क चुकाया, जिसके परिणामस्वरूप रियायत शुल्क की राशि ₹ 2.34 करोड़ (परिशिष्ट 7.2) का कम भुगतान हुआ ।

48 ₹ 145.27 करोड़: 2014-15: ₹17.82 करोड़; 2015-16: ₹ 27.25 करोड़; 2016-17: ₹ 42.44 करोड़ एवं 2017-18: ₹ 57.76 करोड़

49 ₹ 8.12 करोड़: 2014-15: ₹ 1.25 करोड़; 2015-16: ₹ 1.74 करोड़; 2016-17: ₹ 2.58 करोड़ एवं 2017-18: ₹ 2.55 करोड़

यह भी पाया गया कि रियायतकर्ता प्राधिकरण द्वारा रियायत अनुबन्ध (परिशिष्ट 7.3) के अनुसार 10 से 550 दिनों तक के विलंबित भुगतान पर ब्याज की ₹ 0.49 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(ii) आगे, अनुबन्ध की शर्तों (संख्या 2.1.4 एवं 2.1.8) के अनुसार, रियायतग्राही को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के अंतरंग रोगियों (आईपीडी) को उपचार/नैदानिक परीक्षण/विस्तर/उपभोग्य वस्तुएं/दवाएँ/प्रत्यारोपण/आहार आदि की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी। इसके अलावा, बीपीएल बहिरंग रोगियों को ओपीडी में परामर्श एवं नैदानिक सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जानी थी। एक वित्तीय वर्ष में बीपीएल रोगियों की संख्या कुल रोगियों की संख्या के 20 प्रतिशत के भीतर रहने पर रियायतग्राही ओपीडी में दी गई नैदानिक सेवाओं और आईपीडी उपचार की लागत में से किसी की भी प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं था। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में, बीपीएल अंतरंग रोगियों/ओपीडी में नैदानिक सेवाओं वाले रोगियों की संख्या 20 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक के होने की स्थिति में, रियायतकर्ता प्राधिकरण द्वारा 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक प्रत्येक बीपीएल अंतरंग रोगियों/बहिरंग रोगियों को प्रदान किये जाने वाले उपचार/नैदानिक सेवाओं की लागत का भुगतान किया जायेगा।

दूसरी ओर, यदि उपचार कराने वाले बीपीएल रोगियों की संख्या 20 प्रतिशत से कम होने पर रियायतग्राही क्रमशः 'वार्षिक औसत राजस्व'⁵⁰ एवं 'वार्षिक औसत नैदानिक राजस्व'⁵¹ की दर से प्रति अंतरंग रोगी एवं बहिरंग रोगी के अप्रयुक्त कोटे के लिए रियायतकर्ता प्राधिकरण को भुगतान करेगा।

2012-18 के दौरान मेट्रो मास चिकित्सालय, जयपुर में कुल 1.44 लाख रोगियों (आईपीडी एवं ओपीडी दोनों) का उपचार किया गया। उनमें से, केवल 3,124 रोगी बीपीएल श्रेणी से थे, जो 20 प्रतिशत (28,788) की निर्धारित सीमा के विरुद्ध कुल रोगियों का केवल 2.17 प्रतिशत था। हालांकि, अस्पताल की संचालन समिति ने बीपीएल रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट को ध्यान में रखते हुए रियायतग्राही को 20 प्रतिशत से कम शेष रहे बीपीएल रोगियों के अप्रयुक्त कोटे के विरुद्ध भुगतान करने एवं बीपीएल रोगियों के निःशुल्क उपचार से संबंधित सूचना अस्पताल के नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए निर्देश (अगस्त 2018) दिये।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायतग्राही ने अनुबन्ध के अनुसार बीपीएल रोगियों (25,664) के अप्रयुक्त कोटे के लिए देय ₹ 2.89 करोड़ के समक्ष केवल ₹ 0.63 करोड़ का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.26 करोड़ का कम भुगतान हुआ (परिशिष्ट 7.4)। रियायतग्राही ने संचालन समिति के निर्देशों (अगस्त 2018) की पालना भी नहीं की, क्योंकि

50 "कुल राजस्व जो स्वीकृत दरों और संशोधन के अनुसार बीपीएल रोगियों के उपचार से एक वित्तीय वर्ष में रियायतकर्ता द्वारा अर्जित किया गया", उसके बाद "उस वित्तीय वर्ष में उपचार किए गए बीपीएल अंतरंग रोगियों की संख्या" से विभाजित किया जाएगा।

51 "कुल राजस्व जो एसएमएस अस्पताल में प्रचलित दरों एवं संशोधनों के अनुसार बीपीएल बहिरंग-रोगियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान करने से एक वित्तीय वर्ष में रियायतकर्ता द्वारा अर्जित किया गया" उसके बाद "उस वित्तीय वर्ष में नैदानिक सेवाओं का उपभोग करने वाले बीपीएल बहिरंग रोगियों की संख्या" से विभाजित किया जाएगा।

भौतिक सत्यापन (फरवरी 2021) के दौरान बीपीएल रोगियों के निःशुल्क उपचार के संबंध में कोई नोटिस बोर्ड चिकित्सालय में नहीं पाया गया।

इस प्रकार, विभाग न केवल रियायतग्राही से सकल राजस्व के त्रैमासिक विवरण का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में विफल रहा, बल्कि चूक के प्रकरण में अनुबन्ध की समाप्ति के प्रावधान के बावजूद त्रैमासिक रियायत शुल्क की वसूली करने में भी विफल रहा। इससे राज्य सरकार को ₹ 5.09 करोड़⁵² की हानि हुई और रियायतग्राही को अदेय लाभ मिला।

यह प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया (नवम्बर 2020), किन्तु उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

7.5 अतिरिक्त कार्यों पर अनियमित व्यय

राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियमों के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन पर ₹ 3.72 करोड़ का अनियमित व्यय।

राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय और लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर) किसी कार्य की अनुसूची "जी" या मात्राओं के बिल (बीओक्यू) में मौजूद मदों की अतिरिक्त मात्रा की स्वीकृति, निष्पादन और भुगतान की शक्ति विभाग में नामित अधिकारियों को प्रत्यायोजित⁵³ करता है। तदनुसार, निर्माण कार्यों में संलग्न समस्त विभागों के मुख्य अभियंता (मुअ) और अतिरिक्त मुख्य अभियंता (अमुअ) क्रमशः मूल संविदा के मूल्य के 25 प्रतिशत व 10 प्रतिशत की सीमा में रहते हुए प्रत्येक मद की मूल मात्रा का 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त मात्रा को मंजूरी देने के लिए अधिकृत हैं। प्रशासनिक विभाग प्रत्येक मद की मूल मात्रा से 25 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक की अतिरिक्त मात्रा को अनुबंध राशि के 50 प्रतिशत के अधीन रहते हुए मंजूरी दे सकता है। हालांकि, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियमावली, 2013 के नियम 73 में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में अतिरिक्त मात्रा सहित कार्य की राशि मूल अनुबंध के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

अधिशाषी अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (चि. एवं. स्वा.), खण्ड, उदयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर-नवम्बर 2019) में प्रकट हुआ कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अन्तर्गत कुल मूल्य ₹ 7.18 करोड़ (₹ 0.18 करोड़ और ₹ 2.78 करोड़ के बीच) के छः कार्य आदेशों (दिसम्बर 2013 से मई 2017 तक) की स्वीकृति मुअ, चिकित्सा

52 ₹ 2.34 करोड़ (रियायत शुल्क) + ₹ 0.49 करोड़ (ब्याज) + ₹ 2.26 करोड़ (अप्रयुक्त कोटा)= ₹ 5.09 करोड़

53 परिशिष्ट XIII (आइटम क्रम संख्या 26 पर)

और स्वास्थ्य विभाग, जयपुर और अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा और स्वास्थ्य स्वण्ड, उदयपुर द्वारा दी गई थी एवं विभिन्न ठेकेदारों को कार्य आवंटित किए गए थे। हालांकि, विभाग द्वारा इन कार्य आदेशों की राशि के समाप्त होने के बावजूद, नई निविदाओं को आमंत्रित किए बिना, इन अनुबंधों के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यों को निष्पादित करना जारी रखा गया। ठेकेदारों ने ₹ 7.18 करोड़ की मूल अनुबन्ध राशि के विरुद्ध ₹ 10.90 करोड़ मूल्य के कार्य निष्पादित किये।

यद्यपि, इन प्रकरणों में अतिरिक्त मात्रा (मूल्य ₹ 3.72 करोड़) मूल अनुबंध (31 से 94 प्रतिशत) से अधिक हो गई थी, लेकिन विभाग के सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया और इसके बजाय मुअ की ही स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। चूंकि मूल अनुबंध के 25 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्रा को मंजूरी देने के लिए मुअ को शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं की गई थी, इसलिए ₹ 3.72 करोड़ मूल्य के अतिरिक्त कार्यों का भुगतान अनियमित था जिसका विवरण तालिका 7.9 में नीचे दिया गया है:

तालिका 7.9

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | मुख्य अभियंता और अधिशाषी अभियंता द्वारा अनुमोदित कार्य का नाम (कार्य आदेश की दिनांक) | कार्य आदेश की राशि | वास्तविक व्यय | कुल अतिरिक्त कार्य (प्रतिशत) | मु.अ. द्वारा अनियमित अनुमोदित राशि (प्रतिशत) |
|---------|---|--------------------|---------------|------------------------------|--|
| | अ | ब | स | द (स-ब) | ई |
| 1. | मातृ-शिशु स्वास्थ्य उदयपुर में अग्निशमन और संसूचक कार्य (11.12.2013) | 0.18 | 0.35 | 0.17 (94) | 0.20 (111) |
| 2. | मातृ शिशु स्वास्थ्य उदयपुर में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य (11.12.2013) | 0.45 | 0.77 | 0.32 (71) | 0.50 (111) |
| 3. | चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, उदयपुर में 100 शैया वाली मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई का निर्माण और सुदृढ़ीकरण (शेष कार्य) (26.05.2015) | 2.78 | 4.56 | 1.78 (64) | 2.44 (88) |
| 4. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य आल्पा, सिरौही (17.05.2016) | 1.27 | 1.66 | 0.39 (31) | 0.45 (35) |
| 5. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य बांट, सिरौही (17.05.2016) | 1.34 | 1.84 | 0.50 (37) | 0.53 (40) |
| 6. | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य झाड़ोली, सिरौही (23.05.2017) | 1.16 | 1.72 | 0.56 (48) | 0.61 (53) |
| | योग | 7.18 | 10.90 | 3.72 | 4.73 |

इसके अतिरिक्त, विभाग ने तीन मामलों में (उपर्युक्त तालिका के क्र.सं. 1 से 3) मु.अ. के अनुमोदन पर ठेकेदारों को मूल अनुबंधों की 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक अतिरिक्त मात्रा को निष्पादित करने की अनुमति दी, जिसके लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार विभाग के प्रशासकीय प्राधिकारी भी सक्षम नहीं थे। इस प्रकार, विभाग ने मूल अनुबंधों के 50 प्रतिशत की अधिकतम अनुमत्य सीमा से अधिक ₹ 2.27 करोड़ के

अतिरिक्त कार्य और सक्षम स्तर से नीचे के अधिकारी के अनुमोदन पर ₹ 3.72 करोड़ के कुल अतिरिक्त कार्य निष्पादित किए।

राज्य सरकार ने अवगत (मार्च 2021) कराया कि सरकार द्वारा एक आदेश को अनुमोदित किया गया था (दिसंबर 2010) जो मुअ को एनआरएचएम कार्यों के लिए अतिरिक्त मदों और अतिरिक्त मात्राओं को मंजूरी देने की शक्ति इस शर्त के अधीन कि कार्य की समग्र समापन लागत प्रबंधन लागत सहित प्रशासनिक और वित्तीय (ए एंड एफ) स्वीकृति से अधिक नहीं हो, प्रदान करता है। इसके अलावा, निष्पादन के दौरान, यदि कार्य की लागत प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति से 10 प्रतिशत तक अधिक है, तो यह मुअ द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और 10 प्रतिशत से अधिक होने पर पीआईपी की अधिकतम स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत एमडी-एनआरएचएम द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी किए हैं जो सार्वजनिक खरीद से संबंधित विद्यमान सभी प्रावधानों को निरस्त कर देता है। इस प्रकार एक प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रत्यायोजन करने का 2010 में जारी किया गया एक परिपत्र जो कि इन नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में हो, अस्तित्व में नहीं रह सकता या वैधानिक प्रावधानों को निरस्त नहीं कर सकता। इसलिए सरकार को दिसंबर 2010 में जारी उक्त आदेश को तुरंत वापस लेना चाहिए।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग तथा वक्फ बोर्ड

7.6 ऋणों की वसूली नहीं होना

लाभार्थियों से ऋण की वसूली में विफलता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को पुनर्भुगतान के लिये निधियों के अनियमित उपयोग के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ का परिहार्य दण्डात्मक ब्याज।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लोगों को राज्य की चैनलाईजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। एन.एम.डी.एफ.सी. की ऋण नीति के अनुसार तीन माह के भीतर लाभार्थियों को ऋण का संवितरण करने के लिए एससीए को निधियाँ 3.5 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर पर जारी की जाती हैं। तीन माह की उपयोग की अवधि के पश्चात् अप्रयुक्त निधियों पर जब तक कि निधियों का उपयोग/प्रतिदाय नहीं किया जाता है, दंडस्वरूप ब्याज⁵⁴ देय होता है। एससीए को एन.एम.डी.एफ.सी. से प्राप्त निधियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय-समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

54 तीन माह के पश्चात् शेष अप्रयुक्त निधियों पर 6.5 प्रतिशत एवं छः माह पश्चात् शेष अप्रयुक्त निधियों के भाग पर 8.5 प्रतिशत

निधियों के उपयोग की दिनांक से संबंधित योजना, जिसके लिए निधियों का उपयोग किया जा चुका है, की ब्याज दर लागू हो जाती है। आगे, लाभार्थियों द्वारा पुनर्भुगतान मासिक या त्रैमासिक आधार पर जैसा कि एससीए द्वारा निर्धारित किया हो, जबकि, एससीए द्वारा त्रैमासिक आधार पर एन.एम.डी.एफ.सी. को भुगतान करना अपेक्षित है। एन.एम.डी.एफ.सी. को बकाया के पुनर्भुगतान में चूक की स्थिति में, एससीए त्रैमासिक आधार पर संबंधित योजनाओं के तहत लागू ब्याज की सामान्य दर से मूलधन एवं ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है।

एन.एम.डी.एफ.सी., एससीए को त्रैमासिक मांग पत्र जारी करता है जिसमें ब्याज सहित (चक्रवृद्धि एवं परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति) पुरानी बकाया, वर्तमान तिमाही में देय पूर्व में संवितरण की गयी राशि की ब्याज सहित वसूली और दण्डित दर पर अप्रयुक्त राशि पर देय ब्याज सम्मिलित होता है।

(i) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी सहयोग लिमिटेड (आर.एम.एफ. डी.सी.सी.), जयपुर (राजस्थान में एससीए) के अवधि 2014-19 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2020) में प्रकट हुआ कि एन.एम.डी.एफ.सी. से प्राप्त निधियों का आर.एम.एफ. डी.सी.सी. द्वारा तीन माह की निर्धारित अवधि में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका था और अनुपयोजित राशि को एन.एम.डी.एफ.सी. को वापस किए जाने के बजाय आगामी तिमाहियों में संवितरण करने के लिए आर.एम.एफ.डी.सी.सी द्वारा रोक लिया गया था। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जयपुर के ऋण अभिलेखों की नमूना जाँच में ऋण स्वीकृत करने में भी विभिन्न कमियाँ प्रकट हुईं यथा लाभार्थियों द्वारा एक-दूसरे के ऋणों के लिए पारस्परिक गारंटी के मामले, ऋण प्रदान करने हेतु गिरवी रखी गयी सम्पत्तियों के अभिलेखों की अनुपलब्धता और बिना टिन नंबर वाले चालान बिलों के समक्ष ऋण राशि का भुगतान। कुछ प्रकरणों में, 70 प्रतिशत ऋण राशि के संवितरण के पश्चात् लाभार्थियों की सम्पत्तियों का योजना में निर्धारित भौतिक सत्यापन अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया।

दूसरी ओर, लाभार्थियों से समय पर वसूली सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा वसूली की दर 2014-15 में 19 प्रतिशत से लगातार घटकर 2018-19 में 16 प्रतिशत तक हो गई। 2014-19 के दौरान, आर.एम.एफ.डी.सी.सी ₹ 80.14 करोड़ (संचयी) के बकाया के विरुद्ध केवल ₹ 44.36 करोड़ वसूल कर सका जैसा कि नीचे दी गई तालिका 7.10 में वर्णित है:

तालिका 7.10

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ष | लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली ऋण राशि | वास्तव में वसूल की गई राशि (प्रतिशत) | एन.एम.डी.एफ.सी. को किया गया भुगतान | पुनर्भुगतान का आधिक्य/कमी (अंतर) |
|------------|---------|--|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 2014-15 | 26.50 | 5.15 (19) | 07.89 | (+) 2.74 |
| 2. | 2015-16 | 38.80 | 6.71 (17) | 10.08 | (+) 3.38 |
| 3. | 2016-17 | 54.69 | 8.48 (16) | 13.02 | (+) 4.53 |
| 4. | 2017-18 | 68.27 | 11.50 (17) | 09.21 | (-) 2.29 |
| 5. | 2018-19 | 80.14* | 12.52 (16) | 13.63 | (+) 1.10 |
| योग | | | 44.36 | 53.83 | 9.46 |

* संचयी आँकड़े

यद्यपि, आर.एम.एफ.डी.सी.सी. ने लाभार्थियों से वास्तव में वसूली गयी राशि की तुलना में ₹ 9.46 करोड़ अधिक जमा करवाए, किन्तु असल में यह अप्रयुक्त राशि का ही हिस्सा था (ऋणों के संवितरण के लिए नियत), जिसे रोक कर रखा था।

इस प्रकार, आर.एम.एफ.डी.सी.सी. न केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर एन.एम.डी.एफ.सी. से प्राप्त धनराशि का उपयोग करने में विफल रहा, बल्कि लाभार्थियों की वास्तविकता/पुनर्भुगतान क्षमता को सत्यापित किए बिना ऋणों का वितरण भी किया गया, जिसके कारण लाभार्थियों से बकाया राशि की कम वसूली हुई। इसके कारण आर.एम.एफ.डी.सी.सी. अनुपयोजित राशि को निर्धारित समय के पश्चात् रोककर रखने के लिए मजबूर हुआ एवं उसको 92 दिवसों से 644 दिवसों (परिशिष्ट 7.5) तक के विलम्ब के लिए दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 2.20 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।

(ii) इसके अलावा, एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना के तहत में आर.एम.एफ.डी.सी.सी. को ₹ 24.90 करोड़ की पूर्ण बकाया राशि को एक मुश्त चुकाने और दण्डात्मक ब्याज से बचने या ₹ 25.87 करोड़ (₹ 24.90 करोड़ एवं ₹ 0.97 करोड़ दण्डात्मक ब्याज के रूप में) 20 त्रैमासिक किश्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया (जनवरी 2020)। आर.एम.एफ.डी.सी.सी. द्वारा दूसरे विकल्प को चुना गया तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.97 करोड़ के परिहार्य दण्डात्मक ब्याज के साथ पुनर्भुगतान करने के लिए सहमति दी। आर.एम.एफ.डी.सी.सी. ने अवगत कराया (जनवरी 2021) कि कम वसूली के कारण उसके पास पर्याप्त निधियाँ नहीं थी एवं राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता प्रदान नहीं किये जाने के कारण उसके द्वारा दूसरे विकल्प का चयन किया गया, जिसमें 20 किश्तों में बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 5 वर्षों का समय दिया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2021) कि लाभार्थियों का चयन मांग भेजने से पूर्व किया जाना संभव नहीं था क्योंकि एन.एम.डी.एफ.सी. स्वयं की वितरण प्रक्रिया के कारण जरूरी नहीं कि वह मांग की गई पूरी निधियाँ उपलब्ध कराए। इसके अलावा, अधिक कार्यभार के कारण जिला स्तरीय ऋण चयन समितियों⁵⁵ की बैठकें समय पर आयोजित न करने से ऋणों के वितरण के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गए। चूँकि, अधिकतर प्रकरणों में ऋण उन लाभार्थियों को वितरित किये गये थे जो बहुत गरीब थे, इसलिए, वसूलियाँ वांछित स्तरों से बहुत कम रही। हालांकि, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को वसूलियों में वृद्धि करने के लिए निर्देशित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की संख्या 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान लगातार कम⁵⁶ हो रही थी। हालांकि, इसी अवधि के दौरान, लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली बकाया ऋण राशि में उल्लेखनीय वृद्धि⁵⁷ हुई। यह आर.एम.एफ.डी.सी.सी. के कमजोर प्रदर्शन

55 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय ऋण चयन समिति लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत करती है।

56 लाभार्थियों की वर्षवार संख्या: 2014-15: 4,701; 2015-16: 4,121; 2016-17: 2,284; 2017-18: 1,475 एवं 2018-19: 672

57 वर्षवार बकाया वसूली योग्य ऋण राशि: 2014-15: ₹ 21.35 करोड़; 2015-16: ₹ 32.10 करोड़; 2016-17: ₹ 46.20 करोड़; 2017-18: ₹ 56.77 करोड़ एवं 2018-19: ₹ 67.62 करोड़

को स्पष्टतः इंगित करता है जिसके कारण यह न केवल एन.एम.डी.एफ.सी. से प्राप्त निधियों का उपयोग करने में विफल रहा जिससे लक्षित लाभार्थियों को वंचित रहना पड़ा, बल्कि संवितरित ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने में भी विफल रहा। इससे बढ़कर, वास्तविक लाभार्थियों के सत्यापन की कमियां, जिसके कारण ऋणों की कम वसूली हुई, ऋण स्वीकृत करने एवं वसूली प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी को प्रदर्शित करती हैं।

इस प्रकार आर.एम.एफ.डी.सी.सी. लाभार्थियों से ऋणों की वसूली करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का आरोपण किया गया। इसलिए, आर.एम.एफ.डी.सी.सी. को ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया में कमियों को दूर करने एवं वसूली की प्रभावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिसमें लाभार्थियों का भुगतान के पश्चात् का फॉलोअप, समस्त लाभार्थियों के अद्यतन कम्प्यूटरीकृत वसूली अभिलेख और वसूली कार्मिकों का कमीशन के आधार पर पदस्थापन को शामिल किया जाना चाहिए, जैसा कि ऋण नीति में परिकल्पित किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

7.7 केन्द्रीय अनुदान के उपयोग का अभाव एवं पुनर्वास एवं शोध संस्थान भवन का अपूर्ण रहना।

निदेशालय भवन के निर्माण स्थल को परिवर्तित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय और पुनर्वास एवं शोध संस्थान भवन के अपूर्ण रहने के कारण न केवल ₹ 3.27 करोड़ का केन्द्रीय अनुदान अनुपयोगी रहा एवं ₹ 5.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, बल्कि लाभार्थियों को आठ से अधिक वर्षों के व्यतीत होने के उपरान्त भी अभिप्रेत लाभों से वंचित होना पड़ा।

राज्य सरकार ने 2011-12 के अपने बजट में (1) विशेष योग्यजनों हेतु विकलांगता के समस्त पहलुओं से सरोकार रखने वाले विशेषज्ञों के पृथक सेट-अप के लिए एक पृथक निदेशालय (2) विशेष योग्यजनों को शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों का एक मजबूत संवर्ग विकसित करने के लिए राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान (रापुसं) की स्थापना के लिए और (3) विभिन्न विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण प्रदान करने के लिए प्रावधान किए थे।

तदनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सान्याअवि) ने भारत सरकार को एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुदान के लिए ₹ 47.84 करोड़⁵⁸ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ एक प्रस्ताव (जून 2011) प्रेषित किया। भारत सरकार ने एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत ₹ 40.48 करोड़⁵⁹ की परियोजना को अनुमोदित (मार्च 2012) किया। परियोजना की लागत को 30:70 के अनुपात में भारत

58 विशेष योग्यजनों के निदेशालय (₹ 12.90 करोड़), राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान (₹ 14.79 करोड़) की स्थापना और कृत्रिम अंग एवं उपकरण (₹ 20.15 करोड़) प्रदान करने लिए।

59 विशेष योग्यजनों के निदेशालय (₹ 10.91 करोड़), राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान (₹ 12.52 करोड़) की स्थापना और कृत्रिम अंग एवं उपकरण (₹ 17.05 करोड़) प्रदान करने लिए।

सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य साझा किया जाना था। भारत सरकार ने ₹ 12.14 करोड़ (केन्द्रीय अंश) राज्य सरकार को जारी (मार्च 2012)⁶⁰ कर दिए।

विशेष योग्यजनों के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना जयपुर में 2011 में की गई थी। राज्य सरकार ने निदेशक, विशेष योग्यजन को राज्य लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के माध्यम से निदेशालय के लिए प्रस्तावित भवन का निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को महिला स्वयंसिद्धा केन्द्र के संचालन के लिए जामडोली में आवंटित की गई 80 बीघा भूमि में 14,500 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर कराने के निर्देश (नवम्बर 2012) दिए थे।

(i) अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जुलाई 2020) में प्रकट हुआ कि विभाग ने यह उल्लेख करते हुए कि निर्धारित स्थल मुख्य शहर से लगभग 30 किलोमीटर⁶¹ दूर था जो विशेष योग्यजनों के लिए असुविधाजनक होगा, मानसिक विकलांग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (माविशिप्रसं) झालाना डूंगरी, जयपुर के मौजूदा परिसर में अर्थात् अन्य स्थल पर भवन का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित (अक्टूबर 2013) किया। निदेशालय ने काफी विलम्ब के बाद, प्रस्तावित भवन के दो तलों का निर्माण मौजूदा माविशिप्रसं भवन के ऊपर कराने की व्यवहार्यता हेतु पीडब्ल्यूडी से रिपोर्ट मांगी (सितम्बर 2017)। पीडब्ल्यूडी ने सूचित (नवम्बर 2017) किया कि चूंकि भवन लगभग 40 वर्ष पुराना था, अतः मौजूदा ढांचे पर अतिरिक्त दो तलों का निर्माण व्यवहार्य नहीं था। इसके बाद में, माननीय मंत्री, सान्याअवि द्वारा मौजूदा माविशिप्रसं भवन को ध्वस्त करने तथा नवीन भवन का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान कर दी (अगस्त 2018)। यद्यपि, निदेशालय भवन का निर्माण, भवन के लिए कार्य स्थल को अंतिम रूप दिए जाने के 23 माह व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी आरंभ नहीं हुआ था (जुलाई 2020)।

इस प्रकार, निर्माण स्थल को परिवर्तित करने के अविवेकपूर्ण निर्णय तथा अन्य कार्य स्थल को अंतिम रूप देने में असामान्य विलम्ब (लगभग पांच वर्ष) के कारण प्रस्तावित निदेशालय भवन का निर्माण मार्च 2012 से ₹ 3.27 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के बावजूद भी प्रारंभ नहीं किया जा सका।

टिप्पणी किए जाने (जून 2020) पर, विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2020) कि मौजूदा ढांचे को ध्वस्त करने तथा नवीन भवन के निर्माण की कार्य योजना तैयार की जा रही थी।



झालाना डूंगरी में स्थित वह भवन जिसको ध्वस्त करने के पश्चात् प्रस्तावित निदेशालय का निर्माण किया जाना था, फरवरी 2021 तक विद्यमान था और अन्य राजकीय कार्यालयों द्वारा उपयोग में लिया जा रहा था।

60 विशेष योग्यजनों का निदेशालय (₹ 3.27 करोड़), राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान (₹ 3.75 करोड़) की स्थापना और कृत्रिम अंग एवं उपकरण (₹ 5.12 करोड़) प्रदान करने लिए।

61 यद्यपि, निर्माण स्थल की मुख्य शहर से वास्तविक दूरी मात्र 12-14 किलोमीटर थी।

(ii) इससे आगे, रापुसं भवन के प्रकरण में, प्रस्तावित भवन की ड्राइंग एवं डिजाइन नवम्बर 2013 में पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि, निदेशक द्वारा कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए गए (दिसम्बर 2013) एवं पीडब्ल्यूडी को संशोधित ड्राइंग एवं डिजाइन के साथ विस्तृत अनुमान (एस्टिमेट्स) उपलब्ध कराने के लिए कहा (जनवरी 2014) गया। पीडब्ल्यूडी ने मार्च 2016 में ₹ 8.56 करोड़ के संशोधित अनुमान के साथ संशोधित ड्राइंग एवं डिजाइन प्रस्तुत किए। तत्पश्चात्, 22 माह के विलम्ब के बाद जनवरी 2018 में ₹ 8.56 करोड़ के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (नवम्बर 2017 में वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात्) जारी की गई थी। जुलाई 2018 में सिविल कार्यों के लिए कार्य आदेश जुलाई 2019 तक कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के साथ जारी किए गए थे। भवन के निर्माण पर ₹ 5.47 करोड़ का व्यय (मार्च 2020) हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा प्रभारी रापुसं के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितम्बर 2020) में पाया गया कि बाहरी क्षेत्र को छोड़कर तीन ब्लॉकों का सिविल कार्य पूर्ण हो गया था जबकि छात्रावास ब्लॉक में स्वच्छता कार्य, बिजली फिटिंग कार्य, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एवं अन्य विविध कार्य अभी भी अपूर्ण थे।

इस प्रकार, पीडब्ल्यूडी से संशोधित ड्राइंग एवं डिजाइन प्राप्त करने (27 महीने) तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने में असामान्य विलम्ब (22 महीने) एवं अनुश्रवण में कमियों के कारण भवन पूर्ण नहीं हो सका एवं केन्द्रीय अनुदान की प्राप्ति आठ वर्षों बाद भी उपयोग में नहीं लाया जा सका। इसने राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान की स्थापना के उद्देश्य, जिसमें विशेष योग्यजनों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना था, को भी विफल किया।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने (जून 2020) पर, निदेशालय ने प्रत्युत्तर (जुलाई 2020) दिया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा ड्राइंग एवं डिजाइन तथा अनुमानों को प्रस्तुत करने में देरी और वित्त विभाग द्वारा अनुमानों के अनुमोदन में देरी के कारण विलम्ब हुआ था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा समय पर पीडब्ल्यूडी से संशोधित ड्राइंग एवं डिजाइन प्राप्त करने हेतु ठोस प्रयास नहीं किए गए थे तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में असामान्य विलम्ब के लिए भी विभाग उत्तरदायी था। आगे, अनुश्रवण में कमियों के कारण भी भवन पूर्ण होने में इसकी निर्धारित तिथि के पश्चात् भी 14 माह का विलम्ब हुआ। इस प्रकार, केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता के बावजूद विभाग के दुलमुल रवैये ने मानसिक विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकतानुरूप विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के मजबूत संवर्ग को तैयार करने के लिए राज्य के 2011-12 के बजट में घोषित परियोजना को पूर्ण करने में विलम्ब कर दिया।

इस प्रकरण को राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया था (सितम्बर 2020), किन्तु उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2021) था।

7.8 अकार्यशील सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों पर निष्फल व्यय

उपापन नियमों की पालना न करने और कमजोर अनुश्रवण के परिणामस्वरूप अकार्यशील रहे सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों पर ₹ 1.24 करोड़ का निष्फल व्यय।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 की धारा 4 लोक

उपापन के मूल सिद्धांतों को निर्धारित करती है। तदनुसार, लोक उपापन के संबंध में, उपापन करने वाली संस्था की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि (अ) कार्यकुशलता, मितव्ययता और पारदर्शिता सुनिश्चित करे; (ब) बोलीदाताओं से उचित और साम्यपूर्ण व्यवहार करे, (स) प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देवे; और (द) भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करे। आगे, प्रत्येक उपापन संस्था इस अधिनियम और इसके नियमों के प्रावधानानुसार एवं इनके अंतर्गत जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही उपापन करेगी।

राज्य सरकार ने 2015-16 के राज्य बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सान्याअवि) के तहत संचालित 200 छात्रावासों और 17 आवासीय विद्यालयों में आगामी वर्षों में सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों (सोलरलाईट) की स्थापना का प्रावधान किया। मार्च 2017 में, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि ने 133 छात्रावासों और आठ आवासीय विद्यालयों में 5,382 सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और व्यापक रखरखाव (पांच वर्ष) का एक कार्य आदेश उस ठेकेदार को दिया, जिसने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड⁶² के साथ समान मर्दों के लिए पहले से ही दर संविदा (मार्च 2018 तक वैध) कर रखी थी। सोलरलाईट की प्रति इकाई लागत दर ₹ 9,305 और कार्य आदेश की कुल राशि ₹ 5.00 करोड़ थी।

कार्य आदेश में एक क्लॉज़ शामिल था कि समिति द्वारा सामग्री के प्रेषण-पूर्व निरीक्षण पर भुगतान किया जा सकता है। हालांकि, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की दर संविदा के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को भुगतान (i) स्थापना प्रमाण-पत्र (ii) स्थापित संयंत्र के साथ लाभार्थी की दो तस्वीरों और (iii) रखरखाव के लिए लाभार्थी के साथ अनुबन्ध की प्रति के यथोचित सत्यापन पश्चात् किया जाना था।

नवंबर 2017 में, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सान्याअवि ने 67 छात्रावासों एवं नौ आवासीय विद्यालयों में 3,319 सोलरलाईट की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और व्यापक रखरखाव (पांच वर्ष) के लिए राशि ₹ 3.08 करोड़ का एक और कार्यदेश उसी ठेकेदार को उसी प्रति इकाई लागत दर पर जारी कर दिया (नवम्बर 2017)। हालांकि, विभाग ने कार्य आदेश जारी करने के छह महीने बाद ठेकेदार के साथ अनुबन्ध निष्पादित (जून 2018) किया। दोनों कार्य आदेशों के विरुद्ध, ठेकेदार ने मार्च 2017 से अगस्त 2018 के दौरान 17 आवासीय विद्यालयों में केवल 2,497⁶³ सोलरलाईट (विद्यालयों में स्थापित किए जाने वाले 3,694 सोलरलाईट में से) स्थापित किए, जबकि 200 छात्रावासों में सोलरलाईट की स्थापना के बारे में लेखापरीक्षा को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। विभाग ने फर्म द्वारा मांग किये गए

62 आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 32 के प्रावधान के अनुसार कोई उपापन संस्था समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित बोलीदाताओं से उपापन की विषय वस्तु का उपापन कर सकेगी। हालांकि, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ऐसे अधिसूचित बोलीदाताओं की सूची में शामिल नहीं था।

63 निदेशालय, सान्याअवि के पास शेष 1,197 सोलरलाईट की स्थापना के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इन्हें विभिन्न जिलों से सूचना एकत्र और संकलित किया जाना है।

₹ 3.02 करोड़ के अंतिम भुगतान के विरुद्ध ₹ 1.00 करोड़ का भुगतान (सितंबर 2018) किया। दोनों कार्य आदेशों के लिए प्रेषण-पूर्व निरीक्षण इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा मार्च 2017 और मई 2018 में सम्पन्न किए गए थे।

निदेशालय, सान्याअवि, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (मई-जून 2019 और जुलाई 2020) में पाया गया कि विभाग ने खुली निविदाओं⁶⁴ को आमंत्रित किए बिना आपूर्तिकर्ता को ₹ 5.00 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से कार्य आदेश जारी कर दिया, जो अनियमित था। आगे, औपचारिक अनुबन्ध सम्पादित किए बिना, निष्पादन प्रतिभूति जमा किये बिना और संयंत्र स्थापना का सत्यापन किए बिना प्रेषण-पूर्व निरीक्षण (24 मार्च 2017) के आधार पर ठेकेदार को ₹ 5.00 करोड़ की सम्पूर्ण राशि का भुगतान (28 मार्च 2017) कर दिया, जो कि वित्तीय अधिकार का पालन करने और सरकारी धन/संपत्ति के हित की निगरानी में सक्षम प्राधिकारी की ओर से घोर लापरवाही थी।

इसके अलावा सभी सोलरलाइट की स्थापना के पश्चात् और प्रथम कार्य आदेश के पूर्ण भुगतान और द्वितीय कार्य आदेश के आंशिक भुगतान के बाद, सान्याअवि ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (रासोउस), गुरुग्राम को परीक्षण के लिए आठ सोलरलाइट के नमूने (दोनों आपूर्ति आदेशों में से चार-चार) भेजे (नवम्बर 2018)। परीक्षण प्रतिवेदनों ने सोलरलाइट की विभिन्न कमियों⁶⁵ को उजागर (जनवरी 2019) किया। विभाग ने मामला आपूर्तिकर्ता के समक्ष रखा (अक्टूबर 2019), वह कमियों को सुधारने के लिए सहमत (दिसंबर 2019) हो गया। तथापि, विभाग ने इस आश्वासन पर आगे की कार्यवाही प्रारंभ (दिसंबर 2020) नहीं की। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ (दिसंबर 2020) कि स्थापित की गई 2,497 सोलरलाइट में से केवल 1,164 (47 प्रतिशत) सोलरलाइट ही कार्यशील थे और ₹ 1.24 करोड़ की लागत से स्थापित की गई शेष 1,333 सोलरलाइट (53 प्रतिशत) नौ महीनों से 32 महीनों⁶⁶ तक की अवधि के लिए अकार्यशील थी। इस तथ्य के बावजूद कि सोलरलाइट की दरों में पांच वर्षों तक व्यापक रस्वरस्वाव शामिल था, आवासीय विद्यालयों अटरू, बारां (178) और भैंसवाडा, जालौर (231) में एक भी सोलरलाइट कार्यशील नहीं थी, विवरण परिशिष्ट 7.6 में दिया गया है।

इस प्रकार, उपापन नियमों का पालन न करने, औपचारिक अनुबंध सम्पादित नहीं करने, स्थापना से पहले भुगतान, केवल प्रेषण-पूर्व निरीक्षण के आधार पर भुगतान, निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करना और एक उचित अनुश्रवण प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण विभाग नौ से 32 महीने की अवधि में 53 प्रतिशत सोलरलाइट की मरम्मत नहीं करवा सका, जिससे इन लाइट्स पर किया गया व्यय राशि ₹ 1.24 करोड़ निष्फल रहा। गरीब छात्रों के लाभ के लिए राजस्थान के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित 17 आवासीय विद्यालयों को रोशन करने का उद्देश्य भी विफल

64 आरटीपीपी अधिनियम, 2012 के प्रावधान एक लाख से अधिक अनुमानित मूल्य की सभी खरीद पर लागू है। इसके अलावा, इसकी धारा 29(1) में प्रावधित है कि प्रत्येक उपापन संस्था को खुली प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया को उपापन के लिये अपनाई जाने वाली सबसे पसंदीदा विधि के रूप में प्राथमिकता देनी होगी।

65 ओवर-चार्ज कट-ऑफ काम नहीं कर रहा, ल्यूमिनरी काम नहीं कर रहा और तापमान कम्पेनशेसन काम नहीं कर रहा है।

66 मार्च 2018 से नवंबर 2020 तक की अवधि के दौरान।

हुआ। विभाग को सरकारी धन के हितों की रक्षा नहीं करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2021) और अवगत कराया कि 1,333 अकार्यशील संयंत्रों में से 259 संयंत्रों को फर्म द्वारा सुधारा जा चुका है तथा 1,074 संयंत्र अभी भी अकार्यशील हैं। यद्यपि, विभाग द्वारा दिए गये आँकड़े दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं थे, जिसके लिए स्पष्टीकरण माँगा गया था (मार्च 2021)।

7.9 अकार्यशील सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों पर निष्फल व्यय

अनुबन्ध निष्पादन और निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित उपापन नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप अकार्यशील रहे 256 सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों पर ₹ 2.98 करोड़ का निष्फल व्यय।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियमावली, 2013 को राज्य सरकार द्वारा लोक उपापन को विनियमित करने के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने, बोलीदाताओं से उचित और समानतापूर्ण व्यवहार, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, दक्षता और मितव्ययता को बढ़ाने और उपापन प्रक्रिया में शुचिता की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमावली, 2013 के नियम 76 (2) में उल्लेखित है कि सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करना होगा। आगे, नियम 75 (1) और (2) के अनुसार, सफल बोलीदाता द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के मामले में आपूर्ति आदेश की राशि का पांच प्रतिशत और कार्यों के उपापन के मामले में कार्य आदेश की राशि का दस प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। इसके अलावा, आरटीपीपी अधिनियम, 2012 की धारा 26 (4) यह आज्ञा देती है कि यदि बोलीदाता लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने या निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने में विफल रहता है, तो उपापन करने वाली संस्था उपापन प्रक्रिया को रद्द कर सकती है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सान्याअवि), जयपुर, राजस्थान ने दिसंबर 2016 में, 17 आवासीय विद्यालयों⁶⁷ में 372 सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों (सोलर हीटर) की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए एक कार्यादेश उस ठेकेदार को जारी किया जिसने पहले से ही महानिदेशालय आपूर्ति और निपटान (डी.जी.एस. एंड डी.) के साथ समान वस्तु के उपापन के लिये समान नियमों और शर्तों पर दर संविदा (मार्च 2017 तक वैध) कर रखी थी। सोलर

67 17 आवासीय विद्यालयों में सोलर हीटर की संख्या: टोंक-वजीरपुरा-13; टोंक-यूसुफपुरा-14; छान-सवाईमाधोपुर-28; बागड़ी-दौसा-28; कोटा-हिंगी-28; कोटा-मंडाना-14; डूंगरपुर-खेड़सूपुर-28; केनपुरा-पाली-28; सोदन-बांसवाड़ा-28; जालौर-हरियाली-22; पावटा-नागौर-8; मंडोर-जोधपुर-28; जालौर-भैंसवाड़ा-28; सागवाड़ा-14; आटूण-भीलवाड़ा-28; अटरू-बारां-13; धनवारा-झालावाड़-22

हीटर की प्रति इकाई लागत⁶⁸ दर ₹ 77,646 (5.5 प्रतिशत वैट सहित) और कार्य आदेश की कुल राशि ₹ 2.89 करोड़ थी। दर संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार, डी.जी.एस.एंड डी./नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से अनुमोदित एजेंसी द्वारा पूर्व निरीक्षण किया जाना था। इसके अलावा, स्थापना और कमीशनिंग की दिनांक से तीन वर्ष के लिए सोलर हीटर की किसी भी निर्माण और डिजाइन दोष के विरुद्ध वारंटी दी गई थी। आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना शर्त और सात दिनों के भीतर वस्तुओं को तुरन्त सुधारना/मरम्मत करना या बदलना अनिवार्य था।

मार्च 2017 में सान्याअवि ने उसी ठेकेदार को प्लम्बिंग वस्तुओं और घटकों की आपूर्ति, ठंडे पानी के पीवीसी भंडारण टैंक की एमएस स्टैंड के साथ आपूर्ति और फिटिंग और इन सोलर हीटर की फिटिंग से संबंधित आवश्यक सिविल कार्य के लिए ₹ 1.44 करोड़ का एक और कार्य आदेश जारी कर दिया। प्रारंभ में, इन कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 24 मार्च 2017 थी, जो कि फर्म के अनुरोध पर बढ़ाकर 15 दिसम्बर 2017 कर दी गई थी।

निदेशक, सान्याअवि, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई-जून 2019 और जुलाई 2020) में पाया गया कि विभाग ने ठेकेदार के साथ एक औपचारिक अनुबन्ध सम्पादित किए बिना ही ₹ 2.89 करोड़ एवं ₹ 1.44 करोड़ के कार्य आदेशों के विरुद्ध क्रमशः ₹ 2.75 करोड़ एवं ₹ 0.70 करोड़ का भुगतान (मई 2017 और नवंबर 2017) जारी कर दिया। लेखापरीक्षा में देखा कि सान्याअवि ने न तो औपचारिक अनुबंधों को सम्पादित किया और न ही दोनों कार्य आदेशों के लिए ₹ 0.28 करोड़⁶⁹ राशि की निष्पादन प्रतिभूतियों को प्राप्त किया। यहां तक कि, विभाग द्वारा जारी किये गये कार्य आदेशों में राजकीय कोष के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए, देरी से कार्य पूरा करने पर जुर्माना, संविदा की निष्पादन प्रतिभूति और अनुबंध की समाप्ति की धाराएं शामिल नहीं की गई थी।

आगे, विभाग से एकत्र की गई (जुलाई 2020) सूचना के आधार पर, 370 सोलर हीटर में से ₹ 2.98 करोड़⁷⁰ की लागत पर स्थापित किए गए 256 (69 प्रतिशत) सोलर हीटर 5 से 38 महीने तक (जुलाई 2020 तक) अकार्यशील पाए गए। चार आवासीय विद्यालयों⁷¹ में स्थापित सभी 78 सोलर हीटर 15 से 38 महीनों तक अकार्यशील पाए गए (परिशिष्ट 7.7)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पाइपों और टैंकों के क्षतिग्रस्त/रिसाव, रेतीले तूफानों, गैर-रस्वरस्वाव आदि के कारण सोलर हीटर के अकार्यशील रहने की कतिपय शिकायतें की गई थीं। हालांकि, विभाग के पास वारंटी अवधि के दौरान इन सोलर हीटर की निगरानी और रस्वरस्वाव को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, सोलर हीटरों के वितरण/स्थापना से पहले कार्य आदेश के अनुसार पूर्व निरीक्षण नहीं किया गया था।

68 इसमें निर्माण स्थल, ठंडे पानी का टैंक, आपूर्ति लाइन और संबंधित फिटिंग की लागत को छोड़कर, केवल सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की लागत शामिल थी।

69 कुल निष्पादन गारंटी ₹ 0.28 करोड़ (₹ 0.14 करोड़ जो ₹ 2.89 करोड़ के कार्य आदेश मूल्य का 5 प्रतिशत और ₹ 0.14 करोड़, जो ₹ 1.44 करोड़ के कार्य आदेश मूल्य का 10 प्रतिशत था)।

70 {कुल कार्य आदेश मूल्य ₹ 4.33 करोड़ (₹ 2.89 करोड़ + ₹ 1.44 करोड़)/कुल 372 सोलर हीटर} × 256 अकार्यशील सोलर हीटर

71 आवासीय विद्यालय: भैंसवाड़ा (28), आटून (28), यूसुफपुरा (14) और पावटा (08)



विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (फरवरी 2021) कि उस समय संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व निरीक्षण नहीं किया गया था। यह अवगत कराया कि अकार्यशील सोलर हीटर्स की मरम्मत के लिए ठेकेदार से बारंबार पत्राचार (अगस्त 2019 से जनवरी 2021) के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तथापि, सोलर हीटर्स की मरम्मत के लिए ठेकेदार द्वारा कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और विभाग औपचारिक संविदा की अनुपस्थिति में अग्रिम कार्यवाही शुरू नहीं कर सका (फरवरी 2021)।

इस प्रकार, एक औपचारिक अनुबन्ध और निष्पादन प्रतिभूति तथा विभाग की उचित निगरानी एवं देखरेख के अभाव में, ₹ 2.98 करोड़ की लागत से स्थापित 69 प्रतिशत सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की मरम्मत/सुधार नहीं किया जा सका। इसके अलावा, अप्रैल-मई 2017 के दौरान स्थापित 152 सोलर हीटर्स की वारंटी अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी। विभाग को सार्वजनिक धन/संपत्ति के हितों की सुरक्षा नहीं करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही शुरू करनी चाहिए।

जल संसाधन विभाग

7.10 भूमि अर्जन लागत की गलत गणना के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान

जल संसाधन विभाग ने शहरी क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि के अर्जन के लिए प्रतिकर का भुगतान करते समय गलत ढंग से ग्रामीण क्षेत्र का गुणक कारक प्रयुक्त किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

विकास संबंधी कार्यों के लिए भूमि अर्जन की प्रक्रिया एवं भूमि के मालिकों को प्रतिकर “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013” (अधिनियम) के तहत विनियमित होता है। धारा 30(2) अनुबंधित करती है कि कलेक्टर, संदेय प्रतिकर की विशिष्टियों के ब्यौरे और पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिकर के भुगतान के ब्यौरे देते हुए व्यक्तिगत अधिनिर्णय जारी करेगा। प्रथम अनुसूची विनिर्दिष्ट करती

है कि ग्रामीण भूमि का बाजार मूल्य, शहरी क्षेत्र से परियोजना की दूरी के आधार पर एक से दो के बीच में एक गुणक कारक जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, से गुणित किया जाएगा जबकि शहरी भूमि के मामले में बाजार मूल्य एक से गुणित किया जाएगा। ग्रामीण भूमि के मामले में, राज्य सरकार ने निकटतम शहरी क्षेत्रों से 0 से 10 किमी की दूरी के लिए 1.25 को गुणक कारक के रूप में अधिसूचित किया (जून 2016) और यह भी स्पष्ट किया कि एक नगर निगम के सभी निर्वाचक वार्डों के क्षेत्र उस नगर निगम के शहरी क्षेत्र की तरह माने जाएंगे।

अधिनियम की धारा 33 उपबंधित करती है कि कलेक्टर किसी भी समय, किंतु अधिनिर्णय की तारीख से छह माह के पश्चात् नहीं, आदेश द्वारा अधिनिर्णयों की किन्ही लिपिकीय अथवा गणित संबंधी भूलों अथवा उसमें होने वाली गलतियों को, स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकारी के आवेदन पर शुद्ध कर सकेगा।

जल संसाधन विभाग (जसंवि), राजस्थान, जयपुर ने “बारां बाढ़ न्यूनीकरण योजना” के अंतर्गत डायवर्जन चैनल ऑफ फॉरेस्ट नाला (आरडी 0 से 2.65 किमी) कार्य के लिए ₹ 150.72 करोड़ की एक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (एएण्डएफ) जारी की थी (मई 2016)। इस नाले के निर्माण के लिए राजस्व ग्राम बारां (0.23 हैक्टेयर) तथा ग्राम नलका (6.69 हैक्टेयर) में पडने वाली कुल 6.92 हैक्टेयर भूमि (5.79 हैक्टेयर निजी भूमि एवं 1.13 हैक्टेयर विभिन्न विभागों⁷² की भूमि) अर्जित की जानी थी। 6.92 हैक्टेयर भूमि के अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सितंबर 2016 में धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना प्रकाशित की गई एवं भूमि अर्जन अधिकारी (भूअअ) द्वारा भूमि के प्रतिकर हेतु अंतिम अधिनिर्णय (अवार्ड) अक्टूबर 2017 में जारी किया गया।

अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन स्वण्ड-I, बारां के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2018) में प्रकट हुआ कि दोनों ग्रामों (बारां एवं नलका) की अर्जित की गई भूमि बारां नगर निगम की सीमाओं में स्थित थी और इसलिए, भूमि का बाजार मूल्य को गुणक कारक एक (शहरी भूमि के लिए) से गुणित किया जाना था। तथापि, भूअअ ने 1.25 के गुणक कारक को प्रयुक्त करते हुए जो कि सही नहीं था, बारां एवं नलका ग्राम के भूमि मालिकों को ₹ 8.26 करोड़ का प्रतिकर अवार्ड जारी कर दिया। स्वण्ड अधिनिर्णय में गलती की पहचान करने में असफल रहा और उसने भूमि मालिकों को वितरण करने के लिए अधिनिर्णय की राशि भूअअ को जमा कराई (मार्च 2017-मार्च 2018), जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ (*परिशिष्ट 7.8*)।

72 नगर पालिका बारां, पीडब्ल्यूडी बारां एवं कृषि उपज मंडी बारां।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जनवरी 2020) कि ग्राम नलका की भूमि को ग्रामीण क्षेत्र मानते हुए राजस्व प्राधिकारी (जिला कलेक्टर बारां) द्वारा जारी किये गए भूमि अर्जन अधिनिर्णय के अनुसार भूमि अर्जन हेतु भुगतान किया गया और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अपील का प्रावधान हैं। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा मार्च 2018 में इंगित करने एवं आगे सरकार को अगस्त 2019 में भेजे जाने/संदर्भित किए जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा जनवरी 2020 तक कोई अपील नहीं की गई थी।

यदि विभाग ने शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि के लिए भूअ द्वारा प्रयुक्त ग्रामीण भूमि हेतु निर्धारित गुणक कारक की शुद्धता की जांच की होती, तो अधिनिर्णय में संशोधन हेतु भूअ के समक्ष अपील की जा सकती थी एवं भूमि अर्जन के लिए भूमि मालिकों को ₹ 1.65 करोड़ के अधिक भुगतान से बचा जा सकता था। विभाग को गुणक कारक की शुद्धता की जांच न करने एवं इस संबंध में अपील न करने हेतु संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए।

7.11 अतिरिक्त कार्य का अनधिकृत निष्पादन

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों का घोर उल्लंघन करके ₹ 1.55 करोड़ के अतिरिक्त कार्यों का अनधिकृत निष्पादन।

एक कार्य के चार चरण होते हैं, यथा, प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं निधियों का विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन। लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमावली (पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर) का नियम 286 उपबंधित करता है कि जब एक कार्य पर व्यय उसके लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित की गई राशि से 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है या होने वाला होता है, अथवा जहां मूल प्रस्तावों से महत्वपूर्ण विचलन होता है, चाहे उसकी लागत संभवतया अन्य कार्यों पर बचत से आवरित हो, तो सक्षम प्राधिकारी से संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।

आगे, पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर का नियम 289 स्पष्ट रूप से बताता है कि संदर्भ मानकों, विस्तृत सर्वेक्षण, जांचों, कार्यकारी डिजाइनों एवं रेखाचित्रों के आधार पर विधिवत् तैयार किए गए विस्तृत अनुमानों की तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद ही किसी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए तथा निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में भी उसका संदर्भ दिया जाना चाहिए। पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर का नियम 352 निर्दिष्ट करता है कि किसी अनुमान की संस्वीकृति द्वारा प्रदान किए गये प्राधिकार को सदैव उन्हीं उद्देश्यों के लिए पूर्णतः सीमित माना जाना चाहिए जिनके लिए अनुमान का उपबंध आशयित था। तदनुसार किसी निश्चित परियोजना के लिए स्वीकृत अनुमान की किसी प्रत्याशित या वास्तविक बचतों को विशेष प्राधिकार के बिना, ऐसे अतिरिक्त कार्य जो मूल परियोजना में शामिल नहीं किया गया था या जो उसके वास्तविक निष्पादन में पूर्णतः आकस्मिक हो, को करने में नहीं लगाई जानी चाहिए।

नॉर्थ घग्घर कैनाल (एनजीसी), जो मुख्यतः फसलीय मौसम (जो प्रत्येक वर्ष जुलाई से आरंभ होता है) में चावल की खेती में मदद करती है, की जीर्ण-शीर्ण अवस्था एवं असमतल तल स्तर को ध्यान में रखते हुए, जल संसाधन विभाग (जसंवि) ने एनजीसी का सीमेंट कंक्रीट से पुनर्निर्माण/रिलाइनिंग का कार्य आरंभ करने का निर्णय किया (जनवरी 2015)। चूँकि कार्य जनवरी से जून, जब जल की मांग कम रहती है, के दौरान निष्पादित किया जाना था, अतः अधीक्षण अभियंता (अधीअ), सूरतगढ़ ने अनुमोदन की प्रत्याशा में, एनजीसी के पुनर्निर्माण/रिलाइनिंग के चार कार्यों⁷³ के लिए निविदाएँ जारी कर दी (दिसंबर 2014)। सभी कार्यों के लिए रावतसर स्वण्ड द्वारा विस्तृत अनुमान तैयार किए गए एवं तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों हेतु प्रस्तुत किए गए (जनवरी 2015)। मुख्य अभियंता, जसंवि (नॉर्थ), हनुमानगढ़ ने ₹ 8.53 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति जारी की (मार्च 2015) एवं राज्य सरकार ने उपरोक्त चार कार्यों के लिए ₹ 10.59 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (अप्रैल 2015)। उपरोक्त कार्यों के लिए एक संवेदक को ₹ 7.97 करोड़⁷⁴ का कार्यदेश जारी किया गया (मई 2015)। ये कार्य ₹ 7.57 करोड़ की लागत पर पूर्ण कर दिए गए (अगस्त 2016)।

जसंवि स्वण्ड-I, हनुमानगढ़ के अभिलेखों की नमूना-जांच (जुलाई 2018) में प्रकट हुआ कि जसंवि ने उपरोक्त चार कार्यों की तकनीकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही निविदाएं आमंत्रित की थी जो कि पीडब्ल्यूएफ एण्ड एआर के प्रावधानों के विपरीत था। आगे, जसंवि ने कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में से बचत की राशि ₹ 1.55 करोड़ से कुछ अतिरिक्त कार्य (मूल अनुमानों में सम्मिलित नहीं) जैसे निकास, मवेशी घाट, पुलों का पुनर्निर्माण एवं सीमेंट कंक्रीट डॉवेल्स अनियमित रूप से निष्पादित किए।

चूँकि, अतिरिक्त रूप से निष्पादित किए गए राशि ₹ 1.55 करोड़ के कार्य स्वण्ड रावतसर द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अनुमानों में सम्मिलित नहीं थे, इसलिए जसंवि द्वारा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए थी क्योंकि किसी निश्चित परियोजना के लिए स्वीकृत अनुमान में बचत, बिना विशेष प्राधिकार के अतिरिक्त कार्य निष्पादित करने के लिए, प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जसंवि ने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार जसंवि ने अनधिकृत रूप से अतिरिक्त कार्य निष्पादित किए।

राज्य सरकार ने बताया (जुलाई 2019) कि संबंधित अधीअ ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में पुनर्निर्माण/रिलाइनिंग के चार कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी (दिसंबर 2014) एवं मूल निविदा में छोड़े गए कार्य जो नहर की सुरक्षा के लिए आवश्यक थे, मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में पर्याप्त बचत के समक्ष निष्पादित किए गए थे। क्योंकि ये

73 आरडी 0 से 10, आरडी 10 से 20, आरडी 20 से 30, एवं आरडी 30 से 40।

74 आरडी 0 से 10: ₹ 2.31 करोड़; आरडी 10 से 20: ₹ 2.02 करोड़; आरडी 20 से 30: ₹ 1.89 करोड़ एवं आरडी 30 से 40: ₹ 1.75 करोड़।

कार्य परियोजना के अभिन्न भाग थे। संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आवश्यक नहीं समझी गई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल निविदा में छोड़े गए कार्य के मदों, जो जसंवि द्वारा नहर की सुरक्षा के लिए आवश्यक माने गए थे, को मूल अनुमानों में सम्मिलित करना चाहिए था। कार्य की प्रगति के दौरान इन कार्यों का निष्पादन प्रदर्शित करता है कि अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे। आगे, संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना इन कार्यों का निष्पादन ऊपर उल्लेखित नियमों का गंभीर उल्लंघन था।

अनादि मिश्र

जयपुर,
07 जून, 2021

(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली,
09 जून, 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 6.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.1)

विभागों की सूची

| क्र.सं. | विभाग का नाम | क्र.सं. | विभाग का नाम | क्र.सं. | विभाग का नाम |
|---------|--|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 1 | कृषि | 23 | उच्च शिक्षा | 45 | राजस्व आसूचना |
| 2 | कृषि विपणन | 24 | गृह विभाग गृह रक्षा सहित | 46 | ग्रामीण विकास |
| 3 | पशुपालन | 25 | उद्यान | 47 | सैनिक कल्याण |
| 4 | पुरातत्व एवं संग्रहालय | 26 | सूचना एवं जनसम्पर्क सूचना आयोग सहित | 48 | संस्कृत शिक्षा |
| 5 | कला एवं संस्कृति | 27 | निरीक्षण | 49 | माध्यमिक शिक्षा |
| 6 | आयुर्वेद | 28 | सिंचाई (इंदिरा गाँधी नहर परियोजना) | 50 | बंदोबस्त |
| 7 | भाषा एवं पुस्तकालय | 29 | जेल | 51 | राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि |
| 8 | कलेक्टर (विविध) | 30 | श्रम | 52 | कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता |
| 9 | सिंचित क्षेत्र विकास | 31 | भू राजस्व | 53 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
| 10 | सहकारिता | 32 | विधि एवं विधिक कार्य | 54 | मृदा एवं जल संरक्षण |
| 11 | देवस्थान | 33 | स्थानीय कोष लेखापरीक्षा विभाग | 55 | पंजीयन एवं मुद्रांक |
| 12 | आपदा प्रबंधन, सहायता व नागरिक सुरक्षा | 34 | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य | 56 | राज्य आबकारी |
| 13 | निर्वाचन | 35 | चिकित्सा शिक्षा | 57 | आर्थिक एवं सांख्यिकी |
| 14 | प्राथमिक शिक्षा | 36 | अल्पसंख्यक मामलात् | 58 | तकनीकी शिक्षा |
| 15 | कर्मचारी राज्य बीमा | 37 | पंचायती राज संस्थान | 59 | पर्यटन |
| 16 | मूल्यांकन | 38 | पटवार प्रशिक्षण केंद्र | 60 | कोष एवं लेखा |
| 17 | वित्त | 39 | पेंशन (बैंक) | 61 | जनजातीय क्षेत्रीय विकास |
| 18 | मत्स्य | 40 | कार्मिक | 62 | वैट/जीएसटी |
| 19 | स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले | 41 | मुद्रण एवं स्टेशनरी | 63 | जल संसाधन |
| 20 | सामान्य प्रशासन विधानसभा सचिवालय सहित | 42 | राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान | 64 | मार्गोपय |
| 21 | गोपालन | 43 | राजस्थान लोक सेवा आयोग | 65 | महिला एवं बाल विकास |
| 22 | भू-जल | 44 | राजस्थान कर्मचारी चयन मण्डल | 66 | युवा एवं खेल मामले |

परिशिष्ट 6.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.4)

सरकार/विभागों के प्रत्युत्तर को दर्शाने वाला विवरण

| क्र.सं. | अनियमितता की श्रेणी | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | | माध्यमिक शिक्षा विभाग | | जल संसाधन विभाग | |
|------------|--|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | अनुच्छेदों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | अनुच्छेदों की संख्या | राशि (₹ लाख में) | अनुच्छेदों की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
| 1 | कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/भंडार एवं नकद की चोरी | 186 | 20,849.67 | 58 | 164.08 | 34 | 2,124 |
| 2 | लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियां | 524 | 88,167.65 | 0 | 0 | 458 | 22,283 |
| 3 | संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता | 20 | 372.93 | 155 | 4,352.15 | 871 | 37,243 |
| 4 | परिहार्य/अधिक व्यय | 304 | 78,815.42 | 101 | 29,083.82 | 240 | 32,596 |
| 5 | निरर्थक/निष्फल व्यय | 245 | 15,761.89 | 152 | 10,084.96 | 228 | 14,474 |
| 6 | विनियामक प्रकरण | 3,168 | 7,49,937.3 | 1,395 | 21,85,753.85 | 1,432 | 1,49,691 |
| 7 | निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय संस्थापना/निधियों का अवरोधन/निधियों का विपथन | 814 | 6,32,902.19 | 703 | 2,44,486.82 | 124 | 12,861 |
| 8 | उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब/निष्क्रिय रहना | 19 | 145.71 | 0 | 0 | 59 | 3,052 |
| 9 | उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना | 222 | 24,431.62 | 92 | 2,64,499.65 | 252 | 26,901 |
| 10 | विविध | 1,805 | 77,510.17 | 153 | 7,552.27 | 1,064 | 2,16,759 |
| योग | | 7,307 | 16,88,894.55 | 2,809 | 27,45,977.60 | 4,762* | 5,17,957 |

* उप-अनुच्छेद सहित

परिशिष्ट 7.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.3.2)

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में विशेषज्ञों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

| विशेषज्ञता का नाम | मानदंडों के अनुसार | कोटा | | | | | जोधपुर | | | | | भीलवाड़ा | | | | | पाली | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत पद | | | | | पदस्थापित व्यक्ति | | | | | स्वीकृत पद | | | | | पदस्थापित व्यक्ति | | | | | स्वीकृत पद | | | | | पदस्थापित व्यक्ति | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | | | | | | |
| निश्चेतन | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| वक्ष | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| दन्त | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| त्वचा रोग | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| कान नाक गला | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| नेत्र | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | |
| मेडिसिन | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| प्रसूति एवं स्त्री रोग | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| अस्थि | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| शिशु | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| रोग-निदान | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| विकिरण चिकित्सा | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| शल्य चिकित्सा | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |
| योग | 13 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |

परिशिष्ट 7.2

(संदर्भ अनुच्छेद 7.4)

मैसर्स मेट्रो मास चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड (मै. मेट्रो मास), जयपुर द्वारा रियायत शुल्क ₹ 2.34 करोड़ की कम जमा को दर्शाने वाला विवरण

| क्र.सं. | वार्षिक लेखों की अवधि | वार्षिक लेखों के अनुसार मै. मेट्रो मास की सकल आय | मै. मेट्रो मास की सकल आय पर राज्य अंश (@ 7.2%) की गणना | एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में मै. मेट्रो मास द्वारा जमा राशि | मै. मेट्रो मास द्वारा कम जमा रियायत शुल्क |
|---------|-----------------------|--|--|--|---|
| 1. | 2014-15 | 17,82,52,636.00 | 1,28,34,190.00 | 1,24,95,331.00 | 3,38,859.00 |
| 2. | 2015-16 | 27,24,72,400.00 | 1,96,18,013.00 | 1,73,81,770.00 | 22,36,243.00 |
| 3. | 2016-17 | 42,43,78,200.00 | 3,05,55,230.00 | 2,58,36,913.00 | 47,18,317.00 |
| 4. | 2017-18 | 57,76,42,500.00 | 4,15,90,260.00 | 2,54,97,573.00 | 1,60,92,687.00 |
| | योग | 145,27,45,736.00 | 10,45,97,693.00 | 8,12,11,587.00 | 2,33,86,106.00 |

परिशिष्ट 7.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.4)

मैसर्स मेट्रो मानस आरोग्य सदन चिकित्सालय एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा कम एवं देरी से जमा रियायत शुल्क पर वसूली योग्य ब्याज ₹ 48.83 लाख को दर्शाने वाला विवरण

| तिमाही | राज्य अंश जमा कराने की नियत तिथि | चिकित्सालय द्वारा राशि जमा कराने की वास्तविक दिनांक | मैसर्स मेट्रो मानस आरोग्य सदन चिकित्सालय एंड हार्ट इंस्टीट्यूट द्वारा देरी से जमा रियायत शुल्क | देरी (दिनों में) | ब्याज राशि की गणना |
|---|----------------------------------|---|--|------------------|---------------------|
| अप्रैल – जून 2014 | 07.07.14 | 01.08.14 | 26,27,150.00 | 25 | 32,390.00 |
| जुलाई – सितम्बर 2014 | 07.10.14 | 17.10.14 | 30,70,604.00 | 10 | 15,142.00 |
| अक्टूबर – दिसम्बर 2014 | 07.01.15 | 19.01.15 | 33,46,311.00 | 12 | 19,803.00 |
| जनवरी – मार्च 2015 | 07.04.15 | 12.06.15 | 34,51,266.00 | 66 | 1,12,332.00 |
| अप्रैल – जून 2015 | 07.07.15 | 07.09.15 | 41,35,694.00 | 62 | 1,26,450.00 |
| जुलाई – सितम्बर 2015 | 07.10.15 | 05.10.16 | 43,52,108.00 | 363 | 7,79,087.00 |
| अक्टूबर – दिसम्बर 2015 | 07.01.16 | 05.10.16 | 38,44,774.00 | 271 | 5,13,830.00 |
| जनवरी – मार्च 2016 | 07.04.16 | 05.10.16 | 50,49,195.00 | 181 | 4,50,693.00 |
| अप्रैल – जून 2016 | 07.07.16 | 05.10.16 | 49,64,263.00 | 90 | 2,20,332.00 |
| जुलाई – सितम्बर 2016 | 07.10.16 | 20.12.16 | 67,08,335.00 | 74 | 2,44,808.00 |
| अक्टूबर – दिसम्बर 2016 | 07.01.17 | 19.05.17 | 68,27,788.00 | 132 | 4,44,461.00 |
| जनवरी – मार्च 2017 | 07.04.17 | 14.06.17 | 73,36,527.00 | 68 | 2,46,025.00 |
| अप्रैल – जून 2017 | 07.07.17 | 10.08.18 | 35,83,260.00 | 399 | 7,05,068.00 |
| 01.07.17 से 23.07.17 (तिमाही जुलाई-सितम्बर 2017) | 07.10.17 | 10.04.19 | 35,85,868.00 | 550 | 9,72,605.00 |
| योग | | | 6,28,83,143.00 | | 48,83,026.00 |

परिशिष्ट 7.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.4)

ओपीडी और आईपीडी के बीपीएल रोगियों के उपचार के लिए देय राशि दर्शाने वाला विवरण

अ - ओपीडी के रोगी

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | कुल ओपीडी रोगी | कुल ओपीडी रोगियों के 20 प्रतिशत बीपीएल रोगी | उपचारित बीपीएल रोगी | बीपीएल रोगियों की संख्या में अंतर (कॉलम 4-कॉलम 5) | बीपीएल रोगियों के उपचार पर व्यय (₹ में) | प्रत्येक बीपीएल रोगी के उपचार पर व्यय (कॉलम 7/कॉलम 5) (₹ में) | देय राशि (कॉलम 6 x कॉलम 8) (₹ में) |
|--|--------------|----------------|---|---------------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 2012-13 | 5,878 | 1,176 | 85 | 1,091 | 20,445.00 | 240.5294 | 2,62,418.00 |
| 2. | 2013-14 | 18,570 | 3,714 | 139 | 3,575 | 48,182.00 | 346.6330 | 12,39,213.00 |
| 3. | 2014-15 | 14,601 | 2,920.2 | 142 | 2,778.20 | 70,130.00 | 493.8732 | 13,72,079.00 |
| 4. | 2015-16 | 19,165 | 3,833 | 166 | 3,667 | 94,145.00 | 567.1385 | 20,79,697.00 |
| 5. | 2016-17 | 20,643 | 4,128.6 | 688 | 3,440.60 | 3,39,763.00 | 493.8415 | 16,99,111.00 |
| 6. | 2017-18 | 23,209 | 4,641.80 | 1,530 | 3,111.80 | 3,23,598.00 | 211.5019 | 6,58,152.00 |
| योग | | | | | | | | 73,10,670.00 |
| मेट्रो मास चिकित्सालय प्रा.लि. द्वारा जमा राशि (-) | | | | | | | | 15,01,631.00 |
| देय राशि (अ) | | | | | | | | 58,09,039.00 |

ब - आईपीडी के रोगी

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | कुल आईपीडी रोगी | कुल आईपीडी रोगियों के 20 प्रतिशत बीपीएल रोगी | उपचारित बीपीएल रोगी | बीपीएल रोगियों की संख्या में अंतर (कॉलम 4-कॉलम 5) | बीपीएल रोगियों के उपचार पर व्यय (₹ में) | प्रत्येक बीपीएल रोगी के उपचार पर व्यय (कॉलम 7/कॉलम 5) (₹ में) | देय राशि (कॉलम 6 x कॉलम 8) (₹ में) |
|--|--------------|-----------------|--|---------------------|---|---|---|------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 2012-13 | 737 | 147.4 | 21 | 126.4 | 1,63,439.00 | 7,782.809 | 9,83,747.00 |
| 2. | 2013-14 | 3,164 | 632.80 | 57 | 575.8 | 30,754.00 | 539.5438 | 3,10,669.00 |
| 3. | 2014-15 | 5,427 | 1,085.40 | 59 | 1,026.40 | 1,27,160.00 | 2,155.2542 | 22,12,153.00 |
| 4. | 2015-16 | 7,850 | 1,570 | 80 | 1,490 | 3,18,111.00 | 3,976.3875 | 59,24,817.00 |
| 5. | 2016-17 | 10,709 | 2,141.80 | 58 | 2,083.80 | 1,38,385.00 | 2,385.9482 | 49,71,839.00 |
| 6. | 2017-18 | 13,986 | 2,797.20 | 99 | 2,698.20 | 2,64,392.00 | 2,670.6262 | 72,05,884.00 |
| योग | | | | | | | | 2,16,09,109.00 |
| मेट्रो मास चिकित्सालय प्रा.लि. द्वारा जमा राशि (-) | | | | | | | | 47,59,836.00 |
| देय राशि (ब) | | | | | | | | 1,68,49,273.00 |
| कुल देय राशि (अ+ब) | | | | | | | | 2,26,58,312.00 |

परिशिष्ट 7.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.6)

अनुपयोगी ऋण राशि पर ब्याज को दर्शाने वाला विवरण

| डिमांड नोटिस की देय तिथि | ऋण कोड | संवितरण तिथि | अप्रयुक्त राशि (₹) | डिमांड नोटिस तक अप्रयुक्त अवधि | वर्तमान तिमाही में समायोजित दिन | वर्तमान तिमाही का ब्याज (₹) | कुल त्रैमासिक ब्याज (₹) |
|--------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 30-09-2015 | 2014090803 | 08-09-2014 | 25,00,000 | 388 | 92 | 53,561 | 9,37,869 |
| | 2015013002 | 30-01-2015 | 3,15,75,972 | 92 | 27 | 1,51,824 | |
| | | | | | 65 | 4,77,965 | |
| | 2015061001 | 10-06-2015 | 2,00,00,000 | 113 | 21 | 40,274 | |
| | | | | | 69 | 1,32,328 | |
| | | | | | 23 | 81,917 | |
| 31-12-2015 | 2014090803 | 08-09-2014 | 25,00,000 | 480 | 92 | 53,561 | 35,48,749 |
| | 2015013002 | 30-01-2015 | 2,25,12,089 | 31 | 31 | 1,62,518 | |
| | 2015013002 | 30-01-2015 | 2,12,78,089 | 61 | 61 | 3,02,265 | |
| | 2015061001 | 10-06-2015 | 2,00,00,000 | 205 | 67 | 2,38,629 | |
| | | | | | 25 | 1,16,438 | |
| | 2015072001 | 20-07-2015 | 6,00,00,000 | 165 | 73 | 4,19,999 | |
| | | | | | 17 | 97,808 | |
| | | | | | 75 | 8,01,369 | |
| | 2015072002 | 20-07-2015 | 2,00,00,000 | 165 | 73 | 1,40,000 | |
| | | | | | 17 | 32,602 | |
| | | | | | 75 | 2,67,123 | |
| | 2015093001 | 30-09-2015 | 10,00,00,000 | 93 | 1 | 9,589 | |
| | | | | 89 | 8,53,424 | | |
| | | | | 3 | 53,424 | | |
| 31-03-2016 | 2014090803 | 08-09-2014 | 25,00,000 | 571 | 91 | 52,979 | 37,29,111 |
| | 2015061001 | 10-06-2015 | 2,00,00,000 | 206 | 1 | 4,657 | |
| | | | 1,88,48,079 | 91 | 91 | 3,99,424 | |
| | 2015072001 | 20-07-2015 | 6,00,00,000 | 256 | 15 | 1,60,273 | |
| | | | | | 76 | 10,61,917 | |
| | 2015072002 | 20-07-2015 | 2,00,00,000 | 256 | 15 | 53,424 | |
| | | | | | 76 | 3,53,972 | |
| | 2015093001 | 30-09-2015 | 10,00,00,000 | 184 | 87 | 15,49,315 | |
| | | | | 4 | 93,150 | | |
| 30-06-2016 | 2015100104 | 01-10-2015 | 7,30,34,994 | 273 | 91 | 15,43,513 | 15,43,513 |
| 31-12-2016 | 2016050501 | 05-05-2016 | 3,15,900 | 241 | 92 | 6,768 | 4,46,559 |

| डिमांड नोटिस की देय तिथि | ऋण कोड | संवितरण तिथि | अप्रयुक्त राशि (₹) | डिमांड नोटिस तक अप्रयुक्त अवधि | वर्तमान तिमाही में समायोजित दिन | वर्तमान तिमाही का ब्याज (₹) | कुल त्रैमासिक ब्याज (₹) |
|--------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | 2016062803 | 28-06-2016 | 9,13,500 | 187 | 92 | 19,571 | |
| | 2016092804 | 28-09-2016 | 4,41,38,285 | 95 | 90 | 3,80,919 | |
| | | | | | 5 | 39,301 | |
| 31-03-2017 | 2016092804 | 28-09-2016 | 1,99,68,245 | 95 | 85 | 3,02,259 | 4,27,740 |
| | | | | | 5 | 23,251 | |
| | | | 1,85,18,040 | 126 | 31 | 1,02,230 | |
| 30-06-2017 | 201703905 | 09-03-2017 | 6,78,01,600 | 114 | 90 | 5,85,137 | 8,74,919 |
| | | | | | 24 | 2,89,782 | |
| 31-03-2018 | 201703905 | 09-03-2017 | 52,97,000 | 388 | 90 | 1,11,019 | 1,11,019 |
| 30-06-2018 | 2017120401 | 04-12-2017 | 3,20,88,560 | 209 | 90 | 2,76,172 | 37,80,453 |
| | | | | | 90 | 5,12,891 | |
| | | | | | 29 | 2,16,116 | |
| | 2017120502 | 05-12-2017 | 5,00,00,000 | 208 | 90 | 4,30,328 | |
| | | | | | 90 | 7,99,180 | |
| | | | | | 28 | 3,25,137 | |
| | 2018010303 | 03-01-2018 | 5,00,00,000 | 179 | 90 | 4,30,328 | |
| | | | | | 89 | 7,90,301 | |
| 30-09-2018 | 2017120502 | 05-12-2017 | 2,57,40,490 | 300 | 92 | 5,49,974 | 16,12,816 |
| | 2018010303 | 03-01-2018 | 5,00,00,000 | 179 | 2 | 17,760 | |
| | | | | | 90 | 10,45,082 | |
| 31-12-2018 | 2017120502 | 05-12-2017 | 2,57,40,490 | 392 | 92 | 5,49,974 | 16,18,280 |
| | 2018010303 | 03-01-2018 | 5,00,00,000 | 363 | 92 | 10,68,306 | |
| 31-03-2019 | 2017120502 | 05-12-2017 | 92,41,578 | 482 | 90 | 1,93,164 | 13,25,808 |
| | 2017120502 | 05-12-2017 | 58,00,500 | 482 | 65 | 87,562 | |
| | 2018010303 | 03-01-2018 | 5,00,00,000 | 453 | 90 | 10,45,082 | |
| 30-06-2019 | 2017120502 | 05-12-2017 | 92,41,578 | 573 | 91 | 1,95,310 | 12,52,004 |
| | 2018010303 | 03-01-2018 | 5,00,00,000 | 544 | 91 | 10,56,694 | |
| 30-09-2019 | 2017120502 | 05-12-2017 | 28,54,580 | 590 | 17 | 11,271 | 7,89,348 |
| | 2017120502 | 05-12-2017 | 1,75,500 | 644 | 71 | 2,894 | |
| | 2017120502 | 05-12-2017 | 38,78,278 | 644 | 71 | 63,949 | |
| | 2017120502 | 05-12-2017 | 33,19,472 | 644 | 71 | 54,735 | |
| | 2017120502 | 05-12-2017 | 62,04,595 | 644 | 71 | 1,02,308 | |
| | 2017120502 | 05-12-2017 | 44,19,540 | 644 | 71 | 72,874 | |
| | 2018010303 | 03-01-2018 | 2,27,74,681 | 544 | 91 | 4,81,317 | |
| कुल ब्याज भुगतान | | | | | | | 2,19,98,188 |

परिशिष्ट 7.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.8)

सोलर होम लाइटिंग संयंत्रों की नवम्बर 2020 तक की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

| क्र.स. | आवासीय विद्यालय का नाम | स्थापित संयंत्रों की संख्या | कार्यशील संयंत्रों की संख्या | अकार्यशील संयंत्रों की संख्या | स्थापना की तिथि | दिनांक जिससे सोलर होम लाइटिंग संयंत्र अकार्यशील हुए | सोलर होम लाइटिंग संयंत्र के अकार्यशील बने रहने की अवधि (महीनों में) |
|------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|
| 1. | बगड़ी (दौसा) | 65 | 62 | 3 | अगस्त 2018 | जनवरी 2020 | 10 |
| 2. | मंडाना (कोटा) | 174 | 25 | 149 | अप्रैल 2017 | अक्टूबर 2019 | 13 |
| 3. | खेड़ाआसपुर (डूंगरपुर) | 66 | 21 | 45 | अगस्त 2018 | दिसंबर 2019 | 11 |
| 4. | हिंगी (कोटा) | 492 | 180 | 312 | अप्रैल 2017 | दिसंबर 2019 | 11 |
| 5. | मंडोर (जोधपुर) | 65 | 10 | 55 | जुलाई 2018 | जनवरी 2020 | 10 |
| 6. | अटरू (बारां) | 178 | 0 | 178 | अप्रैल 2017 | मार्च 2018 | 32 |
| 7. | धनवाडा (झालावाड़) | 147 | 123 | 24 | जुलाई 2018 | अगस्त 2019 | 15 |
| 8. | केनपुरा (पाली) | 65 | 53 | 12 | जुलाई 2018 | जनवरी 2020 | 10 |
| 9. | हरियाली (जालौर) | 65 | 43 | 22 | जुलाई 2018 | फरवरी 2020 | 09 |
| 10. | खोडन (बांसवाड़ा) | 65 | 51 | 14 | अगस्त 2018 | दिसंबर 2019 | 11 |
| 11. | आटूण (भीलवाड़ा) | 176 | 160 | 16 | अगस्त 2018 | अगस्त 2018 | 27 |
| 12. | छाण (सवाईमाधोपुर) | 263 | 216 | 47 | जून 2017 | जुलाई 2019 | 16 |
| 13. | सागवाड़ा (डूंगरपुर) | 154 | 24 | 130 | अगस्त 2017 | नवंबर 2019 | 12 |
| 14. | तेलीखेड़ासुवाना (भीलवाड़ा) | 67 | 67 | 0 | जुलाई 2018 | वर्तमान में लाइट्स कार्यशील हैं | - |
| 15. | पावटा (नागौर) | 65 | 60 | 5 | मार्च 2018 | नवंबर 2019 | 12 |
| 16 | भैंसवाड़ा (जालौर) | 231 | 0 | 231 | मार्च 2017 | नवंबर 2019 | 12 |
| 17. | वज़ीरपुरा (टोंक) | 159 | 69 | 90 | दिसंबर 2017 | जनवरी 2020 | 10 |
| योग | | 2,497 | 1,164 | 1,333 | | | |

परिशिष्ट 7.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.9)

सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की जुलाई 2020 तक की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

| क्र.स. | आवासीय विद्यालयों का नाम | स्थापित सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की संख्या | कार्यशील सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की संख्या | अकार्यशील सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की संख्या | स्थापना की तिथि | दिनांक जिससे सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र अकार्यशील हुए | अकार्यशील रहने की अवधि |
|------------|--------------------------|--|---|--|-----------------|---|------------------------|
| 1. | केनपुरा (पाली) | 28 | 03 | 25 | मई 2017 | जुलाई 2018 | 24 महीने |
| 2. | अटरू (बारां) | 13 | 05 | 08 | अप्रैल 2017 | मार्च 2019 | 16 महीने |
| 3. | पावटा (नागौर) | 08 | 00 | 08 | मार्च 2018 | फरवरी 2019 | 15 महीने |
| 4. | वज़ीरपुरा (टोंक) | 13 | 06 | 07 | दिसंबर 2017 | अक्टूबर 2019 | 9 महीने |
| 5. | धनवाडा (झालावाड़) | 22 | 17 | 05 | दिसंबर 2017 | दिसंबर 2019 | 7 महीने |
| 6. | छाण (सवाईमाधोपुर) | 28 | 22 | 06 | अप्रैल 2017 | जून 2019 | 12 महीने |
| 7. | बगड़ी (दौसा) | 28 | 01 | 27 | अगस्त 2018 | सितंबर 2019 | 10 महीने |
| 8. | खोडन (बांसवाड़ा) | 28 | 01 | 27 | अप्रैल 2017 | सितंबर 2018 | 22 महीने |
| 9. | हरियाली (जालौर) | 20/22 | 06 | 14 | मार्च 2018 | दिसंबर 2019 | 7 महीने |
| 10. | खेड़ाआसपुर (डूंगरपुर) | 28 | 02 | 26 | सितंबर 2018 | मार्च 2019 | 16 महीने |
| 11. | आटूण (भीलवाड़ा) | 28 | 00 | 28 | अप्रैल 2017 | अप्रैल 2018 | 27 महीने |
| 12. | सागवाड़ा (डूंगरपुर) | 14 | 11 | 03 | अप्रैल 2018 | जनवरी 2019 | 18 महीने |
| 13. | यूसुफपुरा (टोंक) | 14 | 00 | 14 | दिसंबर 2017 | जनवरी 2019 | 18 महीने |
| 14. | भैंसवाड़ा (जालौर) | 28 | 00 | 28 | मई 2017 | मई 2017 | 38 महीने |
| 15. | मंडाना (कोटा) | 14 | 10 | 04 | अप्रैल 2017 | फरवरी 2020 | 5 महीने |
| 16. | हिंगी (कोटा) | 28 | 26 | 02 | अप्रैल 2017 | फरवरी 2020 | 5 महीने |
| 17. | मंडोर (जोधपुर) | 28 | 04 | 24 | मई 2017 | फरवरी 2020 | 5 महीने |
| योग | | 370/372 | 114 | 256 | | | |

परिशिष्ट 7.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.10)

शहरी दर पर भूमि अर्जन लागत की विस्तृत गणना दर्शाने वाला विवरण

| अधिनिर्णय सूची की क्रम संख्या | हेक्टेयर | बीघा | दर | राशि | मुआवज़ा | योग | 15.5 माह का 12 प्रतिशत दर पर ब्याज | कुल योग |
|-------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|--------------------|
| ग्राम बारां | | | | | | | | |
| 1 | 0.0800 | 0.4936 | 44,52,820 | 21,97,912 | 21,97,912 | 43,95,824 | 3,40,676 | 47,36,500 |
| ग्राम नलका | | | | | | | | |
| 6 | 0.0300 | 0.1851 | 14,61,140 | 2,70,457 | 2,70,457 | 5,40,914 | 41,921 | 5,82,835 |
| 7 | 0.0500 | 0.3085 | 14,61,140 | 4,50,762 | 4,50,762 | 9,01,523 | 69,868 | 9,71,391 |
| 8 | 0.0900 | 0.5553 | 14,61,140 | 8,11,371 | 8,11,371 | 16,22,742 | 1,25,763 | 17,48,505 |
| 9 | 0.11245 | 0.6938 | 14,61,140 | 10,13,739 | 10,13,739 | 20,27,478 | 1,57,130 | 21,84,607 |
| | 0.02322 | 0.1433 | 14,61,140 | 2,09,381 | 2,09,381 | 4,18,763 | 32,454 | 4,51,217 |
| | 0.01885 | 0.1163 | 14,61,140 | 1,69,931 | 1,69,931 | 3,39,861 | 26,339 | 3,66,200 |
| | 0.03548 | 0.2189 | 14,61,140 | 3,19,844 | 3,19,844 | 6,39,687 | 49,576 | 6,89,263 |
| 10 | 0.13000 | 0.8021 | 14,61,140 | 11,71,980 | 11,71,980 | 23,43,961 | 1,81,657 | 25,25,618 |
| 12 | 0.63000 | 3.8871 | 6,40,100 | 24,88,133 | 24,88,133 | 49,76,265 | 3,85,661 | 53,61,926 |
| 13 | 0.11000 | 0.6787 | 6,40,100 | 4,34,436 | 4,34,436 | 8,68,872 | 67,338 | 9,36,209 |
| 14 | 0.04000 | 0.2468 | 6,40,100 | 1,57,977 | 1,57,977 | 3,15,953 | 24,486 | 3,40,440 |
| 15 | 0.03000 | 0.1851 | 6,40,100 | 1,18,483 | 1,18,483 | 2,36,965 | 18,365 | 2,55,330 |
| 16 | 0.34000 | 2.0978 | 6,74,970 | 14,15,952 | 14,15,952 | 28,31,904 | 2,19,473 | 30,51,377 |
| 17 | 0.45000 | 2.7765 | 6,74,970 | 18,74,054 | 18,74,054 | 37,48,108 | 2,90,478 | 40,38,587 |
| 18 | 0.17000 | 1.0489 | 6,40,100 | 6,71,401 | 6,71,401 | 13,42,802 | 1,04,067 | 14,46,869 |
| 19 | 0.07000 | 0.4319 | 9,74,060 | 4,20,697 | 4,20,697 | 8,41,393 | 65,208 | 9,06,601 |
| 20 | 0.33000 | 2.0361 | 9,74,060 | 19,83,284 | 19,83,284 | 39,66,567 | 3,07,409 | 42,73,976 |
| 23 | 0.04000 | 0.2468 | 9,74,060 | 2,40,398 | 2,40,398 | 4,80,796 | 37,262 | 5,18,058 |
| 24 | 0.25000 | 1.5425 | 9,74,060 | 15,02,488 | 15,02,488 | 30,04,975 | 2,32,886 | 32,37,861 |
| 25 | 0.92000 | 5.6764 | 6,74,970 | 38,31,400 | 38,31,400 | 76,62,799 | 5,93,867 | 82,56,666 |
| 26 | 0.70000 | 4.319 | 9,74,060 | 42,06,965 | 42,06,965 | 84,13,930 | 6,52,080 | 90,66,010 |
| 27 | 0.21000 | 1.2957 | 6,74,970 | 8,74,559 | 8,74,559 | 17,49,117 | 1,35,557 | 18,84,674 |
| 28 | 0.65000 | 4.0105 | 6,74,970 | 27,06,967 | 27,06,967 | 54,13,934 | 4,19,580 | 58,33,514 |
| 30 | 0.28000 | 1.7276 | 6,40,100 | 11,05,837 | 11,05,837 | 22,11,674 | 1,71,405 | 23,83,078 |
| योग | 5.79 | | | | | | देय | 6,60,47,312 |
| | | | | | | | भुगतान | 8,25,59,140 |
| | | | | | | | अतिरिक्त भुगतान | 1,65,11,828 |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/en>